खण्ड-233, अंक-7
मंगलवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(4 सितम्बर, 1962 ई0)

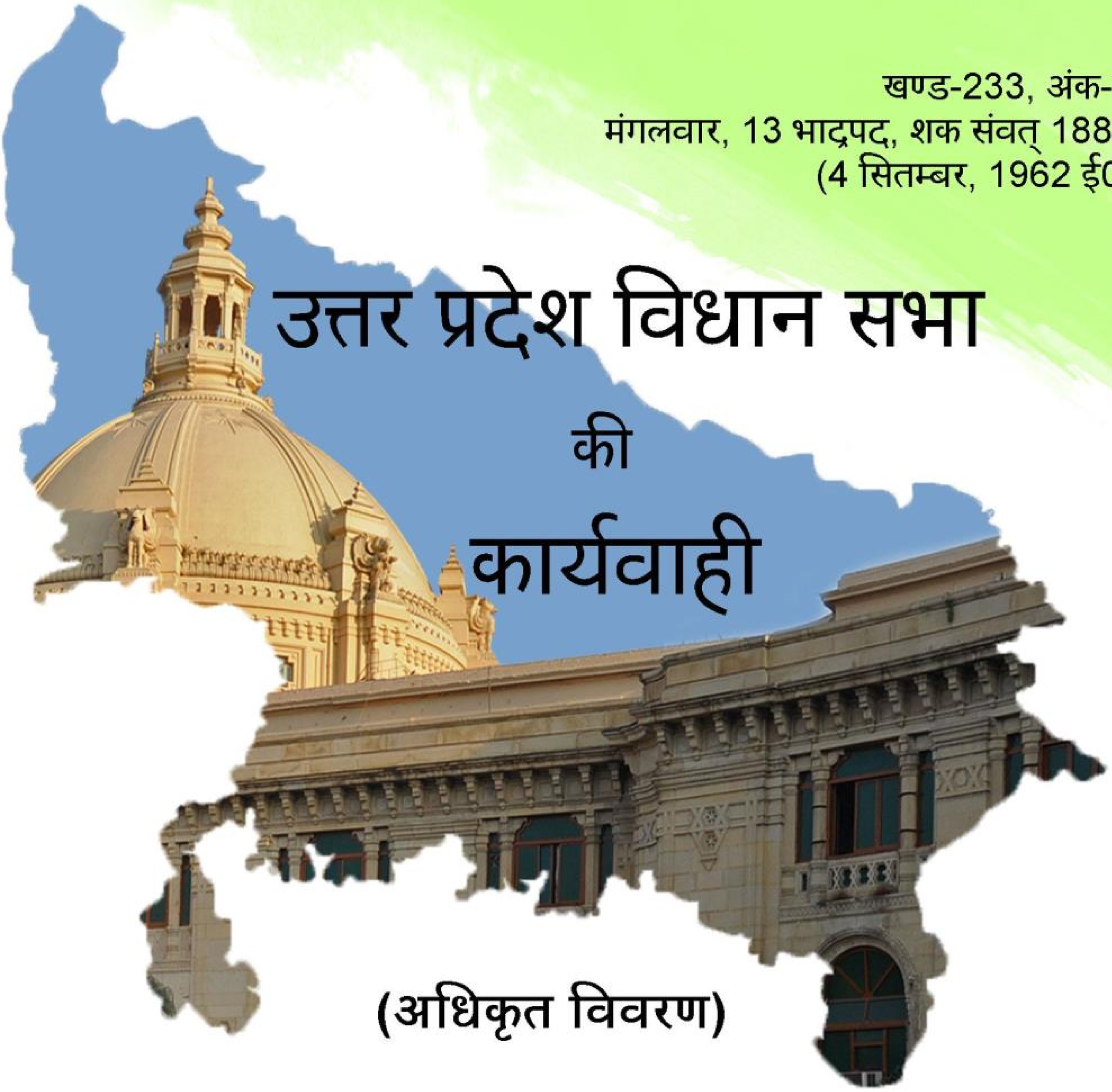

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८३३–८३७
प्रश्नोत्तर	८३७–८६५
पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	८६६
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८६६
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विधान परिषद् की स्वीकृति की सूचना) ..	८६६
बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में ३० अगस्त, १९६२ को पुलिस द्वारा ग्रामीण नता पर गोली चलाने के संबंध में वक्तव्य ..	८६६–८७३
बरेली जिले के ग्राम अनलपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के एक जुलूस पर एक विशेष सम्प्रदाय द्वारा आक्रमण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८७४–८७७
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा	८७७
कानपुर में विक्टोरिया मिल्स, म्योर मिल और जे० के० मैन्युफैक्चरिंग मिल में बोनस न दिये जाने के संबंध में वक्तव्य	८७८
सदन का भावी कार्य-क्रम	८७८–८७९
उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया) ..	८७९–८८३
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	८८३–९०३
प्रदेश में कत्ल, डकैतियों, चोरियों तथा अन्य अपराधों में वाली वृद्धि से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद	९०३–९२६
नत्थियां	९२७–९४४

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अजैवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टून्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री (लल्लन जी)
यादवेन्द्रसिंह, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)

सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट —नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा सिंचाई उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर नगरपालिका के अवक्रमण पर विचार

****१—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय** (जिला जौनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका जौनपुर की जब्ती की कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो वह कब तक अमल में लायी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी हां । अभी मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से नगरपालिका जौनपुर की जब्ती की कार्यवाही चल रही है और क्या उन कारणों में वहां पर ५०—६० हजार रुपये के गबन का मामला भी शामिल है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, नगरपालिका के एक सदस्य ने अनेक आरोप नगरपालिका के कार्यकलापों के संबंध में लिखकर एक पत्र भेजा था । माननीय सदस्य ने जिस आरोप से संबंधित प्रश्न किया, उन आरोपों में वह शामिल नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नगरपालिका जौनपुर का अध्यक्ष कौन है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास यह शिकायतों की तालिका कब भेजी गई और कब तक यह प्रश्न विचाराधीन रहेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पर बहुत शीघ्र ही विचार हो जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—इस गबन के सिलसिले में क्या कुछ नगरपालिका के विशेष कर्मचारी भी शामिल हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जैसा मैंने पहले कहा, जो आरोप भेजे गये हैं उनमें यह गबन संबंधी मामला नहीं है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जो आरोप किसी माननीय सदस्य ने भेजे हैं वह कौन-कौन से हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—(१) बोर्ड ने शहर में बिना अनुमति के और अवैधानिक छज्जों के निर्माणों को हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है, (२) शहर में सफाई की हालत बहुत शोचनीय है, मगर बोर्ड ने इस संबंध में अपनी ड्यूटी अन्जाम नहीं दी है।

(३) बोर्ड ने शहर में सार्वजनिक शौचालयों को ठीक हालत में बनाये रखने में निरन्तर चूक की है।

(४) बोर्ड ने श्री रघुबीर प्रसाद, मुसम्मात इन्द्रावती देवी, श्री ज्ञान चन्द्र जौहरी, श्री श्याम दास और श्री मथुरा प्रसाद को बाई-लाज के विरुद्ध बनाये गये छज्जों को कायम रखने की अनुमति दी है।

(५) श्रीमती मुन्नी देवी व श्री मुहम्मद हसन द्वारा अनियमित तौर से बनाये गये मकानों को बोर्ड ने एलाउ कर दिया है।

(६) सर्वश्री सुभाषचन्द्र, मेवालाल, अब्दुल रहीम, श्रीमती सुन्दर देवी और श्रीमती गिनोदेवी द्वारा अनियमित तौर से मकान बनाने पर उनको प्रासीक्यूट किया गया था, मगर बोर्ड ने उक्त व्यक्तियों से अर्थ-दंड लगाकर समझौता कर लिया।

(७) छज्जे के बाई-लाज की धाराओं के विरुद्ध बोर्ड ने श्रीमती सुखदेवी की कुछ म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन पर निर्माण करने की दरख्वास्त मंजूर कर दी।

(८) सर्वश्री मोहम्मद यासीन और तिलोक चन्द्र, बालकराम की जब्त की गयी जमानत को बोर्ड ने वापस कर दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये शिकायतें उनके पास कब आयीं और इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मार्च, १९६२ में शासन को ये शिकायतें प्राप्त हुईं और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से जांच होते-होते २२ जून, १९६२ को शासन ने नगरपालिका से स्पष्टीकरण मांगा, जिसकी जांच विचाराधीन है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि जौनपुर नगरपालिका में कोई अध्यक्ष सालभर से नहीं है और ये शिकायतें उस समय की हैं जबकि बोर्ड को चलाने के लिये एग्जिक्यूटिव आफिसर और अन्यान्य अधिकारी कार्य कर रहे थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सही हो सकता है, लेकिन इससे हमें कोई सीधा वास्ता नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत जो आयी है यह किन सज्जन की भेजी हुई है ? वह एक व्यक्ति है या कुछ लोगों के दस्तखत से आयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सदस्य हैं, पन्नालाल जी सोनकर।

स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग

**२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद), श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री शांतिचन्द (जिला गोंडा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव कब हो रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अभी आम चुनाव की तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

**३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री झारखंडेराय तथा श्री शांतिचन्द—क्या यह सही है कि इन चुनावों को कराने के लिये सरकार कुछ दिनों के लिये समय बढ़ा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रश्न नहीं उठता है ।

**४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री झारखंडेराय तथा श्री शांतिचन्द—अगर हां, तो समय से चुनाव न कराने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने जो अक्तूबर में चुनाव करवाने की घोषणा इस सदन में की थी, उसे टालने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अक्टूबर में तो शायद चुनाव हो नहीं सकेंगे, क्योंकि जो पिछला सेंसस हुआ है, उसकी वार्डवाइज फीगर्स जनसंख्या की, अभी हमारे अधिकारियों के पास पहुंच नहीं सकी है । इसलिये वार्डों को रिआर्गेनाइज करने में दिक्कत है । अक्टूबर में चुनाव नहीं हो सकेंगे, लेकिन नवम्बर, दिसम्बर में करवाने का विचार अब भी है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि सेंसस रिपोर्ट सरकार के पास आये हुये एक साल के करीब हो गया तो सरकार वह फीगर्स हासिल क्यों नहीं कर सकी, जिसकी मातहत एलेक्शन करवाने को कह रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इतनी डिटेल्स में उन लोगों के पास नहीं जा सकी हैं । यह दिक्कत है, ऐक्चुअली ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि यह चुनाव पिछले वर्ष अक्तूबर में होने चाहिये थे, लेकिन आम चुनाव को निगाह में रख कर यह चुनाव टाल दिये गये थे, तो सरकार द्वारा इस साल अक्टूबर या नवम्बर के पहले सप्ताह तक चुनाव न करवाने का क्या कारण है, यह क्यों नहीं हो पा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, पिछली बार तो इसलिये चुनाव रोक दिये गये थे, क्योंकि आम चुनाव थे । वैसे भी हमारी स्कीम यह है कि इन संस्थाओं के पांच साल के बाद चुनाव हों । चार साल बाद चुनाव करने में हर साल एक न एक चुनाव रहेगा । तो वैसे भी एक साल बढ़ता, लेकिन इस साल अभी तक कोई ऐसा निश्चय नहीं हुआ कि चुनाव नहीं करवाये जायेंगे ।

श्री झारखंडेराय—मंत्री जी क्या इस बात की स्पष्ट घोषणा करने की स्थिति में हैं कि उनकी स्कीम के मुताबिक अब यह चुनाव जनरल तरीके से किस महीने में हो जाने की उम्मीद पायी जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—महीने के विषय में अभी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि विभाग इस कोशिश में लगा है कि कांस्टीटुएंसीज इत्यादि का निर्माण शीघ्रतः उन मंशाओं को पूरा करने के लिये हो जाय जो कि विभिन्न व्यक्तियों की तरफ से, विभिन्न दलों और उनके नेताओं की तरफ से मांग की गयी है। जब कांस्टीट्युएंसीज का निर्माण हो जायगा, तो उसके उपरान्त घोषणा की जा सकेगी कि किस महीने में चुनाव हो सकेंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर इस बात को बतायेंगे कि यह बात सही है कि मंत्रिमंडल ने कर बढ़ती विरोध आन्दोलन की पृष्ठभूमि में इस चुनाव को टाल दिया है, अनिश्चित काल के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मंत्रिमंडल तमाम बोझों को अपने कंधों पर बरदाश्त करने की क्षमता और शक्ति रखता है और इसलिये वह चुनाव से कभी घबड़ाता नहीं है, चाहे अपने उत्तर-दायित्व को निभाने के लिये उसे टैक्स लगाना पड़े या उन नीतियों का निर्धारण करना पड़े जिन्हें विरोधी दल पसन्द न करें या जिनका विरोधी दल विरोध करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जब कि उत्तर में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा है कि नवम्बर में वह समर्थ हो सकेंगे चुनाव करवाने में और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हम समर्थ नहीं हैं, एलान नहीं कर सकते। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि दोनों में कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोनों में दोनों बातें सही हैं। माननीय मन्त्री जी प्रयत्नशील हैं, और उनका विभाग प्रयत्नशील है कि दिसम्बर तक या नवम्बर तक चुनाव हो जायं, लेकिन यदि कांस्टीट्युऐन्सीज का निर्धारण नहीं हो पाता है तो वह आज कोई ऐसी घोषणा कैटेगारिकली नहीं कर सकते हैं जिससे कि वह यह कह सकें कि अमुक महीने में ही चुनाव हो जायेंगे।

भिटहा में गर्भवती स्त्री श्रीमती सोमनारा को पीटने की घटना

***५—**श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ अगस्त, १९६२ को पुलिस अधीक्षक, जिला बस्ती के यहाँ यह रिपोर्ट हुई है कि ग्राम भिटहा, थाना मुन्डेरवा की एक गर्भवती महिला के ऊपर कुछ गुन्डों ने आक्रमण किया, उसे बुरी तरह पीटा फलस्वरूप पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—दिनाँक १२ अगस्त, १९६२ को नहीं, बल्कि दिनाँक १३ अगस्त, १९६२ को श्री गुरुदीन दास, पुत्र मानिक, निवासी ग्राम भिटहा भिखारी, थाना मुन्डेरवा ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बस्ती को भेजा जिसमें दिनाँक १२-८-६२ को श्री चिन्तामणि पाँडेय तथा चार और व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को मारने और उसकी औरत को ढकेलने, धमकाने, उसका गला दबाने, थप्पड़ों और मुक्कों से मारने के आरोप थे, पर पेट में बच्चा मरने की शिकायत नहीं थी। पुलिस ने जाँच की और आरोप निराधार पाये।

***६—**श्री श्यामलाल—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त महिला का डाक्टरी मुआयना कराया गया और उसका बयान लिया गया ? यदि हाँ, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—उपरोक्त महिला का डाक्टरी मुआयना दिनाँक १३ अगस्त, १९६२ को हुआ था, उसका बयान नहीं लिया गया। डाक्टरी मुआयना की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२७ पर)

श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या उक्त महिला के पेट में से मरा हुआ बच्चा निकला था या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, १६-८-५२ को जो बच्चा पैदा हुआ वह मरा हुआ पैदा हुआ था, यह सही है।

श्री श्यामलाल—यदि मरा हुआ बच्चा उक्त महिला के पेट से निकला तो क्या सरकार बतायेगी कि जो यह आरोप लगाया गया था वह किस आधार पर गलत बताया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह आरोप इस आधार पर गलत है कि जो डाक्टरी रिपोर्ट है उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह बच्चा जो मरा हुआ निकला वह किसी मारपीट के कारण निकला।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मारपीट की जो रिपोर्ट हुई थी, उसके कितनी देर के बाद यह बच्चा पेट में से निकाला गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी बताया गया कि १६ तारीख को निकाला गया है और मारपीट की रिपोर्ट १२ की है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वह बच्चा जो मरा हुआ निकला, उसका पोस्टमार्टम कराया भी गया था ? यदि हाँ, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। वह तो जब मरा हुआ पैदा हुआ तो उसका क्या पोस्टमार्टम होता ?

श्री श्यामलाल—उक्त महिला का बयान क्यों नहीं लिया गया, यह सरकार बतायेगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जब उसका दाखिला हुआ अस्पताल में उस समय उसने कहा था कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन जब डाक्टरी रिपोर्ट हुई तो उसमें था कि उसे चोट नहीं लगी थी और इसके अलावा १२ ता० को जो एफ० आई० आर० लिखायी गई थी उसमें उसने उस स्त्री के साथ मारपीट का जिक्र नहीं किया था। लिहाजा उसके बयान की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—यह मारपीट की घटना किस वजह से हुई यह सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—एक जमीन का झगड़ा था। वह यह कह रहा था कि उसकी जमीन है, लेकिन जब जाँच की गई तो मालूम हुआ वह जमीन उसकी नहीं थी, गाँव समाज की थी।

श्री धनुषधारी पांडेय का चालान

**७—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिले के किसी भूतपूर्व विधायक का चालान पुलिस ने किया है ? यदि हाँ, तो वह कौन हैं और किस अभियोग में उनका चालान हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—जी हाँ। ८ अगस्त, १९६२ को श्री धनुषधारी पाँडेय, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य का चालान धारा ३५३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पुलिस ने किया है।

**८—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या उपरोक्त भूतपूर्व विधायक बस्ती जिले के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव वर्तमान सरकार में भी है और वे उस प्रभाव का प्रयोग बस्ती जिले के पुलिस कप्तान का तबादला कराने के लिये कर रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—बस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक के तबादले का प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर उन परिस्थितियों पर भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनमें कि यह चालान हुआ ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह कहा जाता है कि ३० जून को पाँडेय जी अपनी एक गाड़ी के अन्दर खलीलाबाद से मेंहदावल को जा रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ता है जिसका नाम है बालू शासन। उस पुल पर पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से बैरियर लगा हुआ है। तो जब यह जा रहे थे, उनका कहना यह है कि इन्होंने चाहा कि यह टोल टैक्स न दिया जाय। जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे उन्होंने कहा कि टोल टैक्स देना पड़ेगा और बगैर टोल टैक्स दिये गेट नहीं खोलेंगे। इस पर झगड़ा हुआ। . बाद में उन्होंने टोल टैक्स दे दिया और उसके बाद वह चले गये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार पर यह जोर डाला जा रहा है कि सरकार वह मुकदमा उनके ऊपर से उठा ले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि क्या यह सूचना सही है कि वह मुकदमा उठा लिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं निवेदन कर दूं कि अल्पसूचित ताराँकित प्रश्नों को मैं सूची का एक अलग भाग समझता हूं। अगर उसमें से कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको मैं दूसरे ताराँकित प्रश्न प्रारम्भ करने से पहले समाप्त कर दूंगा।

हरदोई राजकीय दीक्षा विद्यालय के स्थानान्तरण पर विचार

**९—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई राजकीय दीक्षा विद्यालय को तोड़ देने के लिये जून सन् १९६२ में कोई राजकीय आदेश दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—जी नहीं।

**१०—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एच०टी०सी० प्रथम वर्ष उत्तीर्ण ७४ छात्र कहां अध्ययन करने हेतु भेजे जाने वाले हैं ?

श्री केशभान—प्रश्न संख्या १ के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता।

**११—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दीक्षा विद्यालय का सब स्टाफ भी अब तक बेकार बैठा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री केशभान—प्रश्न संख्या १ के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि क्या इस स्कूल को किसी दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने का आदेश दे दिया गया है ?

श्री केशभान--स्थानान्तरित करने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह विचाराधीन जो बात थी वह समाप्त हो गई या अब भी विचाराधीन ही है ?

श्री केशभान--अभी विचाराधीन ही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस संस्था में पढ़ने वाले छात्राध्यापक, जो पुराने प्रथम वर्ष के थे और इस साल के जो प्रवेश पाये थे तो उन सब की पढ़ाई हो रही है या बन्द है ?

श्री केशभान--जो सर्वप्रथम पारसाल पढ़ते थे उनकी पढ़ाई तो इस समय हो रही है और वहां पर जूनियर ट्रेनिंग स्कूल भी उसी कालेज में चल रहा है और जे० टी० सी० का फर्स्ट ईयर भी उसमें ही चलने वाला है।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के विस्थापितों की समस्या

**१२--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजियाबाद Master Plan के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिये ६५० एकड़ भूमि का कब्जा लैंड एक्वीजीशन आफिसर ने ले लिया है जिससे सौ के करीब किसान परिवारों के बिलकुल बेकार हो जाने की सम्भावना है ? सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये क्या योजना बनाई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--गाजियाबाद में मास्टर प्लान के अन्तर्गत इंडस्ट्रियल स्टेट के लिये नहीं वरन् एक इन्डस्ट्रियल एरिया की स्थापना हेतु ६५६.२९९८ एकड़ भूमि के अर्जन के निमित्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ६ तथा १७ की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और इसमें से लगभग ५१७ एकड़ भूमि पर कब्जा हो चुका है।

विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन हेतु कोई विशेष योजना तो अभी नहीं बनाई गई है, किन्तु यह अपेक्षित है कि इन्डस्ट्रियल एरिया में उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र के बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री तेजसिंह--मैंने अपने प्रश्न में यह बतलाया है कि तकरीबन १०० परिवार ऐसे हैं जिनके पास रोजगार का कोई धन्धा नहीं रहता। तो क्या माननीय मन्त्री जी ने यह कोशिश की है कि यह पता लगाया जाय कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी सब की सब भूमि ले ली गई है और उनके पास रोजगार का कोई धन्धा नहीं है ?

श्री बनारसीदास--इसकी तो अभी विस्तृत रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो मंगाई जा सकती है कि कितने किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी भूमि ले ली गई।

श्री तेजसिंह--क्या सूचना मन्त्री को यह ज्ञात है कि जुलाई के आखिर में किसानों का एक डेपुटेशन माननीय मुख्य मन्त्री से इसी सम्बन्ध में मिला था और माननीय मुख्य मन्त्री ने उनको यह आश्वासन दिया था कि उनके पुनर्वास का ख्याल रखा जायगा। अगर हां, तो उनके लिये अभी तक कोई खास योजना क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डेपुटेशन अवश्य मिला था और इस तरह के लोग अक्सर मुझसे मिलने आते हैं जिनकी जमीन ली जाती है और जैसा मैं उन से निवेदन करता हूं वही मैंने उनसे भी निवेदन कर दिया था। वह यह था कि हमारी कोशिश होगी कि जो लोग इन्डस्ट्री लगायें उस जमीन पर, वह यदि उस किसान के बच्चे, बालक, बालिकायें, कोई भी यदि उपयोगी हों, शिक्षित हों, स्किल्ड या अनस्किल्ड हों, उन्हें उसमें रखने में प्राथमिकता दी जाय। यह इस सरकार का आदेश सभी इंडस्ट्री चलाने वाले व्यक्तियों को इस सिलसिले में दिया जा चुका है, चाहे वह इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। और सरकार उन तमाम व्यक्तियों से, जो इन इंडस्ट्रीज के संचालक हैं, यह आशा रखती है कि इन आदेशों के अनुसार वे उन विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को या स्वतः उनको उन इंडस्ट्रीज में जगह देने में प्राथमिकता देंगे जिनकी जमीनों पर वे इंडस्ट्री लगायी जायंगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह तो उनकी इच्छा पर है कि वे उनको नौकरियों में रखें या न रखें, क्या उनके पुनःस्थापन के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार अवश्य विचार करेगी अगर उन इंडस्ट्रीयल स्टेट में ही वे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिये वह जगह भी देगी और वह सहायता भी देगी जो उन के लिये आवश्यक होगी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि हमारे देश और प्रदेश में जमीन पर भार बहुत है और जमीन लेने में किसानों की तरफ से रेजिस्टेंस काफी होता है, क्योंकि मुआवजे का रेट कम है, तो क्या इस बात की वे व्यवस्था करेंगे कि नियमों में कोई ऐसा चेंज किया जाय कि जिससे मुआवजे का रेट बाजार रेट के करीब तक पहुंच जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहांतक गाजियाबाद के सिलसिले में मुझे जानकारी है, अवश्य कुछ अधिक सहानुभूतिपूर्वक मुआवजा देने के विषय पर विचार किया है और मेरे साथी और सहयोगी श्री विचित्रनारायण शर्मा जी, जो इस विषय को देख रहे हैं, कदाचित् उनकी भी उन के ऊपर सहानुभूति की दृष्टि है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---लैंड एक्वीजीशन के सिलसिले में, जैसा झारखंडे जी ने कहा, सरकार को उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कत है और उसकी वजह से विकास के कामों में बड़ी बाधा पड़ती है। इसे देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि उनको नौकरी देने के अलावा यह भी प्रयत्न किया जाय कि जो हमारा लैंड एक्वीजीशन में कम्पेन्सेशन का रेट है वह अन्य प्रदेशों, जैसे दिल्ली या बिहार की समता में कर दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि उसमें कोई अन्तर है तो अवश्य मैं विभाग के मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका अध्ययन करें और उसे संतुलन में लाने की चेष्टा करें जिसके द्वारा कि यहां के किसानों को भी जो जमीन उनसे ली जाय उसके बदले में एक न्यायसंगत मुआवजा दिया जा सके।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट बहुत पुराना है और जिस समय यह ऐक्ट बना था, संभवतः गवर्नमेंट को यह अन्दाजा होगा कि इतनी जमीन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन योजना काल में सरकार को इतने बड़े पैमाने पर जमीनें लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये इस बात को देखते हुए क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है कि कानून के मातहत किसानों की जमीनें इतने बड़े पैमाने पर अनिवार्य रूप से ले और उसे बाध्य होकर उनके फिर से पुनर्वास की कोई व्यवस्था करनी पड़े ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अखबार में पढ़ रखा है कि केन्द्रीय सरकार इस ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहती है और कुछ व्यापक ढंग से इसके ऊपर विचार करके इसे फिर से बनाना चाहती है। जब वे नियम सरकार के समक्ष आ जायेंगे तो सरकार इस दृष्टिकोण पर भी विचार करेगी जो दृष्टिकोण माननीय सदस्य ने इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डेपुटेशन मुख्य मन्त्री जी से मिला था, उसने इस बात की शिकायत की थी कि गाजियाबाद में जो बाजारू रेट है जमीन का उसके मुकाबले, जो मुआवजा मिल रहा है, वह बहुत कम है। इसलिये क्या वे उसी रेट के मुताबिक दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उसे इग्जामिन किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि गाजियाबाद के किसानों का जो डेपुटेशन अभी हाल ही में प्रधान मन्त्री जी से मिला था। तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डेपुटेशन अवश्य मिला है, और प्रधान मन्त्री जी करीब-करीब ३–४ पत्र किसी न किसी विषय के मुझे रोज भेजते ही हैं। इस विषय में भी उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि कोशिश यह होनी चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों की जिनकी जमीनें ली जायें, उनके विषय में अवश्य मुआवजे के सिलसिले में विचार किया जाय, क्योंकि जमीनें तो लेना अनिवार्य है, यदि उद्योगीकरण करना चाहते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सरकारी दफ्तरों के एक स्थान पर रखने की नीति

*१—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय हेतु भवन तथा उनके कर्मचारियों के आवास-गृह समीप-समीप निर्माण करने की किसी योजना के बारे में कोई निश्चय किया है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामनारायण पांडेय)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। सवाल तो पालिसी मटर का है, सूचना एकत्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने यह तो पूछा नहीं कि कौन बनायेगा, कहां बनेगा, कब कब बनेगा। मैंने तो यह पूछा कि क्या-क्या स्कीम है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि लखनऊ का ताल्लुक है, इस शहर में मकान सरकारी बनाने का काम इस्टेट डिपार्टमेंट का है, लेकिन जहां तक और शहरों का ताल्लुक है इस बात के जानने की जरूरत हुई मुख्तलिफ जो विभाग हैं उनके हेड्स से कि ऐसी कोई चीज तो नहीं करने जा रहे हैं।

जहां तक माननीय झारखंडेराय जी ने पालिसी का मामला बताया, गवर्नमेंट की पालिसी यह जरूर है और वह विचार कर रही है कि हर शहर में जो केन्द्रीय स्थान हों वहां पर सब-सरकारी दफ्तर एक जगह रहें ताकि लोगों को सहूलियत हो, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के मकान भी उन दफ्तरों के पास बनाये जायें।

*२–३—**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—[२५ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में राजनीतिक पेंशन

ां संख्या *५९ रिम उत्तर की तिथि १-७-६२

*४—श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सुल्तानपुर में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है और प्रति वर्ष कितना रुपया इस पेंशन में व्यय होता है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सुल्तानपुर जिले में २१ राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है और इसमें ९,९२४ रु० वार्षिक व्यय होता है।

[४ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले में ड्रेनों पर पुल निर्माण योजना

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी के हरिनाथपुर ड्रेन में गांव बरई (नैपुरा) पर एक पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार परगना कोल-असला तहसील व जिला वाराणसी के ड्रेन मच्छाताल में बसनी गांव (चनौली) पर तथा उसी ड्रेन में गांव राजपुर (नपेपुरा) पर पुल तथा कनकपुर पर एक पुल बनाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—तीनों स्थानों पर छोटे पुल (Foot Bridges) पैदल आदमियों और पशुओं के आने-जाने के लिए बनाना प्रस्तावित है।

*३—श्री ऊदल—क्या सरकार पिंडरा कोट ड्रेन जो मच्छाताल से निकलती है उसकी शाखा (कजरहिया नाले) को खोदने तथा बेलवां में और पिंडरा में (मानापुर) में पुल बनाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—कजरहिया नाले को खोदने का कोई विचार नहीं है। ग्राम बेलवं में पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कजरहिया ताल का पानी ग्राम समाज द्वारा श्रमदान से लगभग २ १/२ फर्लांग लम्बी ड्रेन बना कर सुविधापूर्वक राजकोटा पिंडरा ड्रेन में निकाला जा सकता है। ग्राम मानापुर के पास एक छोटा पुल (Foot Bridge) पैदल आदमियों तथा पशुओं के आने जाने के लिए बनाना प्रस्तावित है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रस्तावित ३ पुल हैं यह कब तक बन जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—वह तो शीघ्र ही बनने के लिये हैं।

श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह महराजकोट पिंडरा ड्रेन और मच्छाताल ड्रेन को रेलवे लाइन की पूर्व की तरफ से नहीं खोदा गया है। क्या सरकार उसको उस तरफ से खोद कर नाद नदी में मिलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यदि वे उसे लिखकर देने की कृपा करेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा। उसे देख लेंगे।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि महाराजकोट ड्रेन की शाखा कजरहिया ड्रेन है जो मच्छाताल का ज्यादा पानी निकाल सकती है ? तो क्या सरकार उसको खुदवाकर बड़े ताल से पानी निकालने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जहां तक सूचना है इसी नदी से ही उस क्षेत्र का पानी निकाला जायेगा, इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं है।

परिवहन विभाग, गोरखपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें परिवहन विभाग, गोरखपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध दुर्व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों का खुला पत्र दिनांक १३ अप्रैल, १९६२ का रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश (गोरखपुर रीजन) आजमगढ़ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---आरोपों की जांच की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को जो खुला पत्र डी० एम०, गोरखपुर के खिलाफ मिला है, उसमें कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री गनेशीलाल---आरोप इस प्रकार हैं। १२ से १४ घंटे की ड्यूटी लेना, उनके छुट्टी में एवजी न रखना, आधे दिन कन्डक्टर से रोडवेज बे-साइड स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क का काम लेना, कर्मचारियों को भत्ता नाइट आउट एलाउन्स न देना, बस स्टेशन पर चौकीदारों की नियुक्ति न करना, गाड़ियों का ठीक रख रखाव न होना, गाड़ियों का ठीक टाइम पर से न चलना, मेले में भेजे गये कर्मचारियों की जगह पर एवजी न रखना, श्री दीक्षित, स्टेशन इन्चार्ज, गाजीपुर द्वारा कर्मचारियों को मारना और धमकाना, कर्मचारियों के वेतन से मुनासिब और गैर-मुनासिब कटौती करना, सालाना तरक्की न देना और ए० टी० आई० लोगों को ठीक वक्त से भत्ता नहीं देना, ड्राइवरों का टेक्निकल इम्तिहान न लेना, गैर-मुनासिब सजायें देना और रिकवरी करना, गलत तरीके से कर्मचारियों को निकाल देना, बलिया में बसों की दो साल से धुलाई न होना, नये पुर्जे का बसों में जरूरत के वक्त न लगाने से उनकी हालत का खराब होते जाना, स्टोर वाहन नं० २४४२ पर गत एक वर्ष में १०,१० हजार मील चलकर चार इंजनों का खराब हो जाना, बस स्टेशनों पर स्टेशनरी का न होना, बलिया में ३०० बोरी सीमेंट का खराब हो जाना, जनरल मैनेजर का बेईमानी से टी० ए० बनाना, सरकारी गाड़ी का गैर-मुनासिब इस्तेमाल करना, सरकारी फर्नीचर का जनरल मैनेजर द्वारा घर पर इस्तेमाल करना आदि, यह आरोप हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय परिवाहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री गनेशीलाल---परिवहन आयुक्त द्वारा कराई जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वह स्वयं जांच कर रहे हैं या किसी जी० एम० से या किसी समकक्ष अधिकारी से जांच करा रहे हैं ?

श्री गनेशीलाल---हमारा माध्यम तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही है, वह, जिसके द्वारा मुनासिब समझें, जांच करा लें।

मिश्रौली ग्राम के ठेकेदारों का प्रार्थना-पत्र

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री मिश्रौली ग्राम (आजमगढ़) के ठेकेदारों के कामों के भुगतान के विषय पर ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच करने वाले अधिकारी ने प्रार्थी से जानकारी हासिल की कि नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रार्थना-पत्र दिनांक ९—६—६० की जांच अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बलिया द्वारा की गई और उन्होंने ठेकेदार से पूछ-ताछ भी की।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदार ने लिखित क्या बयान दिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—२ पन्ने का है। कहें तो सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी संक्षेप में उसे बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से सन् १९५५ में जो उन्होंने काम किया वह ८,५०० रुपये का अधिक होता था। उसकी जांच हुई। सन् १९५७ में जब शिकायत की गई तो जांच हुई। उससे पहले उन्होंने लिख कर फारगती दे दी थी कि सारे काम का पैसा मिल गया। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा शिकायत की तो उन्होंने फिर वही कहा कि ४,५०० रु० का अतिरिक्त काम कर चुके हैं, जो कि न कहीं स्थापित हुआ और न उसका कहीं रेकार्ड ही है। जब एक बार पेमेंट नहीं मिला था जैसा उन्होंने कहा, तो उन्हें फिर बिना वर्क आर्डर के काम ही नहीं करना चाहिये था।

रोडवेज, क्षेत्र गोरखपुर के सुपरसीडेड कर्मचारी

*६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने कर्मचारी गोरखपुर रीजन से हरिद्वार कुम्भ मेले में भेजे गये और उनके स्थान पर कितने नये कर्मचारी उनकी जगहों पर काम करने के लिये रखे गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—१७० कर्मचारी भेजे गये और ८२ नये कर्मचारी रखे गये।

*७—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में कितने सुपरसीडेड कर्मचारी हैं और उनकी सीनियारटी क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२८—९३० पर)

दिल्ली में यू० पी० हाउस

*८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दिल्ली में यू० पी० हाउस बनाया गया है उसमें इस सरकार का क्या व्यय हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—३,९४,६८४ रु० व्यय हुआ है।

*९—श्री गनेशचन्द्र काछी, श्री मैनेजरसिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त यू० पी० हाउस में विधायक भी ठहर सका करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी---दिल्ली में यू० पी० हाउस में विधायकों को ठहरने की इजाजत देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---इसमें कठिनाई का सवाल नहीं है। यह पालिसी का प्रश्न है।

श्री गेंदासिंह---क्या वह कोई गोपनीय पालिसी है ?

श्री राममूर्ति---सरकार के मेम्बर, जो डिपार्टमेंटल हेड्स किसी काम से जाते हैं वे और थोड़े दिनों से हाई कोर्ट के जज या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ड्यूटी से जावें, इस तरह के लोगों को इजाजत दी गई है। और कोई अगर इजाजत चाहता है और सरकार मुनासिब समझती है तो दे देती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जब एम० एल० ए० भी क्लास वन आफ़ीसर माने गये हैं और क्लास वन अफ़सर वहां ठहर सकते हैं तो एम० एल० ए० को इजाजत देने पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एम० एल० ए० दिल्ली ड्यूटी पर तो जाते नहीं हैं। यह इंतजाम तो उनके लिये किया गया है जो ड्यूटी पर जाते हैं।

श्री गेंदासिंह---जब वहां कमरे खाली हों और असेम्बली के सदस्य किसी ड्यूटी पर, जैसे किसी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से, वहां जावें तो वे जाकर ठहर सकते हैं, क्या किराया देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जब ड्यूटी पर कोई जायगा और वह सरकार को लिखेगा तो सरकार विचार करेगी।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में कण्डक्टरों का स्थायित्व

*१०---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर, रोडवेज, गोरखपुर ने डी० ओ० संख्या जी-आर/ई० एस-टी/I-७८/१३४४७-बी-६१, दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ को भूतपूर्व विधायक, श्री अब्दुर रऊफ लारी को सुपरसीडेड कन्डक्टर्स के मुस्तकली तथा पदोन्नति के विषय में लिखा था ? यदि हां, तो वह क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गनेशीलाल---जी हां। पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। नियमानुसार उक्त कंडक्टरों की तरक्की व मुस्तकली कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

*११---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रीजन रोडवेज विभाग में ऐसा कोई आदेश हुआ है जिसके अनुसार १९५७ तक भरती हुये कन्डक्टर्स इत्यादि के लिये हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गनेशीलाल---कंडक्टर इत्यादि के लिये शुरू में हाई स्कूल पास होना जरूरी नहीं था। मार्च, १९५७ के बाद से कंडक्टरों की नई भर्ती के लिये हाई स्कूल पास होने की शर्त लगा दी गई है।

*१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कन्डक्टर्स से ए० टी० आई० के पदोन्नति हेतु कोई आदेश उत्तर प्रदेश के रीजनल जनरल मैनेजर्स रोडवेज विभाग को दिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्री गनेशीलाल—ए० टी० आई० के रिक्त पदों में से ४० प्रतिशत को भर्ती कंडक्टरों को पदोन्नति द्वारा किये जाने के आदेश जनरल मैनेजर्स को २ दिसम्बर, सन् १९६१ को भेज दिये गये ह। चुनाव कमेटी (Selection Committee) द्वारा इन पदों को भर्ती समय-समय पर की जावेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने कंडक्टरों को मुअत्तल किया गया और कितनों की तरक्की की गई ?

श्री गनेशीलाल—इन प्रश्न से सम्बन्धित १७ व्यक्ति हैं जिनमें से श्री अयोध्या प्रसाद ने तरक्की मंजूर नहीं की है। श्री मुहम्मद खां का रेकार्ड खराब है। बाकी की तरक्की या तो हो रही है या हो जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या अयोध्या प्रसाद जी ने कोई लिखित पत्र दिया ह कि क्यों वह इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं ?

श्री गनेशीलाल—इसकी सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल—पहले सरकार ने कन्डक्टर की योग्यता नान-मैट्रिक रखी थी और सन् १९५६ में मैट्रिक कर दी। तो क्या सरकार नान-मैट्रिक कन्डक्टरों को हर तरह की छूट, जैसे शिक्षा की और वेतन बराबर करने की, देने पर विचार करेगी ?

श्री गनेशीलाल—जो नान-हाई स्कूल कन्डक्टर पहले से हैं वे बराबर एम्प्लायड हैं ही। बाकी के लिये सरकार देखेगी कि क्या हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो हाई स्कूल फेल सन् १९५७ के हैं और उसके बाद के हाई स्कूल पास के वेतन-क्रम क्या अलग-अलग हैं ?

श्री गनेशीलाल—सूचना की आवश्यकता है ।

बाढ़ निरोधक कार्यों की अनुमानित लागत

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ६७ करोड़ पया बाढ़ निरोधक योजनाओं पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में खर्च करने का विचार है उसमें से कितना-कितना रुपया किस-किस योजना पर किस-किस वित्तीय वर्ष में खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति—यह ६७ करोड़ रुपया तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नहीं खर्च होना है बल्कि यह बाढ़ निरोधक कार्यों के (Master Plan) की अनुमानित लागत है जो धन उपलब्धि के अनुसार कई पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया जायेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ निरोधक कार्यों पर ५७५.२०२ लाख रुपया व्यय करने का विचार है।

*१४—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि नदियों से गाँवों के कटाव रोकने के लिये कौन-कौन-सी विधि सरकार सफल समझती है और उसका सफल परीक्षण किस-किस स्थान पर हुआ है ?

श्री राममूर्ति--नदियों से गाँव के कटाव को रोकने के लिये निम्नलिखित तरीके काम में लाये जाते हैं--

(1) Permeable Spurs.
(2) Impermeable Spurs.
(3) Hanging Spurs.
(4) Marginal Embankments.
(5) Pucca Revetments.

उपरोक्त सभी तरीके अपनी प्रावैधिक उपयुक्तता के अनुसार राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, जहाँ आवश्यकता होती है, काम में लाये जाते हैं।

*१५--श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार राप्ती जल कुण्डी योजना बना चुकी है? यदि हाँ, तो अब तक इसकी क्या प्रगति है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--जलकुंडी बाँध की जगह नैपाल राज्य में पड़ती है। मार्च, १९६१ में नैपाल राज्य की अनुमति मिलने पर ही प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया जा सका। उस सर्वेक्षण के आधार पर अब एक प्रारम्भिक तखमीना बनाया जा रहा है।

पोखरी से पानी न चलाने की शिकायत

*१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बस्ती थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासियों का १७ अप्रैल, १९६२ का लिखा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें पोखरी से पानी न चला देने की शिकायत की जाँच की माँग की गई है? यदि हाँ, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--एक प्रार्थना-पत्र मेरे पास भी आया है जिसमें लिखा है कि माननीय मुख्य मन्त्री और जिलाधीश को इसकी प्रतिलिपियाँ भेज दी गई हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फिर से इसकी जाँच करावेगी कि यह प्रार्थना-पत्र क्या है और किसने इसकी जाँच की है, और इस तरह का उत्तर क्यों दिया जा रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि फिर से जाँच हो तो वह इसकी प्रतिलिपि दे दें तब उचित कार्यवाही की जायगी।

हाथिन ग्राम का नलकूप

*१७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि हाथिन, जिला फर्रुखाबाद में एक नलकूप काफी अरसे से बना है? लेकिन अभी तक कोई उससे सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं की गयी है और नालियों का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है?

*१८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--अगर हाँ, तो सरकार इस तरफ ध्यान देकर शीघ्र ही अधूरे कार्य को पूरा करके सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--जी हाँ। ग्राम हाथिन, जिला फर्रुखाबाद में एक नलकूप का निर्माण-कार्य फरवरी, १९६२ में आरम्भ हुआ था और मई, १९६२ में पूर्ण हो गया था परन्तु बिजली न मिलने के कारण अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। एक मील लम्बी कच्ची नाली बन चुकी है। पक्की नालियों का निर्माण नलकूप के चालू होने के बाद किया जायगा। सिंचाई की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के लिये प्रयत्न जारी है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कुएं के लिये बिजली कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सम्भव है इसी पखवारे में मिल जाय ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नलकूप कब बन कर तैयार हो गया था ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि मई, सन् १९६२ में ।

*१९—**श्री गणेशचन्द्र काछी**—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२०–२२—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले में नहरी जमीन का मुआवजा

*२३—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत सरकार द्वारा सिंचाई के लिये जितनी नहरें निकाली गयी हैं उनमें अधिकाँश किसानों को अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है ?

श्री राममूर्ति—बलिया जनपद के अन्तर्गत सरकार द्वारा सिंचाई के लिये जितनी नहरें निकाली गई हैं उनके अधिकाँश किसानों का मुआवजा बाँट दिया गया है ।

*२४—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (अनुपस्थित)—जिन-जिन किसानों का मुआवजा बाकी है क्या सरकार उसे मनीआर्डर द्वारा किसानों के पास भिजवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—केवल उन्हीं किसानों को मुआवजे की रकम मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकती है जिनकी ऐसी रकम ५० रुपये से ज्यादा न हो और उनके खाते में और कोई खातेदार न हो । जिन किसानों को मुआवजा मिलना बाकी है उन्हें नियत स्थान पर बाँटने के पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो उपयुक्त नियमानुसार भेजने की व्यवस्था की जावेगी ।

टिकरी खुर्द गांव में नलकूप लगाने की स्वीकृति

*२५—**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जिला के परगना अथगाँवा के ग्राम हथियार से लगभग ५०० हस्ताक्षर सहित १९६१ में नलकूप लगाने के लिये कोई दरख्वास्त सरकार को दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हाँ ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—क्षेत्र का सर्वे करने के बाद एक नलकूप टिकरी खुर्द गाँव में प्रस्तावित किया गया है । ग्राम हथियार का असिंचित क्षेत्र भी इस प्रस्तावित नलकूप के कमान्ड में शामिल है ।

मैनपुरी के सरकारी वकील—श्री बिन्देश्वरीप्रसाद का अलग किया जाना

*२६—**श्री बृजेश्वरसहाय** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ६१ में कितने ऐसे केस हैं जिनमें श्री बिन्देश्वरी प्रसाद और श्री ज्ञान प्रकाश ने वकील सरकार मैनपुरी होकर सेशन कोर्ट, मैनपुरी में प्रासीक्यूशन किया और उनके क्या नतीजे हुये हैं ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—सन् १९६१ में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद ने सरकारी वकील की हैसियत से ३२ सेशन्स के मुकदमें प्रासीक्यूट किये, जिनमें से चार मुकदमों में अभियुक्तों को सजा हुई और २८ मुकदमों में अभियुक्त बरी कर दिये गये। श्री ज्ञान प्रकाश ने बहैसियत सरकारी वकील १९६१ में कोई सेशन्स ट्रायल प्रासीक्यूट नहीं किया।

*२७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसी दौरान में (सन् १९६१) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद व श्री ज्ञान प्रकाश ने पैनल वकील मैनपुरी होते हुए सेशन कोर्ट मैनपुरी में डिफेंड किया है और उसके क्या नतीजे हुये हैं और यह केस कौन से जज के इजलास में हुए हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२८—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे मुकदमे सेशन के हैं जिनमें सरकारी वकील मैनपुरी होने के नाते श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मैनपुरी के पास मुकदमें के सारे कागज भेजे गये और उन्होंने उनको पढ़ने के बाद मुकदमें की तारीख से एक या दो दिन पूर्व वह कागज यह कह कर वापस कर दिये कि मैं मुलजिम की तरफ से वकील हूं ?

श्री चन्द्रसिंह—सन् १९६१ में कोई भी ऐसा सेशन्स का मुकद्दमा नहीं है जोकि श्री बिन्देश्वरी प्रसाद को प्रासीक्यूट करने को भेजा गया हो और उन्होंने इस कारण वापिस कर दिया हो कि वह अभियुक्तों की ओर से उन मुकदमों में वकील हैं।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि श्री बिन्देश्वरी प्रसाद के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आयी है कि उन्होंने मुल्जिम से मिल कर केस को छुड़ाने की कोशिश की ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हाँ, ऐसी शिकायतें थीं और उनको अलहैदा भी कर दिया गया है।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सेशन्स कोर्ट के अतिरिक्त जजेज कोर्ट से कोई ऐसी शिकायतें भी आयीं कि जिन फाइलों को उनके पास भेजा गया उन को एक दिन पूर्व ही उन्होंने वापस कर दिया यह कह कर कि वे मुल्जिम के वकील हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जहाँ तक और मुकदमों का ताल्लुक है ऐसा तो मालूम नहीं देता कि जिनमें उन्होंने यह कह कर वापिस कर दिया हो कि मैं मुल्जिम का वकील हूं, लेकिन सन् १९६२ में दो मुकदमों में उन्होंने फाइल वापस जरूर कर दी थी।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या इस सम्बन्ध में कोई इंक्वायरी की गयी और यदि की गयी तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि बिन्देश्वरी प्रसाद को पेनल से अलहैदा कर दिया गया।

*२९-३०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कनैला ताल से नाला निकालने की योजना

*३१—श्री चन्द्रबली (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर, तहसील बाँसगाँव, परगना सिलहट तप्पा बभनौली के अन्तर्गत कनैला ताल से पानी निकासी के लिये नहर निकालने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हाँ, तो वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--कनैला ताल से पानी की निकासी के लिये एक नाला प्रस्तावित है। चूंकि इस नाले की लम्बाई ५ मील से कम होगी, उस पर मिट्टी का कार्य (earth work) श्रमदान द्वारा होना आवश्यक है। जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि इस प्रस्तावित नाले पर कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा।

*३२--**श्री चन्द्रबली** (अनुपस्थित)--उस नहर के निकालने से कितने बीघा खेतों में फसल खरीफ को लाभ पहुंचेगा?

श्री राममूर्ति--९० एकड़ फसल खरीफ को लाभ पहुंचेगा।

इटावा जिले में श्री शिवप्रकाश श्रीवास्तव का पैनल वकील के लिये चयन

*३३--**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में पेनल वकील, श्री अशर्फीलाल गुप्त की मृत्यु से रिक्त हुये स्थान को भरने के लिये वकील उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था? यदि हाँ, तो साक्षात्कार करने के लिये कौन-कौन से अधिकारी बैठे थे तथा उन्होंने किन आधारों पर किन व्यक्तियों को पेनल वकील बनाने की सिफारिश की है?

श्री सैयद अली जहीर--जी हाँ। इण्टरव्यू के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों बैठे थे।

*३४--**श्री सहदेवसिंह** (अनुपस्थित)--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रक्रिया किस नियम के अधीन अपनायी गयी?

श्री सैयद अली जहीर--जिलाधीश, इटावा ने एल० आर० मैनुअल के नियम १५६ के अनुसार सरकार को सिफारिशें भेजी थीं। इन सिफारिशों को बतलाना जनहित में ठीक नहीं है।

*३५--**श्री सहदेवसिंह** (अनुपस्थित)--क्या न्याय मन्त्री बतायेंगे कि किन महानुभाव को उक्त रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया और किन आधारों पर?

श्री सैयद अली जहीर--श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव उपर्युक्त नियम के पैरा ५ (ए) के मुताबिक चुने गये।

*३६-३८--**श्री मंगलदेव** (जिल आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर पांडेय**--[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४१--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा रोडवेज इमारत में खराबी

*४२--**श्री मतोलासिंह** (जिला बाँदा)--क्या सरकार को पता है कि बाँदा रोडवेज की इमारत जो बाँदा में अभी हाल में बनी है उसका फर्श बनने के बाद ही उखड़ गया?

श्री गनेशीलाल--सन् १९५९-६० में बस स्टेशन का जो फर्श बना था वह कहीं-कहीं टूट गया है।

*४३--**श्री मतोलासिंह**--सरकार ऐसे काम करने वाले ठेकेदार व ओवरसियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री गनेशीलाल--मामले की जाँच की जा रही है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कब से इंक्वायरी हो रही है ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, तारीख बताना तो मुश्किल होगा लेकिन यह निश्चित है कि इंक्वायरी हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रोडवेज की इमारत कब बनी थी ?

श्री गनेशीलाल—वित्तीय वर्ष १९५९-६० में यह इमारत बनी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सन् १९५९-६० में यह इमारत बनी थी तो इसके फर्श टूटने की खबर सरकार को कब मिली ?

श्री गनेशीलाल—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इमारत के अन्दर सरकार की कितनी लागत लगी और किस ठेकेदार के जरिये से यह इमारत बनवायी गयी थी ?

श्री गनेशीलाल—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जाँच करायी जा रही है वह किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री गनेशीलाल—इसकी जाँच विभाग द्वारा ही हो रही है और शीघ्र ही जाँच पूरी हो जायगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि कोई भी ठेकेदार जब किसी इमारत को बनवाता है तो जब वह इमारत किसी विभाग द्वारा ली जाती है तो उसकी जाँच विभागीय इंजीनियर द्वारा करा ली जाती है ? यदि हाँ, तो जब इस ठेकेदार ने वह इमारत विभाग को सौंपी तो उसकी जाँच पहले करा ली गयी थी या नहीं ?

श्री गनेशीलाल—जाँच करा ली थी और उस वक्त तो ठीक पायी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय केशरीप्रसाद जी ने पूछा था कि ठेकेदार का नाम क्या है, यह प्रश्न से सम्बन्धित है और ठेकेदार का नाम व उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है यह उनकी फाइल में होना चाहिये। तो मैं फिर जानना चाहता हूं कि ठेकेदार व ओवरसियर के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही हो रही है और कब से हो रही है ?

श्री गनेशीलाल—जैसा कि मैंने पहले कहा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

मुजफ्फरनगर में सरकार बनाम नवाबबेग मुकदमे के फैसले से संबंधित आदेश का पालन

*४४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुजफ्फरनगर के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, श्री आर० के० सिकरोरिया की अदालत में मुकदमा नं० २१५/१९६० जो भारतीय दंड विधान की धारा ४१९/४२० तथा १०९ के मातहत सरकार बनाम नवाब बेग आदि के नाम से चला था और जिसके फैसले में अभियुक्तों को निर्दोष घोषित किया गया था उसमें मजिस्ट्रेट ने फैसले के अन्तिम पैरे की एक प्रतिलिपि जिला कृषि अधिकारी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हाँ, सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही तथा गबन किये गये बीज के मूल्य को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

*४५—**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त फैसला हो जाने के बाद भी अभियुक्त नवाब बेग तथा हामिद बेग व सर्वश्री अल्लारखा, अनवार बेग, असगरजंग, जहारबेग तथा रहमत बेग आदि लोगों से जबरिया गल्ला वसूल करने की धमकियां दी जा रही हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

हेमपुर स्टेट फार्म से लकड़ी व भूसा मंगाने वाले आशुलिपिक की मुअत्तली

*४६—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हेमपुर स्टेट फार्म से विशालकाय ट्रक नं० यू० एस०जे० ८८९३ में लकड़ी व भूसा भर कर कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को लखनऊ भेजा गया है? यदि हाँ, तो किसकी आज्ञा से?

श्री चरणसिंह—हेमपुर फार्म से भूसा व लकड़ी लखनऊ को किसी उच्च अधिकारी को नहीं, वरन् जनरल मैनेजर के दफ्तर के आशुलिपिक के लिये आये थे तथा इस सम्बन्ध में जनरल मैनेजर द्वारा जाँच-पड़ताल की जा रही है। सम्बन्धित आशुलिपिक को मुअत्तल कर दिया गया है। उक्त सामान फार्म मैनेजर की आज्ञा से आया था।

सचिवालय के कूलर

*४७—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्षों सचिवालय के बरामदों में लगे पानी ठंडा करने के कूलर क्या हुए?

श्री राममूर्ति—पिछले वर्षों सचिवालय के बरामदों में लगे पानी ठंडा करने के कूलर अब भी बरामदों में लगे हैं परन्तु कुछ कूलरों के स्थानों में सुविधानुसार परिवर्तन कर दिया गया है।

अलीपुर माइनर में पानी की कमी तथा कल्याणपुर माइनर की स्वीकृति

*४८—**श्री जगन्नाथराव** (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं नहर से जो माइनर अलीपुर की शाखा जियरामऊ, जैरामपुर हृदयपुर होकर निकाली गयी है, पर्याप्त पानी नहीं दे पाती? क्या नहर विभाग के जिला इंजीनियर महोदय द्वारा उसकी जाँच व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अलीपुर माइनर में जो कि केराकत रजबाहा मड़ियाहूं जल शाखा से निकलती है जल-वितरण में कमी है। मुख्य रजबाहा केराकत में अलीपुर माइनर के हेड के नीचे एक झील बनाने का प्रस्ताव है जिसके बन जाने से केराकत रजबाहा का जल स्तर ऊंचा हो जावेगा और अलीपुर माइनर में पूरा पानी पहुंचने लगेगा।

*४९—**श्री जगन्नाथराव**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं विकास क्षेत्र में फतेहपुर, मुहम्मदपुर, अजोशी आदि गाँवों को सिंचित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—मड़ियाहूं विकास क्षेत्र में मीठेयार, कोठली अजौंसी, कल्याणपुर, वजीरपुर फतूपुर, मुहम्मदपुर, गनापुर, बैलगहनी और उगापुर, ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये मड़ियाहूं ब्रांच के मील ६६.२ फ० बाई पटरी से कल्याणपुर माइनर निकालने की योजना स्वीकृत हो चुकी है और उसका निर्माण-कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री जगन्नाथराव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह झाल कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बरसात के बाद जैसे ही सफाई के लिये पानी बन्द किया जायगा वैसे ही इसको बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी की कमी का कारण यह है कि शारदा सागर बाँध टूट गया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जल स्तर को ऊंचा करने के लिये यह किया जा रहा है।

मथुरा जिले में आगरा नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*५०—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के क्षेत्र में नहर आगरा ने फसल को पानी नहीं दिया जिससे गन्ने की फसल सूख रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में आगरा नहर से पानी किसानों की इच्छानुसार दिया गया। अतः पानी की कमी के कारण गन्ने की फसल सूखने का प्रश्न नहीं उठता है।

*५१—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि नहर विभाग के कर्मचारियों की शिथिलता के कारण पूरी फसल पर रजबहों में पानी नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं।

*५२—श्री लखीसिंह—क्या मन्त्री जी ऐसे रजबहों में समय पर पानी देने का आदेश देंगे जिससे किसान अपने मवेशियों को चारे की फसल पैदा कर सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रत्येक रजबह को वर्षा से पूर्व समय पर ही इच्छानुसार पानी दिया जाता रहा और किसानों ने अपनी इच्छानुसार चारा और अन्य खरीफ की फसल बोई है।

श्री लखीसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पानी की कमी के कारण जो गन्ने की फसल सूख गई है क्या उसकी भी आबपाशी वह वसूल करावेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—कोई फसल सूखी नहीं थी, होली के बाद पलेवा के लिये पानी लगा और जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है कोई कमी नहीं हुई।

श्री लखीसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फसल सूखने की कोई शिकायत उन के पास आई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—और कारणों से जो फसल सूखती है उसके लिये १०६ रुपये की मिनहाई दी गई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा उनके पास कोई शिकायती-पत्र आया है कि गन्ने की फसल सूखी है? और अगर वह आया है तो क्या उसकी जाँच कराई गई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से कोई सूखा नहीं है और जाँच करा ली गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से जिस की कि माननीय लखी सिंह ने चर्चा की है उस क्षेत्र में अधिक से अधिक और कम से कम कितनी कितनी बार गन्ने में पानी दिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---आप कहें तो मैं पूरी सूचना पढ़ दूं कई पन्नों में यह है? बाकी यह पानी तो रोस्टरिंग के हिसाब से दिया जाता है, एक सप्ताह तक दिया गया या २ सप्ताह तक दिया गया और उसके बाद १ सप्ताह का गैप हो गया, इस तरह से आवश्यकतानुसार पानी दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैंने पूछा था कि इस नहर से, जिसकी चर्चा उन्होंने की है, कितनी बार अधिक से अधिक और कम से कम पानी दिया गया?

श्री अध्यक्ष---वह कह रहे हैं कि बराबर पानी दिया जा रहा है? माननीय मन्त्री जी जरा साफ कर दें इसको।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---नहर से बराबर पानी दिया जाता रहा है और दिया जा रहा है।

मनकापुर बीज भण्डार के लिये गेहूं की खरीद

*५३---**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मनकापुर खंड विकास क्षेत्र, गोंडा के अन्तर्गत कौन-कौन प्रमाणित ग्रोवर्स (Registered growers) हैं जिनसे बीज खरीदा जाने का नियम है?

कृषि उप-मन्त्री (श्री शिवराजसिंह)---मनकापुर खंड विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाणित ग्रोवर्स हैं:---

(१) श्री राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
(२) कुंवर आनन्द प्रताप सिंह,
(३) कुंवर देवेन्द्र प्रताप सिंह,
(४) श्री बलदेव सिंह,
(५) श्री राम बहादुर पाँडेय,
(६) श्री उदय प्रताप सिंह,
(७) श्री शिवकांत त्रिपाठी,
(८) श्री उमा पाल सिंह,
(९) श्री अम्बिका प्रसाद पाँडेय,
(१०) श्री बृजलेश्वरी बख्श सिंह।

*५४---**श्री विजयसिंह**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ ई० में मनकापुर बेसिक सीड स्टोर पर कितना गेहूं का बीज खरीदा गया और वहां से कितना-कितना बीज हथियागढ़, उतरौला, बलरामपुर आदि स्थानों पर भेजा गया और क्या उसमें से काफी बीज उन स्थानों पर अभी पड़ा हुआ है? यदि हां, तो कितना-कितना बीज कहां-कहां पड़ा हुआ है और यह फाजिल बीज क्यों खरीदा गया?

श्री शिवराजसिंह—मनकापुर बेसिक सीड स्टोर पर सन् १९६१ में १२५९ मन शुद्ध गेहूं का बीज खरीदा गया। इसके अतिरिक्त उक्त सीड स्टोर पर ४२७ मन १० सेर गेहूं का बीज पहले से उपलब्ध था। कुल १६८६ मन १० सेर गेहूं का बीज जिन सीड स्टोरों पर भेजा गया तथा वहां जितना बीज वितरण के पश्चात् बाकी रह गया, उसके आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हैं।

फाजिल बीज नहीं खरीदा गया था बल्कि बीज वितरण कार्यक्रम के अनुसार ही खरीदा गया था। बीज बच जाने के निम्नलिखित कारण थे—

(१) अक्तूबर, १९६१ के द्वितीय सप्ताह में घनघोर वर्षा होने के कारण तथा नसेवी क्षेत्र होने के कारण गेहूं के बीज की मांग में कमी हुई।

(२) सहकारी बीज भंडारों ने जितने बीज की मांग की थी उसके अनुसार बीज नहीं उठाया।

(३) नई बीज वितरण पद्धति का प्रथम वर्ष होने के कारण कृषकों ने नई योजना को कम अपनाया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

*५५—श्री विजयसिंह—क्या उपरोक्त मनकापुर बेसिक सीड स्टोर पर किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदा गया जो रजिस्टर्ड ग्रोवर नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री शिवराजसिंह—जी हां। श्री परमेश्वरी सिंह जो कि रजिस्टर्ड ग्रोवर नहीं थे उनसे कानपुर १३ का १०० मन गेहूं का बीज खरीदा गया था क्योंकि उक्त किस्म का बीज अन्य रजिस्टर्ड ग्रोवर्स के पास उपलब्ध नहीं था और इसकी मांग अधिक थी।

श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संलग्न ब्लाक में नं० ६ में हथियागढ़ में २०० मन बीज भेजा गया और वह सब बच गया, तो इस गलत अन्दाजे के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, यह जो बीज की मांग सीड स्टोर्स से आयी थी वह अतिरिक्त बीज की मांग आयी थी। उन सीड स्टोर्स पर पहले से भी कुछ बीज मौजूद था। वह बीज वितरित हुआ और जो यहां से बीज गया वह वितरित नहीं हो पाया जिसके कारण पहले ही बता दिये गये हैं।

*५६—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७—श्री रामसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में सन् ५७ से अप्रैल, ६२ तक कितने ट्यूबवेल बनाये गये?

श्री राममूर्ति—२७ नलकूप निर्मित किये गये हैं।

कृषि तथा पशु पालन विभाग, मैनपुरी के कर्मचारी

*५८—श्री रामसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे ह उनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग से हैं?

(क) वेटेरिनरी स्टाकमैन,
(ख) कम्पाउन्डर,
(ग) चपरासी,
(घ) क्लर्क।

नोट—तारांकित प्रश्न ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---कृषि तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मैनपुरी जिले के कर्मचारियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आग पृष्ठ ९३३ पर)

*५९---श्री मतोलासिंह---[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

अल्मोड़ा-रानीखेत-काठगोदाम मार्ग पर ड्राइवरों की हड़ताल

*६०---श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा-रानीखेत-काठगोदाम मार्ग पर सरकारी बसों के ड्राइवरों द्वारा हड़ताल जून, १९६२ में की गयी ? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे तथा इससे सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां । कुछ कर्मचारियों के तबादले कुमाऊं रीजन के बाहर कर दिये जाने के कारण यह हड़ताल की गयी । इस हड़ताल के कारण सरकार को लगभग २४,३०८ रु० की हानि हुई ।

पिपराघाट से गुजरने वाली बसों के किराये में वृद्धि

*६१---श्री झारखंडेराय---क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि बलिया जिले में चितबड़ा गांव के पास पिपराघाट लकड़ी के पुल पर रोडवेज बसों को कोई पुल-चार्ज नहीं देना पड़ता परन्तु जनता से रोडवेज बसें प्रति व्यक्ति गत २ मास से २८ नया पैसा वसूल कर रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---रोडवेज बसों को फेरी टैक्स देना पड़ता है जो १५ जून तक २५ नये पैसे और १६ जून से ३७ नये पैसे प्रति यात्री वसूल हो रहा है ।

*६२---श्री झारखंडेराय---क्या परिवहन मंत्री इस किराया वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यात्रियों से फेरी टैक्स की वसूली मई, १९६२ से अदालती फैसले के अनुसार शुरू हुई । किराये की दर बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६३---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त पुल पर पुल चार्ज प्रति व्यक्ति ५ नया पैसा जनता से वसूल किया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां । ऐसा यात्री-कर ठेकेदार द्वारा जनता से वसूल किया जाता है जिसका रोडवेज से कोई संबंध नहीं है ।

रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय

*६४---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय को कृषि विभाग से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

टिड्डी आक्रमण के विरुद्ध सावधानी

*६५---श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशीय सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अगले कुछ महीने में टिड्डियों का भीषण हमला प्रदेश पर राजस्थान तथा पंजाब की ओर से होने वाला है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जी हां। सरकार ने टिड्डी विनाश के लिये लगभग ११.१० लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति प्रदान की है जिससे १८०० टन टिड्डी विनाशक जहर तथा १९०० मशीनें खरीद कर सब जिलों में बांट दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि रक्षा सेवा की लगभग ४,५०० मशीनें तथा २०० टन टिड्डी विनाशक जहर इस कार्य के लिये तमाम जिलों में वितरित हैं। कृषि रक्षा सेवा के लगभग ४०० कर्मचारी तथा १४ मोटर गाड़ियां टिड्डी विनाशक कार्य में जुटे हैं। प्रत्येक जिले में जिलाधीश के अधीन सब कर्मचारी तथा पंचायतों के सदस्य और ग्रामीण जन-समुदाय भी आवश्यकतानुसार टिड्डी विनाशक कार्य में लगे हैं। सरकार ने अभी हाल में कृषकों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि रक्षा के लिये मशीनें आदि खरीदने के लिये ६,३४,४०० रुपये के ऋण की भी स्वीकृति दी है जिससे भी टिड्डी विनाशक कार्य में मदद मिलेगी।

*६६--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--[१० वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६७--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

मुकदमों की सुनवाई में काज लिस्ट की पाबन्दी

*६८--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--क्या न्याय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया था कि दीवानी व फौजदारी अदालतों में रोजाना होने वाले मुकदमों की लिस्ट (cause list) सम्बंधित अदालतों के बाहर टांगी जावें और उसी क्रम से मुकदमों की आवाजें लगाई जावें? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश का पालन करवाने के लिये कड़ा कदम उठायेगी?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसे आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं बल्कि General Rules (Civil) में दीवानी अदालतों के लिये इस बारे में नियम पहले ही से हैं किन्तु फौजदारी अदालतों के लिये ऐसे नियम नहीं हैं।

दारुलशफा बी० ब्लाक के मोटर गैरेज

*६९--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दारुलशफा बी-ब्लाक में कितने मोटर गैरेज सरकारी हैं और वह इस समय किन किन विधायकों के नाम allot किये गये? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री राममूर्ति--दारुलशफा बी-ब्लाक में कुल २४ सरकारी मोटर गैराज हैं और निम्नलिखित विधायकों के नाम अलाट हैं--

गैराज नं०	१	श्री यादवेन्द्र सिंह, एम०एल० ए० गोरखपुर,
,,	२	श्री शिवनाथ सिंह, एम० एल० सी०, इलाहाबाद,
,,	३	श्री भीखालाल, एम० एल० ए०, उन्नाव,
,,	४	श्री अवध प्रताप नारायण सिंह, एम० एल० ए०, गोंडा,
,,	५	श्री सहदेवसिंह, एम० एल० ए०, इटावा,
,,	६	श्री मोहन लाल वर्मा, एम० एल० ए०, हरदोई,
,,	७	श्री धर्मदत्त वैद्य, सभा सचिव,
,,	८	श्री घनश्याम दास, एम० एल० ए०, बाराबंकी,
,,	९	श्री बद्री प्रसाद पालीवाल, एम० एल० ए०, इटावा,
,,	१०	श्री रफी खां, एम० एल० ए०, शाहजहांपुर,
,,	११	श्री श्रीनिवास, एम० एल० ए०, अलीगढ़,
,,	१२	श्री नेकराम शर्मा, एम० एल० ए०, अलीगढ़,
,,	१३	श्री शिव मंगल सिंह, एम० एल० ए०, बलिया

गैराज नं०	१४	श्री लखपत राम शर्मा, एम० एल० ए०, झांसी
,,	१५	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद, एम० एल० ए०, सीतापुर
,,	१६	श्री महाबीर सिंह, एम० एल० सी०, बांदा
,,	१७	श्री विजय शंकर सिंह, एम० एल० ए०, गाजीपुर
,,	१८	श्री नौनिहाल सिंह, एम० एल० ए०, इलाहाबाद
,,	१९	श्री अखंड प्रताप सिंह, एम० एल० ए०, फैजाबाद
,,	२०	श्री अशरफ-अली खां, एम० एल० ए०, मथुरा
,,	२१	श्री रामलखन सिंह, एम० एल० ए०, बस्ती
,,	२२	श्री ब्रह्मदत्त मायर, एम० एल० ए०, सहारनपुर
,,	२३	श्री रामायण राय, एम०एल० ए०, देवरिया,
,,	२४	श्री विक्रम शाह, एम० एल० ए०, शाहजहांपुर ।

*७०—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इन मोटर गैरेजेज के allot करने के लिये किन-किन विधायकों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनका allotment किस प्रकार से किया गया ?

श्री राममूर्ति—उन विधायकों की सूची जिन्होंने गैरजों के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं मेज पर रख दी गई है। गैरजों के अलाटमेन्ट में विभिन्न दलों की संख्या के अनुसार परसेन्टेज का ध्यान रखा गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३४ पर)

*७१—श्री विजयपालसिंह—[१८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा ब्रांच नहर में अध्याप्त भूमि

*७२—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर शाखा, इटावा, जिला मैनपुरी में झाल जेडा में आगे पुल पेड़त तक चौड़ी करने के बाद में कुछ जमीन काश्तकारों की और ली जा रही है ? यदि हां, तो कितनी और किस कार्य के लिये ?

श्री राममूर्ति—इटावा ब्रांच के रिमाडेलिंग के लिये १२.५८ एकड़ भूमि ली जा रही है।

*७३—श्री बलवीरसिंह तथा श्री रामसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर शाखा भोगनीपुर, जिला मैनपुरी में पुल मुस्तफाबाद के करीब सन् १९५८-५९ में एक लाख ईंट खरीद के रख दी गई थी ? यदि हां, तो वह किस कार्य के लिये और वहां कितनी ईंट शेष रह गयी हैं ?

श्री राममूर्ति—मुस्तफाबाद और कटोर डिस्ट्रीब्यूटरी हेड के रिमाडलिंग के सम्बन्ध में एक लाख ईंटें खरीदी गई थीं। इस समय ६७,३७४ ईंटें शेष रह गई हैं।

*७४-७५—श्री मैनेजरसिंह—[हटा दिये गये।]

मुरादाबाद जिले में नलकूल तथा नहरों का निर्माण

*७६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद जिले में कितने ट्यूबवेल लगाये गये और कितने मील नई नहरें बनाई गयीं ?

श्री राममूर्ति—प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद जिले में निम्नलिखित नलकूपों तथा नहरों का निर्माण हुआ है :—

प्रथम पंचवर्षीय योजना—

नलकूप	३०
नहरें	शून्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—

नलकूप			३०
	मील	फ०	फी०
नहरें	१२२	२	६४०

सचिवालय के एक खजांची की गबन में कथित गिरफ्तारी

*७७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय विभाग के कोषागार के किसी कर्मचारी को ६,००० रु० के गबन के अपराध में १० जुलाई, १९६२ के आस-पास पुलिस ने पकड़ा है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

पंजाब सरकार द्वारा निर्मित बांधों का सिकन्दराबाद तहसील पर प्रभाव पड़ने की आशंका

*७८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मकनपुर, परगना दन्कौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के सामने तहसील पलवल, जिला गुड़गांव में पंजाब सरकार एक बांध जमुना नदी पर लगवा रही है जिससे तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के लगभग २० गांवों को बाढ़ के कारण अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री रामभूर्ति—तहसील सिकन्दराबाद, परगना बुलन्दशहर के ग्राम मकनपुर तथा कुछ और गांवों के सम्मुख पंजाब सरकार ने आठ छोटे-छोटे बांध बनाये हैं इन बांधों के बनने से उत्तर प्रदेश के गांवों को अभी तक कोई विशेष क्षति पहुंचने की सम्भावना नहीं है। फिर भी, गंगा ब्रह्मपुत्रा कमीशन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है।

*७९—श्री भोखालाल—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*८०-८१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले के बीज गोदामों में धान की खरीद

*८२—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में सरकार के बीज गोदाम से जो धान इस वर्ष बेचा गया है वह किस रेट पर बेचा गया है ?

श्री चरणसिंह—१४.७५ रुपये प्रति मन से लेकर १७.६० रुपये प्रति मन की दर से धान का विभिन्न किस्म का बीज बेचा गया।

*८३—श्रीमती रामरती—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बीज गोदामों के द्वारा इस वर्ष बीज के लिये जो धान खरीदे गये हैं वह किस रेट से खरीदे गये हैं ?

श्री चरणसिंह--सन् १९६२-६३ में धान का कोई बीज नहीं खरीदा गया। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में इंजीनियरों की ज्येष्ठता

*८४--**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में इन्जीनियरों की ज्येष्ठता १९४८ के बाद अब तक किस आधार पर तय की जा रही है?

श्री राममूर्ति--सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अभियन्ताओं की ज्येष्ठता (Seniority) निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की जाती है--

सहायक अभियन्ता।

सहायक मेकेनिकल अभियन्ता।

अस्थायी पदों पर--अस्थायी सहायक अभियन्ताओं को जिस क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा चुना जाता है उसी क्रम में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है।

स्थायी पदों पर--स्थायी पदों पर जिस क्रम में अभियन्ताओं का स्थायीकरण किया जाता है उसी क्रम में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है।

नोट--उपरोक्त श्रेणी के २० परसेन्ट पदों पर चुनाव ओवरसियरों तथा सुपरवाइजरों में से किया जाता है तथा इनकी inter re ज्येष्ठता directly recruited अभियन्ताओं के साथ १:५ के अनुपात में निर्धारित की जाती है।

अधिशासी, अधीक्षण तथा मुख्य अभियन्ता

अस्थायी पदों पर--जिस क्रम में स्थानापन्न नियुक्ति के लिये चुनाव होता है उसी क्रम में ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है।

स्थायी पदों पर--जिस क्रम में इन अभियन्ताओं को स्थायी किया जाता है उसी क्रम में इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है।

*८५--**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि अभी भी मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता की स्थायी जगह रिक्त हैं और बीसों साल पुराने काम करने वाले इन्जीयिरों से अभी तक अस्थायी रूप से काम लिया जा रहा है?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। हर साल जैसे-जैसे अभियन्ताओं के स्थायी पद रिक्त होते हैं, उन्हें भर लिया जाता है। केवल एक ऐसे अधिकारी हैं जो कार्य असन्तोषजनक होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर २० वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

*८६--**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--क्या इसी प्रकार अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ भी नीति अपनाई जा रही है? यदि हां, तो उनकी किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी स्थायी जगह खाली हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और क्यों?

श्री राममूर्ति--सिंचाई विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के भिन्न-भिन्न cadres हैं तथा कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर से उत्तीर्ण विद्यार्थी

*८७--**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय से गत दो वर्षों में कितने लड़के पास हुये और उनमें से कितने लड़कों से सरकारी नौकरी के लिये बांड भरवाया गया है?

श्री राममूर्ति—राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर से १९६० और १९६१ में ७६ व ६४ लड़के क्रमशः पास हुये। सभी ने यह बांड भरा है कि यदि सरकार को आवश्यकता हुई तो उनको कम से कम तीन वर्ष तक प्रदेशीय सरकार की सेवा में रहना होगा।

*८८—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने ऐसे लड़के आज भी हैं जिनसे बांड भरवाने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकी और क्यों?

श्री राममूर्ति—प्रश्नोत्तर ११ में उल्लिखित १४० विद्यार्थियों में से ५५ विद्यार्थियों को नौकरी नहीं दी जा सकी क्योंकि परीक्षा में उनके स्थान नीचे थे।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मैनेजरसिंह—[११वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया बोरिया बांध तथा बिड़ला बांध

२—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया बोरिया बांध मार्ग के दक्षिण की आबादी को बाढ़ से बचाने की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री राममूर्ति—बलिया बोरिया बांध मार्ग के दक्षिण की आबादी को बाढ़ से बचाने के लिये कुछ ग्रामों को ऊंचा करने व कुछ ग्रामों को रिंग बांध की मरम्मत द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की योजना है।

३—श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से गत वर्ष बिड़ला बांध क्षतिग्रस्त हुआ था? यदि हां, तो उससे कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुये और कितने का नुकसान हुआ?

श्री राममूर्ति—जी हां। बांध के समीपवर्त्ती निम्न पांच ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुये तथा लगभग ४०,००० रुपये की हानि हुई—

(१) सूरजभानुपुर,
(२) चांदपुर,
(३) लक्ष्मीपुर,
(४) भोजपुर, व
(५) चरजपुरा।

४—श्री मैनेजरसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में क्षतिग्रस्त बिड़ला बांध की मरम्मत की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राममूर्ति—इस बांध की मरम्मत ग्रामवासियों द्वारा तुरन्त कर दी गई थी।

५—६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बड़हलगंज बस-स्टेशन की इमारत

७—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बड़हलगंज बस-स्टेशन, जिला गोरखपुर की इमारत बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो बस-स्टेशन कब तक बन जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

जमीन मिल जाने पर तामीर का काम शुरू किया जावेगा।

पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की दिनांक २६ जुलाई, १९६२ ई० की विज्ञप्तियां संख्या ४२२४-प/३३—२८-(२)—६१ तथा संख्या ३२८९-प/३३-१५५-(२)-५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सन्देश देता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विधान सभा द्वारा २० अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिपारिश के दिनांक ३ सितम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।"

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह सन्देश देता हूं कि "उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१, जो विधान परिषद् से पारित हो कर इस सदन की सहमति के लिये प्राप्त हुआ था और जिसको विधान सभा ने अपनी ९ अगस्त, १९६२ की बैठक में विचार करने के उपरान्त उसी दिन की बैठक में कतिपय संशोधनों सहित पारित किया था, में विधान सभा द्वारा किये गये उक्त संशोधनों को विधान परिषद् ने स्वीकार कर लिया है।"

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में ३० अगस्त, १९६२ को पुलिस द्वारा ग्रामीण जनता पर गोली चलाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई सूचनायें कार्य-स्थगन के अन्तर्गत तथा नियम ५२के अन्तर्गत आयी हैं, जो घटना बस्ती में हुई है उससे सम्बन्धित हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचना आई है वे हैं:—

सर्वश्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, मन्नालाल, रक्षपालसिंह, झारखंडेराय, ऊदल, काशीनाथ बहादुर, नरसिंहनारायण और कमलासिंह। इन दो अंतिम महानुभावों ने नियम ५२ के अन्तर्गत भी सूचनायें भेजी हैं। मैंने कार्य-स्थगन में तो इसको स्वीकार नहीं किया परन्तु नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया और मंत्री जी के पास भेज दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—नियम ५२ के अन्तर्गत इस विषय में मैं अभी सूचना देने के लिये उद्यत हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जरा आपने अपनी आज्ञा जल्दी में दे दी। जो बस्ती के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरी ओर से दिया गया है उसके महत्व को देखते हुये मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप उसे

*छापा नहीं गया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार करें। यह बात सही है, बराबर बहुत से काम-रोको प्रस्ताव जिनको आपने कम महत्व के समझा, उनको नियम ५२ के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन आज का मसला गम्भीर मसला है। बाढ़ पीड़ितों को सरकार सहायता दे रही है, खुद मुख्य मंत्री जी, माल मंत्री जी तथा हम लोग भी उन क्षेत्रों में घूम कर आये हैं। उनकी जो स्थिति है उसको देखकर पत्थर भी पसीज सकता है, उनके ऊपर गोली चलाना जिसमें ३ आदमी मर जायं और १० आदमी घायल हों, मैं समझता हूं यह गम्भीर विषय है। इसको आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लें और मेरा विश्वास है कि आदरणीय सदन हमसे इस विषय में सहमत होगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं का रहने वाला हूं और इस स्थिति को पहले से जानता था और एक बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उस स्थिति को कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि जिस तरीके को हमारी सरकार ने अपनाया है वह तरीका भी उचित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में म समझता हूं कि आज जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, लोग-बाग घर-द्वार छोड़ कर भाग गये हैं, उसे देखते हुये यह आवश्यक है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आप इसे स्वीकार करें ताकि इस पर पूर्ण रूप से विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष—मैं आदरणीय सदस्यों को एक बात बतला दूं। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हुई थी कि नियम ५३ में इसको ले लूं किन्तु पुनः विचार करने के बाद मेरा ऐसा खयाल हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री इस आदरणीय सदन के समक्ष बयान दें और उसके पश्चात् अगर माननीय सदन यह समझेगा कि इस पर विचार करना आवश्यक है तो मैं और आप इस पर विचार करके समय निश्चित कर लेंगे और कार्य-स्थगन के बजाय नियम ५३ में यह हो जायगा। उसमें भी समय मिल जायगा। इसलिये मैंने यह सोचा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें और हम जान जायं कि वस्तुस्थिति क्या है।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, बस्ती की घटना इस प्रकार है। बाढ़ के समय कुवानों तथा घाघरा नदियों का पानी बहुत दूर तक कई गांवों में फैल जाता है। रानीपुर और दुबौली गांव, जो कि थाना धनघटा, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में है, इनमें गांव वालों ने अस्थायी बांध पानी को अपने गांवों में फैलने से रोकने के लिये बनाये थे। इन बांधों के कारण दो गांव जो बांध से निचले हिस्से में पड़ते थे वह पानी से बच गये परन्तु दूसरे गांवों में पानी बढ़ता गया, चूंकि उनका बढ़ता पानी ले जाने वाली नालियों में रुकावट आ गई थी।

१८ अगस्त, १९६२ से इस क्षेत्र में बहुत बाढ़ आई हुई थी। २५ अगस्त, १९६२ से इन नदियों में पानी कम होना शुरू हुआ और २८ अगस्त, १९६२ को वह खतरे के निशान से नीचे आ गई परन्तु बाढ़ का पानी काफी फैल चुका था। रानीपुर और दुबौली बांध के ऊपर लगभग २ फीट था इसलिये इन गांवों में जहां पानी फैला हुआ था वह चाहते थे कि बांध को काट कर उस क्षेत्र से पानी निकाल दिया जाय। बांध के दूसरे तरफ के व्यक्ति इसका विरोध करते थे क्योंकि उनको यह डर था कि इस प्रकार पानी निकालने से उनकी फसल मारी जायगी।

२९ अगस्त, १९६२ को यह सूचना मिली कि इन दोनों दलों में तनाव है। जिलाधीश ने हाकिम परगना को उस क्षेत्र में जाने और वहां की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और उस पर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये। एक आर्म्ड गार्ड भी उस क्षेत्र में भेज दिया गया।

[श्री नवलकिशोर]

३० अगस्त, १९६२ को हाकिम परगना खलीलाबाद ने जिनके साथ ट्यूबवेल के असिस्टेंट इंजीनियर, नायब तहसीलदार तथा थानेदार धनघटा और अन्य व्यक्ति थे, इस क्षेत्र का दौरा किया । उन्होंने अनरिया व कुनिया नाला गांव के पास ध्रुवाताल का निरीक्षण इस बात को जानने के लिये किया कि इसमें बाढ़ का पानी लिया जा सकता है या नहीं । निरीक्षण के पश्चात् उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ध्रुवाताल में दो फीट पानी अभी लाया जा सकता है । बांध के निरीक्षण के बाद इंजीनियर की राय से उन्होंने बांध काटने का सबसे उचित स्थान नियत किया । उसके पश्चात् वह दुबौली बांध पर गये और अपने साथ १५ मजदूर भी ले गये । दुबौली बांध पर उनके साथ धनघटा के थानेदार, सैकिन्ड आफिसर, ६ सिपाही और १० गांव के चौकीदार भी थे । थानेदार के पास रिवाल्वर, सिपाहियों के पास मसकेट तथा बाकी लोगों के पास लाठियां थीं । इन लोगों ने बांध का निरीक्षण किया और यह प्रतीत हुआ कि लगभग ८०० एकड़ जमीन एक तरफ पानी में डूबी हुई थी और लगभग २५ गांवों में उसका प्रभाव था ।

तीन गांवों की आबादी में भी पानी चला आया था । इन गांवों के व्यक्ति बांध को कटवाना चाहते थे जिससे गांव का पानी निकल सके । जब वह लोग दुबौली बांध पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बांध के पास गौरा पार गांव की ओर लगभग ३०० आदमी इकट्ठा थे । परगनाधीश और उनकी पार्टी ने गांव वालों को समझाया कि बांध के काटने से इनके गांव का कोई नुकसान नहीं होगा और केवल उन गांवों से पानी निकलेगा जिनमें यह पानी फैला हुआ है । प्रधान और सरपंच जो वहां उपस्थित थे उन्होंने बांध को काटने की सम्मति दे दी तथा गांव वालों को भी पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया, इस पर भीड़ चली गयी परन्तु कुछ लोग कुछ दूर जाकर एक खेत में जमा हुये, जब कि वहां लगभग आधा बांध काटा जा चुका था । यह प्रतीत हुआ कि आस-पास के पुर्वों (Hamlets) से कुछ और आदमी उपरोक्त खेत में जमा हो गये हैं और लगभग ५००–६०० व्यक्तियों की भीड़ ने बांध की तरफ बढ़ना शुरू किया । वे लोग गालियां दे रहे थे और धमकाने वाले नारे लगा रहे थे । थानेदार धनघटा और अन्य व्यक्तियों ने उनको समझाने की कोशिश की परन्तु भीड़ आगे बढ़ती ही गई । थानेदार के ऊपर हमला किया गया और उसकी जांघ में चोटें आईं । इस पर हाकिम परगना ने भीड़ को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी और उसको गैर-कानूनी घोषित कर दिया । यह घोषणा कई बार दुहराई गई परन्तु भीड़ ने इसकी परवाह नहीं की और वह बढ़ती ही गई । इस पर हाकिम परगना ने थाने के सेकेन्ड अफसर को लाठी चार्ज का आदेश दिया परन्तु इस पर भी भीड़ के रवैये में कुछ तब्दीली नहीं आई और एक आदमी ने हाकिम परगना को मारने के लिये फरसे से आक्रमण किया परन्तु यह फरसा ओवरसियर द्वारा छीन लिया गया । इस स्थिति में हाकिम परगना ने यह आभास किया कि पुलिस वालों तथा अन्य व्यक्तियों की जो उनके साथ में थे, जान का तत्काल खतरा था और इस पर इन्होंने चेतावनी दे कर पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया । इससे ९ आदमियों को चोटें आईं जिसमें ३ को गहरी चोटें आईं जो बाद में अस्पताल में मर गये । बाकी छः व्यक्तियों का अस्पताल में उचित रूप से इलाज हो रहा है ।

इस घटना के पश्चात् हाकिम परगना ने धारा १४७/१४८/३३२/३५२/३०७/१४९ भा०द०वि० की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई जिसकी जांच खलीलाबाद के सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है । धारा १४४ सी०आर०पी० सी० इस क्षेत्र में लगा दी गई है और वहां हथियारों को ले जाने की मनाही कर दी गई है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय हाकिम परगना वहां पर पहुंचे उसके पहले ही वहां के दरोगा ने लाठी-चार्ज कर दिया था ?

श्री नवलकिशोर---यह बात सही नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो किसान नीचे के गांवों में रहते थे उन्होंने यह कहा था कि बांध को बजाय काटने के मजबूत किया जाय और इस तरह की दरख्वास्त भी जिलाधीश को दी थी कि यह बांध कमजोर हो चुका है, बाढ़ के ज्यादा पानी से यह टूट सकता है, यह मजबूत किया जाय, तो सरकार ने उनके बचाव के लिये क्या किया और उनके रेप्रेजेंटेशन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि जो इंजीनियर साथ में थे उनका यह मत था कि इस बांध के काटने से जो पानी का निकास होगा उससे नीचे के गांवों को कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य का प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)---यह बांध फ्लड डिवीजन से बना था और इंजीनियर के अनुमान के अनुसार नीचे के १५-१६ गांवों को रोकने के लिये बना था। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ गांवों को बचाने के लिये जो ५०,६० गांवों का नुक्सान हुआ है, तो ओवरसियर की रिपोर्ट पर ही यह बांध क्यों काट दिया गया, उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा गया ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, यह पानी का फैलाव ८०० एकड़ में था और २५ गांव प्रभावित थे और मेरी सूचना के अनुसार बांध के नीचे जिन गांवों पर असर पड़ने वाला था वह केवल दो गांव थे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस बात की सूचना सरकार को है कि एस०डी०एम० साहब जब चेतावनी दे रहे थे कि अब यह अनलाफुल असेम्बली है उसको किसी ने नहीं सुना क्योंकि वे लोग नारे लगा रहे थे, बड़ी भारी भीड़ थी, उसमें सुनना असम्भव था, और बाद में गोली चला दी गयी ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इतनी बात सही है कि उन्होंने चेतावनी दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दी और किसी ने सुनी या नहीं इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---क्या सरकार बतायेगी कि वहां के निवासियों ने आवेदन-पत्र द्वारा आग्रह किया था कि पानी निकालने का उपाय किया जाय लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतायेगी कि जब यह बांध बनाया गया था तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि इतना ऊंचा न बनाया जाय और इसके काटने की नौबत क्यों आई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके विषय में विशेषज्ञों की राय के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता हूं। मुझे इर्रीगेशन विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी होगी कि यह किस समय और किन कारणों से बनाया गया। इसलिये इस समय मैं कोई सूचना देने में असमर्थ हूं।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मान लिया जाय कि जो लोग मर गये उनके गोली मर्मस्थल में लगी होगी, लेकिन जो घायल हो गये उनके गोली कहां लगी है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---कल मैं बस्ती गई थी और वहां जाना चाहती थी लेकिन रास्ता इतना खराब था कि मैं वहां पहुंच नहीं सकी। मैं वहां जाना चाहती थी कि लोगों को देख आऊं। मैं मरीजों को अस्पताल में देख आई हूं। एक मरीज को मैं देख नहीं पाई। उसको रिमूव करना ठीक नहीं समझा गया तन मरीज थे एक के हाथ में गोली लगी है, एक के पैर में और एक के जांघ में गोली लगी है। दो और छूट गये हैं। उनके सुपरफिशियल वून्ड्स थे। वे जेल में हैं, अस्पताल में नहीं हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डी० एम० का आदेश क्या शूट टू किल था या डराकर भगाने का था या पैर में गोली मार कर डराने का था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोई जिलाधीश या अधिकारी इस प्रकार के आदेश कभी नहीं देता कि जाकर लोगों को शूट कर दो। उस व्यक्ति को जिसके सुपुर्द यह कार्य किया जाता है उसे सारा डिसक्रीशन बरतने का अधिकार दिया जाता है और अधिकारी फिर मौके पर जो परिस्थिति आती है उस पर अपना डिसक्रीशन इस्तेमाल करता है। जिलाधीश ने क्या आदेश दिये थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं और ऐसे आदेश हैं अधिकारियों के लिये कि जहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि शूट करने की आवश्यकता पड़े वहां भी शूट करने से बचाव करना चाहिये परन्तु जो अधिकारी अपना डिसक्रीशन इस्तेमाल करता है और ऐसी हालत होती है कि वह अधिकारी अपने प्रदत्त अधिकार के अनुसार अपन डिसक्रीशन को इस्तेमाल करके स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा करता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डी० एम० के क्या आर्डर्स थे उनको पता नहीं है, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि मौके पर जो फायरिंग हुई उसमें कितने राउंड्स गोली चली, एरियल फायरिंग हुई, ग्राउंड फायरिंग हुई या शोल्डर फायरिंग हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इतने ब्योरे की तो अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है और न मैं जानता हूं कि किस तरह से फायरिंग किया जाता है क्योंकि मैं इससे बहुत दूर रहता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या माननीय मुख्य मंत्री जो अभी अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे थे, इसकी सारी डिटेल्स जांच करके सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह जानकारी अगर नेता जी चाहते हैं तो अवश्य जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा और उनके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा जो मुझे जानकारी मिलेगी।

श्री झारखंडेराय---अभी माननीय उप मंत्री पुलिस ने जो बयान दिया है, उससे जाहिर है कि वहां पर, बांध के ऊपर टेंशन था बहुत पहले से, और कई दिन से टेंशन चल रहा था, इस टेंशन की जानकारी अधिकारियों को थी, इसी लिये पुलिस की पोस्टिंग भी की गयी थी, इन तमाम सम्भावनाओं को देखते हुये पुलिस वालों को टियर गैस क्यों नहीं दी गयी थी ताकि उसका इस्तेमाल करके गोली चलान से जनता बच सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस बात की जानकारी नहीं है कि वह टियर गैस भी ले कर गये थे या नहीं। जहां झगड़ा हुआ है, वहां, जैसा कि मंत्राणी जी ने बताया, पानी के कारण जाना बहुत सम्भव नहीं था, जब सूचना मिली तो काफी दिक्कतों क साथ शायद वह वहां पहुंचे।

जिलाधीश के संबंध में जानकारी मिली है कि रात में कई मील पैदल चल कर, उस स्थान पर पहुंचने की चेष्टा की। टियर गैस उस समय उनके पास थी या नहीं, अभी इस बात की सूचना नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य सूचना चाहेंगे तो सूचना मंगा कर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस समय बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं जो सदन चाहता है और माननीय मंत्री जी के पास नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि आगामी सप्ताह में, सब सूचना एकत्रित करके, दो घंटे इसके ऊपर विचार-विनिमय हो जाय।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, अगर इस पर और प्रश्न हो जायं तो इससे साफ हो जायगा कि कौन-कौन सूचनाएं एकत्रित करनी हैं।

श्री अध्यक्ष---हां, यह ठीक है। दो तरीके हैं। एक तो यह कि इतना कष्ट करें कि लिख कर दे दें। आप चाहते हैं तो दो चार मिनट प्रश्न कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह---जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी इससे मालूम हुआ कि जिले के अधिकारियों को इसकी पूरी खबर थी कि वहाँ पर कोई झगड़ा फसाद हो जाने का अन्देशा था और इस पर झगड़ा फसाद होगा कि किसी विशेष जगह पर बांध काटना चाहते हैं, तो दूर से विशेषज्ञ लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जो वहां विशेषज्ञ थे उनमें से इस फोर्स के साथ क्यों नहीं ले जाये गये जो देख कर बताते कि कहां बांध काटा जाय या न काटा जाय ?

श्री नवलकिशोर---मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहा है कि उनके साथ इंजीनियर भी था। मैंने कहा कि कोइ झगड़े का अन्देशा नहीं था, मैंने साफ कहा कि तनाव की सूचना २९ तारीख को जिलाधीश को प्राप्त हुई, उन्होंने इंतजाम किया। उस समय तक यह अन्देशा नहीं था कि इतना बड़ा कांड वहां हो सकता है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा हो गयी है या हो रही है और अगर हो रही है तो किस श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसकी जांच कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन कर रहे हैं, उनको आदेश दिया गया है कि वह इसकी जांच करें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो आदमी मर गये हैं, उनको गोली आगे लगी थी या पीछे लगी थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो डिटेल्स जब मिलेंगे तभी बताया जा सकता है।

श्री काशीनाथबहादुर पाल---इसमें निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिये आवश्यक है कि वहां का थाना स्टाफ हटा दिया जाय इसलिये क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जब तक जांच हो वहां का थानास्टाफ चेंज कर दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---क्या सरकार को यह मालूम है, यह सही है या गलत कि जो आदमी सबसे पहले आगे था उसका नाम झिनकू था और उससे दरोगा जी से पहले से लड़ाई थी ? उसने उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त वगैरह डी० आई० जी० को दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बांध काटने के विषय में जो झगड़ा वहां पर हुआ है वह बांध वहां के विकास अधिकारियों की सहमति से बना था ? यदि हां, तो जिन लोगों ने पहले राय दी थी कि ठीक है बांध का बनाना, उन्होंने ही कैसे कहा कि बांध का कटना आवश्यक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तजुर्बात जो हैं जो वास्तविक परिस्थिति आती है वह कुछ विशेषज्ञों को भी शिक्षा प्रदान करती है और उसकी बुनियाद पर वह अपना कार्य करते हैं और अपनी राय भी बदलते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे और आदेश देंगे कि अभी तक वहां पर किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उससे पचासों गांव के लोग आतंकित हैं, इस आतंक को दूर करने के लिये वह यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही न की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब कानूनी आज्ञाओं का जो लोग उल्लंघन करते हैं वह तो कानून के शिकंजे में और उसके दायरे में लाये ही जायेंगे ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---आपने आदेश भी दिया है और मंत्री जी ने कहा भी है कि अगले सप्ताह में वह इस पर बयान देंगे, तो मैं यह चाहता हूं कि जो जांच करायी जाय वह इस बात को ध्यान में रखकर करायी जाय कि वहां स्थानीय पुलिस से कुछ लोगों से रंजिश और अदावत है और कुछ स्थानीय दबाव डाले गये हैं, कुछ राजनीतिक दबाव भी डाले गये हैं, और उससे कुछ लोगों को खुश करने के लिये उन्होंने यह बांध कटवा दिया और इसके अलावा जब यह फायरिंग हुई उस समय मैजिस्ट्रेट साहब तो थाने में बैठे हुये थे और दारोगा जी ने अपनी तरफ से यह फायरिंग करायी, तो इस दृष्टिकोण से जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राजा साहब ने जितनी बातें कही हैं उनको मैं सही नहीं मानता हूं ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने तो निवेदन किया था । बड़े दुख की बात है कि बगैर जांच किये हुये माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वह इसको सही नहीं मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष---जो इस समय सूचना मंत्री जी के पास है उन सूचनाओं के आधार पर वह सही नहीं मानते हैं । अब जो आपने कहा है उसके ऊपर तो विचार होगा ही ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० ने भीड़ को गैर-कानूनी करार देने का ऐलान लाउड स्पीकर से किया था या जबानी किया था ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो कमिश्नर साहब सब एन्क्वायरी करेंगे और उनके सामने सारी परिस्थितियां आयेंगी । मैं नहीं जानता कि वह लाउड स्पीकर लेकर रात में बैठे थे या नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या यह सही है कि जिस स्थान पर एस० डी० एम० साहब बांध कटवा रहे थे उसी स्थान पर पहले एक बार बांध टूट गया था और गांव बह गया था, इसलिये गांव के लोग उसका विरोध कर रहे थे ? यदि हां, तो फिर बांध काटने का आदेश क्यों दे दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मुझे जानकारी करने से पता यह चला कि यह बांध तो वहां कई साल से था लेकिन उसमें एक छोटा सा निकास था जिससे पानी एक नेचुरल चेनल से दो तालाबों में पहुंच जाता था। लेकिन तीन साल पहले वह बन्द कर दिया गया था। पिछले सालों में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई कि उससे लोगों को कोई तकलीफ हो। लेकिन इस साल ज्यादा बारिश होने के कारण यह परिस्थिति पैदा हुई और जब यह परिस्थिति पैदा हुई तब सारी बातों की स्टडी करके उस बन्धे को उस निकासी की जगह से काटा ताकि नेचुरल चेनल से पानी निकलकर दो तालाबों में पहुंच सके क्योंकि तालाब के अन्दर दो फुट पानी आने की और गुंजायश थी। यही समझकर वहां पर पीछे भी काम किया गया। वहां पर प्रमुख लोगों को बुलाया गया था और बुलाकर उनको समझाया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आर्डर था कि सबको समझाकर इस काम को किया जाय। जो प्रमुख लोग थे वह सब इसके लिये राजी हो गये थे कि उस निकास की जगह से बन्धे को काट दो। उस समय लोग हट गये थे। जब ये लोग हटने लगे तो दूसरे गांवों से दूसरे लोग आगये और उन्होंने प्रमुखों को रोकने की कोशिश की लेकिन वह रोक नहीं पाये। यह काटना जो शुरू किया गया था वह प्रमुखों की राय से और उनकी सलाह लेकर और मन्जूरी लेकर शुरू किया गया था। उनकी मन्जूरी लेकर ही बन्धे को काटा और उस निकासी की जगह से ही काटने की कोशिश की गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन मुझको मौका नहीं दिया। मुझको भी मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस पर काफी चर्चा हो गयी। अब अगले सप्ताह फिर इस पर चर्चा होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—मैंने कोई भी कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जितने मेरे पास आये थे उन सबको अस्वीकार कर दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। जब आपने नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना को स्वीकार कर लिया है तो नियम ५२ में इसको स्वीकार कर लेते। आज नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है वह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। पी० टी० सी० के चुनाव के लिये पिछड़ी जाति के लिये उमर की जो रियायत होती थी उसको अचानक समाप्त कर दिया गया है। उसके लिये अन्तिम प्रार्थना-पत्र देने की तिथि ५ सितम्बर है। उसपर मैं जानना चाहता था कि सरकार का क्या रुख है। वह आवश्यक सूचना मैं चाहता था। जब आपने ५३ के अन्तर्गत ले लिया है तो इसको ५२ में ले लेते।

श्री अध्यक्ष—यह मेरे लिये जरूरी नहीं है कि नियम ५३ में स्वीकार करता हूं तो अन्य को ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करूं। आप कृपा करके मुझसे मिल लीजियेगा कि मैंने उसको क्यों अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)—श्रीमन्, मैंने भी गंजडुंडवारा नगरपालिका, जिला एटा के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी है। वहां पर सी० पी० टैक्स को उठा लेने के बारे में हड़ताल चल रही है। उस पर आपने अपना निर्णय नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष—जिसका निर्णय मैंने नहीं दिया उसका मतलब यह है कि वह मैंने अस्वीकार कर दिया है। आप कृपा कर देख लें, उस पर आदेश होगा।

बरेली जिले के ग्राम अनलपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के एक जुलूस पर एक विशेष सम्प्रदाय द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—बरेली जिले में जो घटना घटी उसका विवरण इस प्रकार है। पिछले कुछ वर्षों से ग्राम जामअंतरामपुर, थाना शीशगढ़, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में श्रीकृष्ण जन्म अवसर पर वहां के ग्रामवासियों की सम्मति से फूलडोल निकलता आरहा है। यह फूलडोल बहुत से हिन्दुओं के घरों से होता हुआ गांव की एक मुस्लिम आबादी से जाकर एक मन्दिर पर जो गांव से लगभग आधा मील दूर है, समाप्त होता है। इस संबंध में मंदिर पर मेला भी लगता है।

इस वर्ष २४ अगस्त, १९६२ को फूल डोल निकाला गया। जब वह गांव के मुस्लिम वासियों के मुहल्ले के पास पहुंचा तो कुछ मुसलमानों ने इस पर उधर से ले जाने की आपत्ति की। इस पर कुछ कहासुनी भी हुई और दोनों ओर से एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी फेंके गये। कुछ मुसलमानों ने फूल डोल के आगे वाले भाग पर हमला किया जिससे फूलडोल के सिंहासन तथा श्रीकृष्ण की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। इस पर हिन्दू, जो उस समय थोड़ी संख्या में थे, वहां से हट गये परन्तु बदला लेने को कह गये।

जब यह सूचना कि श्रीकृष्ण की मूर्ति का अपमान हुआ है, मेला क्षेत्र में पहुंची तो वहां इकट्ठी हुई भीड़ इससे बहुत उत्तेजित हुई। संध्या को लगभग ५ बजे, लगभग १०० हिन्दू पूर्व के घटनास्थल पर इकट्ठे हुये और वहां मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस झगड़े में ५ मुसलमान मारे गये और ९ मुसलमानों के चोटें आईं। बाकी गांव से भाग गये। दो मुसलमानों के घरों को आग भी लगाई गई। ९ हिन्दुओं को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के सर्किल आफिसर तथा हाकिम परगना, पुलिस गार्ड के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर गये। गांव में तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस तैनात करदी गयी तथा अन्य थानेदारों को भी अपने अपने क्षेत्रों में उचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये। अब तक ४० हिन्दू और ४ मुस्लिम (२-९-६२ तक) पकड़े जा चुके हैं। स्थिति इस समय साधारण है।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये २५०० रुपया जिलाधीश बरेली को इस आदेश के साथ दे दिये गये हैं कि वह इससे उन व्यक्तियों की उचित सहायता करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो उस जशन का रास्ता था पुलिस के रजिस्टर नम्बर ८ में वह रास्ता वही है या उस दिन किसी दूसरे रास्ते से जलूस ले लाया जा रहा था?

श्री नवलकिशोर—जो मार्ग आपस में तय हुआ था और जिस पर जुलूस चलता था उसी पर जुलूस जा रहा था। एक बात मैं यह भी बतला दूं कि वहां १५० गज का एक मोड़ भी आता था और जब कभी कीचड़ होती थी तो वह जुलूस उस रास्ते से निकल कर दूसरे रास्ते से जा कर उस रास्ते में मिल जाता था। चूंकि वहां कीचड़ थी इसलिये जुलूस उसी रास्ते से गया जो रास्ता उस के लिये निश्चित था।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि उस गांव के प्रधान हसन खां ने इस झगड़े को उभाड़ा था?

श्री नवलकिशोर—उस गांव के प्रधान तो शायद सद्दन खां हैं, हसन खां नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कीचड़ होने पर जो जुलूस घूम कर जाया करता था वह और दूसरा रास्ता दोनों संप्रदायों ने मिल कर तय किया था या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—पहले दोनों संप्रदाय के लोगों ने मिल कर उस रास्ते को तय किया था और पहले तो मुसलमान साहबान भी वहां उसमें हिस्सा लेते थे और मंदिर तक उसे पहुंचाते थे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस झगड़े के पीछे जो २४ अगस्त को बहेड़ी में हुआ था, कोई राजनीतिक कारण है, जैसे प्रधान का चुनाव आदि ?

श्री नवलकिशोर—राजनीतिक कारण तो मैं नहीं समझता, लेकिन यह सही है कि उस गांव में पिछले आठ दस सालों से प्रधानों के चुनावों की वजह से कुछ वैमनस्य हो गया था और पहले एक हिन्दू लड़की के बारे में भी बलवा हो गया था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस झगड़े में मारे गये रमजानी की मां भी आयी थी और उसने हाकिम परगना को बयान दिया था और उसमें कहा था कि सद्दन खां, प्रधान ने हमारे बच्चों को मरवाया है, उभाड़ा है और अपने आप बहेड़ी चले गये हैं ?

श्री नवलकिशोर—५ की मत्यु तो घटनास्थल पर ही हो गयी और एस० डी० एम० और डिप्टी एस० पी० उसके बाद पहुंचे । अब उसने मरने के पहले कैसे कह दिया यह मैं नहीं जानता ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—पहली घटना, जिसमें जुलूस पर आक्रमण हुआ और दूसरी जिसमें गांव पर आक्रमण हुआ, इन दोनों के बीच कितना समय था और क्या यह संभव नहीं था कि इस बीच वहां पुलिस का प्रबंध हो जाय ?

श्री नवलकिशोर—इस बीच ४ घंटे का समय था और वहां से थाना १४ मील पर है और बीच में नदियां पड़ती हैं और बरसात में आने जाने में असुविधा होती है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या यह सही है कि जब जलुस निकल रहा था तो पहले रमजान खां ने ईंट फेंकी और श्रीकृष्ण की मूर्ति तोड़ी थी ?

श्री नवलकिशोर—मेरे पास जो सूचना है उसमें मुहम्मद सैयद और इलाही बख्श सामने आये थे । अगर रमजान भी उसमें हों तो मैं नहीं कह सकता ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में कोई सूचना है कि जलूस एक मर्तबा निकाला गया और उसके बाद फिर बाबूराम ने जुलूस निकालने को कहा और जुलूस नये रास्ते पर ले गए, जिस पर पहले नहीं चलता था ?

श्री नवलकिशोर—यह बात सही नहीं है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ईंट, पत्थर बरसाये गए, वे क्या जमा किये हुये थे ? यह तो आप जानते ही हैं कि हर झगड़े में ईंट पत्थर का बरसाव होता ही है ? क्या वे पहले से जमा थे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, आम तौर से ईंट-पत्थर गांव में पड़े ही होते हैं, इसलिये इकट्ठा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि झगड़ा होने से पहले उस गांव में कोई हिन्दू लड़की भगाई गई थी ?

श्री नवलकिशोर---कोई लड़की भगाई नहीं गई थी। हां, कुछ साल पहले एक लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था।

श्री रियासत हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह जुलूस एक 'तफसीये के मातहत एक बाई-लेन से ले जाया गया, तो वह क्या तसफीये के तरीके पर हुआ या यह जबानी बात थी ? पुलिस रजिस्टर नंबर ८ में दर्ज है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---मुझे इस प्रश्न के पूछने देने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन इस प्रश्न से यह सजेशन होता है कि भारतवर्ष में सड़कों पर चलने के लिये या जुलूस निकालने के लिये पाबंदिया हो सकती हैं शायद इस किस्म के प्रश्न हमें ज्यादा शोभनीय नहीं होंगे। बहरहाल आपने पूछा है तो उत्तर दिया ही जायेगा।

श्री नवलकिशोर---यह मेरे पास सूचना नहीं है कि रजिस्टर नम्बर ८ में है या नहीं। मगर आपसी समझौते से रास्ता तय हुआ था और कई सालों से वहां मिलजुल कर जुलूस निकल रहा था। इस साल एकाएक फिजां बदल गई।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई इस प्रकार की सूचना आई है कि बहेड़ी के सिविल हास्पिटल के डाक्टर साहब ने उन जख्मों को जो पाये गए हैं, देख कर अस्पताल में दाखिल करने से मना कर दिया ?

श्री नवलकिशोर---जो जख्मी हो गए हैं, उनका इलाज बहेड़ी के सिविल अस्पताल में हो रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो जुलूस हर साल निकलता था और उस जुलूस के रास्ते के बारे में पुलिस ने अपने रजिस्टर में दफा ८ में दर्ज कर लिया था और यह भी माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से साफ जाहिर है कि गांव में तनाव की स्थिति थी। तो क्या पुलिस ने कोई तरीका मुकर्रर कर रखा था उस जुलूस को रेग्युलेट करने के लिये जैसी घटना हुई है ? कृपया स्पष्ट करें ?

श्री नवलकिशोर---मैंने यह कभी नहीं कहा कि गांव के अंदर तनाव की स्थिति थी और इस तरह की कोई सूचना किसी जिला अधिकारी के पास नहीं थी। यह बिलकुल गलत है। लिहाजा वहां कोई इंतजाम करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सूचना है कि ४० हिन्दू गिरफ्तार हुए हैं ? उनकी कोई नामजदगी की रिपोर्ट हुई है या इन्क्वायरी के आधार पर गिरफ्तार किये गये ?

श्री नवलकिशोर---एफ० आई० आर० में ५८ आदमियों की नामजदगी की गई थी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अभी मंत्री जी ने यह बताया कि घटना और मार पीट के बीच में ४ घंटे का समय था तो यह मारपीट और जो बलवा हुआ उसके होने के कितनी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी ?

श्री नवलकिशोर---इस घटना की सूचना जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मिली वह २४ तारीख की रात को मिली।

श्री यादवेन्द्र दत्त---आफटर हाउ मैनी आवर्स ?

श्री नवलकिशोर---घंटे तो मैं ने जोड़े नहीं। ८-९ घंटे का समय होगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि जो ५८ हिन्दुओं की नामजद रिपोर्ट हुई है उसको अशफाक अहमद नाम के किसी व्यक्ति ने लिखवाई है जो कि सफदन खां के रिश्तेदार हैं ?

श्री नवलकिशोर---अमीर बख्श ने रिपोर्ट लिखाई है, यह अशफाक बख्श कौन हैं, वह तो मैं जानता नहीं जिसने रिपोर्ट लिखाई है उनका रिश्ता है मैं नहीं जानता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जुलूस जहां निकलता था और मंदिर तक जाता था उसकी देखभाल के लिए थाने से पुलिस वगैरह का कोई इन्तजाम किया जाता था ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, गांव में आम तौर से छोटे-मोटे जुलूस निकलते हैं और गांव की स्थानीय पुलिस रहती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं घटनास्थल पर जांच करके आया हूं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सफदन खां जो प्रधान थे वह जब सवेरे ८ बजे बहेड़ी को जाने लगे और जुलूस का दिन था तो वहां के मड़ई लाल और दूसरे लोगों ने बार-बार कहा कि जुलूस का दिन है, तो भी परवाह न करके ....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---(श्री हरीशकुमार गंगवार से) आपको प्रश्न करना चाहिए, वक्तव्य नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---जी हां, उसी पर आ रहा हूं। तो सफदन खां उन लोगों की प्रार्थना की बिना परवाह किये हुये बहेड़ी तशरीफ ले गये और घटना हुई। तो दिन भर वहां नहीं मौजूद रहे, इसकी कोई सूचना है ?

श्री नवलकिशोर---जी नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब एक सूचना मैं आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति के सदस्य जो निर्वाचित हुये हैं उनके नाम यह हैं---सर्वश्री भीखालाल, कुंवर तेजभान सिंह, रामचन्द्र विकल, अब्दुल समी, कृष्णचन्द, छत्रपति अम्बेश, रामरूप सिंह, मूल चन्द शास्त्री, नरेन्द्रबहादुर सिंह, सत्यदेव, ये विधान सभा के हैं और श्री मुहम्मद अब्दुल रऊफ, श्री रामजी वर्मा, श्रीमती रानी टंडन, कुंवर महाबीर सिंह और श्री मुखतार अहमद किदवाई---ये विधान परिषद् के हैं।

अब मुझे इन १५ सदस्यों में सभापति नियुक्त करना था। मैंने माननीय रामरूप सिंह को इसका सभापति नियुक्त किया है।

कानपुर में विक्टोरिया मिल्स, म्योर मिल और जे० के० मैन्युफैक्चरिंग मिल में बोनस न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बशीधर पांडेय)---जे०के० काटन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर में १९६० वर्ष के बोनस भुगतान के संबंध में कोई अशान्ति नहीं है। प्रबंधकों ने दोनों पक्षों के मध्य प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, कानपुर के समक्ष हुए एक समझौते की शर्तों के अनुसार अपने श्रमिकों को उस वर्ष का बोनस वितरित कर दिया है। १९६१ वर्ष के बोनस के प्रश्न पर भी दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है।

दि न्यु विक्टोरिया मिल्स कम्पनी ने अपने श्रमिकों को १९६० तथा १९६१ वर्षों का बोनस भुगतान नहीं किया है, जो इस विषय में अधीर हो रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि १९६० वर्ष के बोनस वितरण का प्रश्न कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के समक्ष दो बार रक्खा जा चुका है और उन्होंने बोनस का भुगतान स्वीकार नहीं किया है। इस प्रश्न पर समझौता कराने के लिये सूती मिल मजदूर सभा ने भी एक संराधन समिति के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था। समिति का निर्माण हो गया है और उसके समक्ष अभी कार्यवाही चल रही है।

म्योर मिल्स के श्रमिकों को बोनस भुगतान करने का प्रश्न स्थायी त्रिदल समिति (वस्त्रोद्योग) कानपुर में उठाया गया था। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स श्रमिकों को १,१३,००० रुपये तक की धनराशि बोनस के रूप में भुगतान करने को तैयार थे, और हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने भी इस पर स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अनुसार बोनस भुगतान की नोटिस लगाई गई थी परन्तु श्रमिकों ने इस धनराशि को स्वीकार नहीं किया। सेवायोजकों द्वारा प्रस्तावित १,१३,००० रुपये की धनराशि के अनुसार श्रमिकों के मूल वेतन पर अनुमानतः ४ नये पैसे प्रति रुपये का हिसाब बैठता है, परन्तु श्रमिकों की मांग थी कि उन्हें उनके मूल वेतन पर १० नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से बोनस मिलना चाहिये। सेवायोजक इस दर से भुगतान करने के लिये तैयार नहीं हैं। सूती मिल मजदूर सभा ने यह विवाद तय करने के लिये एक संराधन समिति के निर्माण के लिये प्रादेशिक संराधन अधिकारी को प्रार्थना-पत्र भेजा था। १९-६-१९६२ को यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण (प्रथम) लखनऊ के पास पंच निर्णय हेतु भेज दिया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपूर)---श्रीमन्, अभी दफा ५२ के अन्तर्गत विक्टोरिया मिल के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उस पर आपने कोई प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी।

श्री अध्यक्ष---वह केवल वक्तव्य के लिये ही था। नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं था।

सदन का भावी कार्य-क्रम

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, ७ सितम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठकों में जो विधेयक विचारार्थ लिये जायेंगे उनका क्रम इस प्रकार रहेगा---

(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२।

(२) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९६२।

(३) उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२। यह विधेयक अभी इन्ट्रोड्यूस किया जायेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय सूचना मंत्री ने बाढ़ के संबंध में विचार विनिमय करने हेतु कोई वक्त नहीं दिया है । उसके लिये समय तो तय हो गया था किन्तु चूंकि सदन उस समय उठ गया था इस कारण उस पर विवाद नहीं हो सका था । अब तो यह बड़ा ही उपयुक्त मौका है और माननीय सदस्यों ने अपनी आंखों से मौके को जाकर देखा भी है । इसपर यदि सदन विचार करे तो यह बहुत ही अच्छा मौका है। उसके लिये जल्दी समय निकालना चाहिये ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, यह तो तय हो चुका है, जहां तक मुझे याद है । उस समय हाउस चूंकि स्थगित हो गया था, इस कारण वह बहस पूर्व निर्धारित तिथि पर नहीं हो सकी । जो समय तय हो चुका है वह हमें फिर मिलना चाहिये ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन समय सोच कर निकाल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---हम और आप आज सायंकाल बैठ जायं और कोई दिन निश्चित कर लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, पूर्व इसके कि इस पर कोई विवाद हो, जो सूचना माननीय मंत्री जी के पास हो वह हमको मिल जानी चाहिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप तो सब देख कर ही आये हैं ।

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Land Holdings Tax bill, 1962] को सदन के समक्ष पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह मनी बिल है । जो परिभाषा मनी बिल की संविधान में दी हुई है उसके मुताबिक यह बिल बिना राज्यपाल महोदय की अनुमति के नहीं पेश हो सकता है । इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें । उसके बाद इस बिल को पुरःस्थापित करने के सवाल पर विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी को मैं यह बता दूं कि मैंने इस बारे में जो प्रक्रिया अंगीकृत की है वह यह है कि जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं कि मनी बिल के संबंध में गवर्नर महोदय की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है, तब तक मैं उसको पेश नहीं करने देता । अगस्त २८, १९६२ का राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षरितपत्र है जिसके द्वारा उन्होंने उसके लिये अपनी अनुज्ञा दी है ।

श्री यादवेन्द्र दत---श्रीमन्, जो अनुज्ञा मांगी गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि यह कानून गलत है । अब आप इस प्रश्न को सदन के सामने रखें ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश-जोत कर विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Land Holdings Tax Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११८,
विपक्ष में---८५ ।)

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Land Holdings Tax Bill, 1962] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९३५–९४४ पर)

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस पुरःस्थापन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—पुरःस्थापन का विरोध नहीं होता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं तो मंत्री जी का पग-पग पर विरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष—यह गलत बात है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—क्या यह गलत उनके लिये भी है या मेरे लिये ही है? शुरूआत तो उन्होंने ही की।

श्री अध्यक्ष—जब कोई भी व्यक्ति या माननीय सदस्य बीच में कोई बात कह दें तो इसका मतलब यह नहीं होता कि जो माननीय सदस्य खड़े बोलते हों वे उनसे बातचीत करने लगें। वह तो मुझसे ही बातचीत कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, एक बात कहते हुए मुझे बहुत दुख है कि हम लोगों के कहने के बावजूद और इस प्रकार सारे प्रान्त में भीषण बाढ़ आने के बावजूद सरकार ने यह उचित समझा कि वह ऐसे काले कानून को पुरःस्थापित करे और उसके पुरःस्थापन करने का हेतु यह है कि वह ब्रूट मेजारिटी में है। इसके विरोध में अपना रोष प्रकट करने की दृष्टि से हम १० मिनट के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, आपका ध्यान मैं नियम १२५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि जब एक विधेयक इस प्रकार का आवे जो विधायिनी क्षमता को एक्सीड करता हो, कानून बनाने की क्षमता से सरकार अपने अधिकार को एक्सीड करती हो, उस समय दूसरे लोगों को भी उस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार आपको देना चाहिये ताकि अपने अनुसार वे अपनी बात रख सकें। सरकार जो इस वक्त इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रही है वह उसकी विधायिनी क्षमता के बाहर है। तो उस पर आप हमें ही नहीं बल्कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दें। मैं आशा करता हूं कि आप सबको उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी, जो आपने प्रार्थना प्रस्तुत की है, वह मेरे खयाल में जरा विलम्बित है। नियम १२५ में पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिये जो प्राविधान है वह इस प्रकार है—

"यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।" तो यह प्रश्न आप को अनुज्ञा देने के पूर्व ही उठाना चाहिये था, अब तो अनुज्ञा मिल चुकी है, वह वापस नहीं हो सकती और सदन की अनुज्ञा मिलने के पश्चात् अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

इसीलिये विधायिनी शक्ति के परे होने के कारण की आपत्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि वह सदन के पूर्व निश्चय के प्रतिकूल होगा। इसलिये अब आप इसको नहीं उठा सकते।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जब आप ने माननीय नेता विरोधी दल को अभी इजाजत दी और उन्होंने उसका विरोध किया तो मेरे ध्यान में था कि आपने जब उनको इजाजत दी है तो मैं भी समझता था कि उस हालत में आप को मुझे भी इजाजत देने में कोई दिक्कत न होगी और आप की इजाजत होने पर मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार करने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—माननीय विरोधी दल के नेता ने तो केवल इतना ही कहा था कि मैं पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और हम लोग सदन का त्याग करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सदन का निश्चय हो चुका वह वापस नहीं हो सकता, वह तो अब समाप्त हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत ही दुख है कि इसके बावजूद कि हमारे पूर्वी जिलों में और पूरे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका है और इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य एक घिनौनी अर्द्ध गुलामी की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी हालत में भी आज यह विधेयक माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा इस सदन में पुरःस्थापित हो रहा है, मैं समझता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये . . . .

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो आप यह राज्य की जनता के ऊपर कर लगाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज सूबे में ऐसी स्थिति है कि इस तरह से किसानों पर कर लाद कर योजनाओं को चलाना गलत है और इस तरह से विकास नहीं हो सकता। यह चीज जनतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरे अभी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने प्रश्न उठाया उस की भी इजाजत आपने नहीं दी ताकि हम अपने विचार प्रकट कर सकते। आप अगर चाहते तो इजाजत दे सकते थे। हम चाहते थे कि आप के सम्मुख जो हमारे सामने समस्या है, वह रखते। मैं समझता हूं कि सरकार तो बहुमत के बल पर पागल हो चुकी है और चाहते हैं कि जो बिल आये वह मंजूर हो जाय। मैं इस का घोर विरोध करता हूं और सोशलिस्ट पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी 'पागल' शब्द का प्रयोग सरकार के लिये किया है। वह अनुचित है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मेरा मतलब पागल कहने से नहीं था, मैं कहता हूं कि वह बहुमत से मदान्ध हो गये हैं और इसीलिये वह ऐसा बिल ला रहे हैं। यह मेरा आशय था।

श्री अध्यक्ष—आप 'पागल' शब्द को विदड्रा कर लें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैंने कहा तो कि मैं उसको वापस लेता हूं, मेरा मतलब केवल यही था कि वह बहुमत से मदान्ध हो गये हैं और बहुमत के बल पर नये कर लगाकर जनता पर बोझ डालना चाहते हैं।

(इसके उपरान्त श्री नरसिंहनारायण समाजवादी सदन के अन्य सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो पुरःस्थापित किया गया है इसको मैं प्रदेश की ६ करोड किसान जनता के लिये अत्यन्त अन्यायपूर्ण समझता हूं और विशेषकर इस परिस्थिति में जब कि स्वयं माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य के अनुसार जो कि उन्होंने गोरखपुर में दिया था कि पूर्वी जिलों के लाखों आदमी 'फेमिंग स्टारेशन'

[श्री भानुप्रतापसिंह]

की दशा में हैं और इन हालात में इस समय ऐसे विधेयक को लाना किसान के जले पर नमक छिड़कने के समान है और अपने दल का इस विधेयक के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये हम सदन का त्याग करते ह ।

(स्वतंत्र दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---जो विधेयक इस समय पेश किया गया है वह एक गम्भीर है । इसमें केवल जो बड़ी जोत वाले हैं उन्हीं पर टैक्स नहीं लगेगा बल्कि इसके दायरे में गरीब से गरीब किसान भी आ जायगा । जो नाममात्र की छूट दी गई है नीचे के गरीब किसानों को, वह नहीं के बराबर है । इसका विरोध प्रदेश के कोने-कोने से हो रहा है । कोई पोलिटिकल टेस्ट इस समय तक इस बात का नहीं हुआ जब से सरकार ने लगान और टैक्स बढ़ाने की बात सोची तब से प्रदेश के पैमाने पर कोई पोलिटिकल टेस्ट नहीं हुआ, कोई बाई-इलेक्शन नहीं हुआ जिससे जनता के जनमत का रिफ्लेक्शन होता कि जनता इसको किस प्रकार ले रही है । शहरी क्षेत्रों के चुनाव भी टलते दीख रहे हैं । केवल १९६२ के चुनाव को लेकर चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुमत में हैं इसलिये सरकार कहती है हमको अधिकार है । मैं समझता हूं यह प्रजातन्त्र की बुनियादी आत्मा के खिलाफ है । इसलिये मेरा विचार है आज जब इसका विरोध जबरदस्त हो रहा है, कल ही तीन तारीख को लाखों आदमियों ने प्रत्येक जिला के सदर मुकामों पर इसका विरोध किया है । जब कोई मान्यता प्राप्त पोलिटिकल टेस्ट जनमत जानने हेतु अभी तक नहीं हुआ जिससे मालूम हो कि प्रदेश की जनता का बहुमत क्या चाहता है, तो फिर जो अन्य प्रकार के डेमोक्रेटिक तरीके हैं उनको जनता कर रही है जिसकी खबरें अखबारों में और सरकारी रिपोर्टों में आ रही हैं । ऐसी हालत में सरकार एक पोलिटिकल हठ पर, जिसको राज हठ कहा जाय, तुली हुई है कि इसको पेश कर के लगान बढ़ाना ही है । इसलिये हम इसका विरोध करते हैं और यह विरोध यहीं नहीं होगा बाहर होगा और जबरदस्त टक्कर होगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने धमकी दी है कि वे हमें क्रश कर देंगे तो हम जनता के साथ उनके हितों के लिये लड़ते हुये, क्रश होने के लिये तैयार हैं । एक-एक इंच पर इसका विरोध होगा, कोई इस पर समझौता नहीं होगा । या तो वह रहेंगे या हम रहेंगे । इसलिये हम इस सदन का त्याग आध घंटे के लिये इस विधेयक के विरोध स्वरूप कर रहे हैं ।

(साम्यवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री गेंदासिंह---श्रीमान्, यह विधेयक ऐसा है जो गैर-मामूली कहा जा सकता है । और कम से कम इतना मैं समझता हूं कि सरकार ने सारे अपने विचारों को, अपने सारे वायदों को और घोषणाओं को तोड़ करके इस विधेयक को लाना पसन्द किया है । एक बात जरूर कहना चाहता हूं जिस वक्त १० गुना काश्तकारों से लिया गया था ६० लाख एकड़ जमीन की मालगुजारी पर, उस समय यह कहा गया था कि ४० सालों तक हम मालगुजारी एक पैसा नहीं बढ़ायेंगे । और अधिकार देने की बात जो कुछ भी कही गई हो लेकिन मालगुजारी के लिये कहा गया था कि ४० साल तक नहीं बढ़ायेंगे । डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मुताबिक संविधान माँग करता है कि ऐसे लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाय जिनकी आमदनी की कोई बढ़ोत्तरी हमने नहीं की है । बल्कि उसके विपरीत उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है ।

अब श्रीमन्, घोषणा-पत्र की चर्चा अगर कांग्रेस की हम करें तो अभी उस पर विचार होगा इस विधेयक पर और उस घोषणा पत्र में माननीय मुख्य मंत्री दिखाने की कोशिश करें कि किस जगह पर कहा गया था कि जो लोग गरीब होते जा रहे हैं उन पर भी टैक्स लगायेंगे? यह प्रजातंत्र की बुनियाद को उखाड़ने वाला है । माननीय अब्बासी साहब ऐसे हैं जिन्होंने सारी कड़ाइयों को और डिसिप्लिन को तोड़ कर के आज इस सूबे की जनता का प्रतिनिधित्व किया है । इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । इसी के साथ सारे सूबे की जनता का क्रोध और आवेश

व्यक्त करने के लिये जरूर चाहते हैं आज हम इस बात को कि जो दूसरे विधेयक हैं वे भी टैक्सेज बढ़ाने वाले हैं, उनमें गैर हाजिर रहना उचित न होगा क्योंकि मुमकिन है हम अपने विचार व्यक्त करके सरकार से अपनी बात मनवा सकें, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं और अपने आवेश को प्रकट करते हुये इस समय बहुत तकलीफ के साथ १० मिनट के लिये सदन को छोड़ते हैं।

(प्रजा समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)—श्रीमन्, हमको अफसोस है कि सरकार ने यह विधेयक आज यहां प्रस्तुत किया। जिससे कि हर किसान की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण ऐसा विधेयक लाई है। हमें इस पर घोर आपत्ति है और विरोध है और इसके प्रोटेस्ट में मैं और हमारा निर्दलीय दल १० मिनट के लिये सदन का त्याग करेगा और मैं अब्बासी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पार्टी का खयाल न करके जनता के हित का खयाल किया।

(निर्दलीय दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—व्यक्तिगत राय की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं एक व्यवस्था चाहूंगा। जो निर्दलीय सदस्य हैं, आपने यह कहा कि व्यक्तिगत आप किसी की राय नहीं सुनना चाहते, वे अपने बल से और जनमतों से चुन कर यहाँ आये हैं, वे कुछ कह सकते हैं या नहीं क्योंकि कांस्टीट्यूशन में पार्टी का विधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—निर्दलीय दल का मतलब यही है कि जो दल नहीं है। अब आप बैठें।

श्री दीपनारायणसिंह—तो मैं सदन का परित्याग करता हूं। यह अंधेर जनवाद और समाजवाद के खिलाफ नहीं चल सकता और हमारे यहाँ की जनता ने यह फैसला किया है कि इस प्रकार की धांधली और सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स का हम विरोध करें। इसलिये मैं इस जोत-कर का विरोध करते हुये सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री दीपनारायणसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत‡)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मैं कुंवर श्रीपालसिंह का नाम बुला चुका हूं। पहले वह बोल लें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—यह व्यवस्था का प्रश्न है। उनके बोलने से पहले आप निर्णय दे दें तब वह बोलें। कौन जाने जो बात मैं कह रहा हूं वह आपको अपील कर जाय।

श्री अध्यक्ष—एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्हें पहले बोल लेने दीजिये।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, उस दिन अपने उत्तर में एक माननीय सदस्य ने छप्पर की व्याख्या की थी और उस छप्पर में वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

‡२७ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

पुराने जमाने के अंग्रेजों के बंगले ले आये और यह साबित करने का प्रयास किया कि छप्पर के मानी उन बंगलों से है। उन्होंने बिल में शायद आगे नहीं पढ़ा था। उस छप्पर में अस्तबल भी है। तो अस्तबल शब्द कौन से बड़े भारी बंगले के लिये आया है? इसलिये छप्पर शब्द खाली इसलिये आया है कि वह फूस का बंगला न छूटने पाये।

(इस समय १२ बजकर ४८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

इसमें एक मजे की बात और है। जहां अध्यासी शब्द की व्याख्या की गयी है उसमें मुक्त किरायेदार शब्द भी आया है यानी जो कभी भी किसी मकान में किरायेदार रहा हो और उससे मुक्त हो गया है। चाहे इस समय वह उस मकान का किरायेदार हो या न हो लेकिन कभी भी उस मकान को उसने किराये पर ले लिया हो तो उस पर टैक्स आयद किया जा सकता है। इसमें अनेकों चीजें इसी प्रकार की हैं जिनके सम्बन्ध में उधर से कोई विशेष बात नहीं कही जा सकती।

उसी तरह से कर निर्धारण अधिकारी जो होगा उसके लिये जो अधिकार दिये गये हैं वे इतने विशद हैं कि वह कुछ भी कर सकता है।

उसमें कहा गया है कि अगर वह देखता है कि म्युनिसिपल असेसमेंट किसी मकान का कम है तो उसे बढ़ा सकता है। असेसिंग आफिसर डिप्टी कलेक्टर की हैसियत का आदमी होगा उसके हाथ में इतना बड़ा अधिकार देना उचित नहीं है। अगर वह अधिकारी देखता है कि किसी मकान की असेस्ड वैल्यू अगर बढ़ा दी जाय तो कर अधिक हो जायगा और वह यों ही कह देता है कि हम इस मकान की असेस्ड वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं। तो मकान वाला मजबूर होगा उस वैल्यू को कम कराने के लिये नाजायज तरीके अख्तियार करने के लिये। आज हर जगह लोगों को नाजायज तरीके अख्तियार करने के लिये बाध्य होना पड़ता है क्योंकि अधिकारियों के हाथ में बहुत अधिक शक्ति दे दी जाती है।

श्रीमन्, एक चीज और है। खंड ५ (२) (१) में स्पष्ट कहा है कि यह कर मालिक मकान अपने किरायेदारों से वसूल कर सकता है। इसके माने यह हुये कि इसमें अगर नुकसान किसी का है तो उस व्यक्ति का है जो स्वयं अपने मकान में रह रहा है लेकिन अगर कोई आदमी किराये पर उठाने के लिये मकान बनाता है तो उसके लिये इसमें कोई पकड़ नहीं है। ठीक वही हालत है जैसी बिक्री-कर की है। कहने के लिये तो बिक्री-कर दुकानदारों से लिया जाता है मगर वह देना पड़ता है खरीदार को, क्योंकि दुकानदार तो कभी एक धेला भी अपने पास से देने को तैयार नहीं होता है, वह खरीदार से ही निकालता है। हमें दूर तक सोचना चाहिये कि इस टैक्स का क्या असर पड़ने वाला है।

यहां चांदगंज की कालोनी सरकारी नौकरों के लिये बन रही है, महानगर में गवर्नमेन्ट के मुलाजिमों के लिये मकान बनाये गये हैं या और जगह वे बनायेंगे और खुद उसमें रहेंगे। इस कर का भार उनके ऊपर खुद पड़ेगा। तब वे डिमांड करेंगे कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। उस वक्त सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा महंगाई भत्ता न बढ़ाने के लिये। तो यह वही किस्सा होगा कि "मियां की जूती और मियां की चांद"। क्योंकि असर पड़ने वाला है उन लोगों पर जो स्वयं अपने मकान में रहेंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स अपने रहने के लिये मकान बनायेंगे। अगर उनके ऊपर चपत पड़ेगी तो वे मांग करेंगे कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाओ नहीं तो हमारे रहने के लिये गुंजायश नहीं है।

श्रीमन्, खं० १२ (१) के प्रतिबन्ध में यह चीज कही गई है कि कर तीन साल से ज्यादा का नहीं लगा सकते हैं। इसके माने हैं कि तीन साल तक का ले सकते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सी डिफेक्टिव चीजें हैं। अगर उनको एक एक करके गिनाया जाय तो बहुत लम्बी फेहरिस्त हो जायेगी। सब से बड़ी बात जो है वह सरकार की नीयत पर आघात करने का मतलब नहीं

है। लेकिन इच्छा यही होती है और दिल और दिमाग भी यही कहता है कि नहीं आक्षेप किया जाय क्योंकि आम तौर से यह देखने में आ रहा है कि जितने बिल सरकार ला रही है उनमें एक क्लाज जोड़ दिया जाता है कि इसकी अपील अदालत दीवानी में नहीं होगी। पता नहीं सरकार क्यों डरती है ? आखिर यह भी तो सरकार का ही एक अंग है। अदालत दीवानी से बहुत सी चीजों के हटाने के माने हैं कि बिल में कुछ गलती है ।

श्रीमन्, बात खुली हुई है कि जो एक्जीक्यूटिव अधिकारी हैं वे समझते हैं कि हमारा काम टैक्स लगाना और वसूल करना है। जितना ज्यादा टैक्स लगायेंगे और वसूल करेंगे उतनी ही हमारी ख्याति होगी और यह होगा कि हम उम्दा काम करने वाले हैं। उनका इधर ही ध्यान रहता है कि किसी तरह से सरकारी आमदनी बढ़े, अगर सरकार ने कोई गलत काम कर दिया है तो उसको किसी तरह से सही कर दिया जाय। इसलिये सरकार एक्जीक्यूटिव के जिम्मे सारे काम सौंपती है और दीवानी के अधिकारियों के हाथ में इसलिये देना नहीं चाहती है कि वे न्याय करने के लिये रखे जाते हैं। लिहाजा उनके सामने यह सवाल नहीं रहता है कि सरकार की आमदनी बढ़ रही है या घट रही है। वे देखते हैं कि अगर हम अच्छा न्याय करेंगे तो हमारी तरक्की होगी और हमें इज्जत मिलेगी। लेकिन एक्जीक्यूटिव अधिकारी सोचते हैं कि सरकारी आमदनी बढ़ायेंगे और ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे तो हमारी उन्नति होगी और अच्छे अधिकारी समझे जायेंगे। सरकार सोचती है कि दीवानी के अधिकारियों के हाथ में देने से न्याय होने लगेगा और हो सकता है कि इस बिल के बहुत से रास्ते बन्द हो जायं।

श्रीमन्, चूंकि अभी धारावाहिक विचार होगा और जब धारावाहिक विचार होगा उस समय प्रत्येक धारा के ऊपर कहने का मौका मिलेगा, तो सब से बड़ी चीज जो है वह उद्देश्य है ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय श्रीपालसिंह, क्या आप ज्यादा टाइम लेंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—अभी तो मैं टाइम लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—तब फिर हम उठते हैं। दो बजे मिलेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—एक सूचना मुझे देनी है। माननीय बालोजी अग्रवाल का एक अमेंडमेंट था, वह किसी वजह से गलती से रह गया। वह यह था कि यह बिल जनमत के लिये भेज दिया जाय। न मालूम या तो वह मूव नहीं कर पाये इसलिये रह गया या किसी और वजह से रह गया, जो कुछ भी हो, उस पर भी विचार हो रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल के धारावाहिक विचार के समय तो धाराओं पर विचार किया ही जायगा। इस समय जो सब से पहली चीज देखने वाली है वह यह है कि इसका उद्देश्य और कारण क्या है ? किस मतलब से इस बिल को सरकार ले आयी है और क्या चाहती है ? ये दो चीजें देख लेने से हमें स्पष्ट हो जायगा कि आया इस बिल को आना चाहिये था या नहीं आना चाहिये था और सरकार को इसे वापस लेना चाहिये या इसे प्रवर समिति में भेजना चाहिये, तभी इन चीजों के ऊपर कुछ सोचा जा सकता है। श्रीमन्, विधेयक के कारण के ऊपर तो पहले ही लिखा है कि नियोजित विकास के प्रयोजन के लिये अपेक्षित वित्तीय साधनों की वृद्धि करने की दृष्टि से—यानी कारण और उद्देश्य यह है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत करने में सहायक हुई हैं और उन्होंने उसके औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अनुप्राणित किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और उनकी प्राप्ति की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम है। तो यह गोया इसके उद्देश्य और कारण हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है इसलिये इस बिल को ले आये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों चलानी चाहिये, क्योंकि पहली और

[कुंवर श्रीपालसिंह]

दूसरी योजनाओं ने प्रदेश की आर्थिक नींव को दृढ़ किया है । अब देखना यह है कि क्या पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं ने प्रदेश की आर्थिक या देश की आर्थिक नींव को दृढ़ किया है या नहीं और यदि दृढ़ किया है तो किस हद तक ? उसको देखकर के हम यह अन्दाज लगा सकते हैं कि अगली जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चलने वाली है और जिसके लिये हम धन चाहते हैं उसका नतीजा क्या होगा ?

एक पुस्तिका हम लोगों को मिली थी तृतीय योजना की रूपरेखा नाम की । भारत सरकार की तरफ से छपी है, अपने यहां की नहीं है । उसके श्रीमन्, तीसरे अध्याय के पैरा २९ में यह लिखा है कि तीनों योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद हम कहां पहुंचेंगे । तीनों योजनाओं के पूरा करने में हमें कितना धन लगाना पड़ेगा और उससे हम किस परिणाम पर पहुंचेंगे । तो उन्होंने बताया है कि २०,३१० करोड़ रुपया खर्च होगा तीनों योजनाओं में और उसके बाद पहुंचेंगे हम कहां श्रीमन्, कि प्रति व्यक्ति साढ़े ७ छटांक तो अन्न मिलेगा और डेढ़ छटांक दाल मिलेगी और १७.५ गज सूती कपड़ा सालाना प्रति व्यक्ति मिलने लग जायगा । २०,३१० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद श्रीमन्, इस नतीजे पर हम पहुंचने वाले हैं, जिस नतीजे को पाने के लिये यह टैक्सेशन किया जा रहा है, और जिसमें हमें यह दिखाया जा रहा है कि हमारी आर्थिक नींव दृढ़ हो रही है । इतना ही नहीं श्रीमन्, एक बहुत बड़ी तरक्की और होगी इस तीसरी योजना के पूरा होने के बाद । यह भी उसी पुस्तिका में है जिसका नाम मैंने पहले लिया । उस तृतीय पचवर्षीय योजना की रूपरेखा के तीसरे अध्याय के पैरा ३० से मैं यह बतला रहा हूं । उन्होंने यह बतलाया कि लगभग १३ करोड़ एकड़ खेती वाली भूमि अपने देश में है । वह चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पुस्तक है इसलिये उसमें पूरे देश के लिये लिखा है । उसमें बताया है कि जो खाद बनेगा वह बनेगा २७५ लाख मन । यानी अगर इस खाद को बांट दिया जाय तो श्रीमन्, १२ छटांक खाद पर एकड़ पड़ेगा । यानी भूमि को जो हम भोजन देंगे वह १२ छटांक खाद पर एकड़ होगी । आदमियों को जो हम भोजन देंगे वह ७।। छटांक देंगे और १।। छटांक दाल इस तरक्की के लिये हम से कहा जाता है कि इसको मंजूर करो और इस रुपये को दो । इतना ही नहीं, तुर्रा यह भी है कि हमसे यह कहा जाता है कि मर जाओगे मगर अगली पीढ़ी सुख से रहेगी । पता नहीं कि स्वर्ग से हम कौन सी दूरबीन लगाकर देखेंगे कि हमारी तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी मजे में है और ७।। छटांक खानेवालों की क्या हालत है । इसको देखने के लिये कौन से साधन का इस्तेमाल होगा ?

एक चीज और निवेदन करूंगा और यह भी उसी पुस्तिका से निवेदन करूंगा क्योंकि अपनी तरफ से कहूंगा तो उधर से यह कहा जायगा कि यह तुम्हारा काम है और तुम विरोधी हो । जो उन्होंने कहा है वही कहता हूं । यहां की यह बात नहीं है बल्कि यहां से बड़े लोगों की बात है । उसी पुस्तिका के तीसरे अध्याय के पैरा ४६ में उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक गांव के लिये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है । यह कर दिया जायगा यह वादा किया है । उसमें सब से पहले नम्बर पर जो चीज रखी गई है वह रखा गया है पीने का पानी । प्रत्येक गांव को शुद्ध पीने का पानी तृतीय योजना के समाप्त होने पर मिल जाना चाहिये । अगर मंत्री जी भूल नहीं रहे होंगे तो एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है कि २५ फीसदी पहले अपनी जेब से दे दो फिर पानी की बातचीत करो यानी पानी मिलने के पहले हम २५ फीसदी दें तब सरकार की तरफ से विचार होगा कि हमारे लिये पानी आवे या नहीं । इसलिये हमसे कहा जाता है कि इस बिल को पास करो और रुपया दो । जिस वक्त सरकार को रुपये की जरूरत पड़ती है तो हमसे कहा जाता है कि रुपया दो । हमारे लिये जब पानी की जरूरत होती है तो हमसे कहा जाता है कि २५ फीसदी दें तो पानी के लिये विचार करें । इसी प्रकार से आप यह भी देखेंगे कि जो उद्देश्य बतलाये गये हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह जरूरी नहीं है कि इसका रुपया दिया जाय क्योंकि पहली को पूरा नहीं कर पाये । जो आप कहते थे उसके आधार पर यह बिल नहीं है ।

एक चीज और भी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की उसी पुस्तक में कहा गया है। एक चीज के ऊपर उन्होंने विचार किया कि इतना रुपया हमारा खर्च हुआ। मगर उतनी हमारी आमदनी नहीं बढ़ी तो क्यों? जनसंघ के सदस्य अटलबिहारी बाजपेयी जी ने जब यह प्रश्न किया था तो उसी के ऊपर यह जांच की गयी और छानबीन की गई तो सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन योजनाओं में जितना योजना पर खर्च हुआ है उससे अधिक खर्च हो गया है मकान बनाने में योजना चलाने वाले लोगों के रहने के लिये और फिर मकान के फर्नीचर पर डिजाइनिंग पर खर्च हुआ। यानी जो चीज बनी अप-टू-डेट। मालूम पड़ता है कि कैलीफोर्निया या हालीवुड से मकान ला कर यहां रख दिये गये हों और इस तरह से उन पर ज्यादा खर्च हुआ जिसकी वजह से हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि यह ठीक है कि मकानों की आवश्यकता है, वह बनने चाहिये और उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब सवाल यह आता है कि इस बिल के द्वारा क्या हम उस मंतव्य की पूर्ति कर रहे हैं? इस बिल के बन जाने के बाद सरकार ने तो साफ जवाब दे दिया कि हम अब मकान पर नहीं खर्च करेंगे और इसके माने हैं कि सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र में मकान बने और उसके लिये सरकार का प्रोत्साहन आवश्यक है। इस बिल के पास हो जाने के बाद निजी तौर पर कौन मकान बनायेगा यह सोचने की बात है।

इस समय किसी मकान वाले को कितना टैक्स देना पड़ता है यह अगर मैं निवेदन करूं तो आपको पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की हिम्मत आगे मकान बनाने की पड़ेगी या नहीं। जब निजी क्षेत्र में मकान नहीं बनेंगे तो मजबूरन सरकार को मकान बनाने पड़ेंगे और योजना का रुपया मकानों पर खर्च हो जायगा। नतीजा यह होगा कि जैसे पिछली दो योजनाओं में हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके वैसे ही यह तीसरी योजना भी खटाई में पड़ जायगी। मकान के किराये का ३३ परसेंट तो मकान मालिक को इन्कम टैक्स का देना पड़ता है। १०० रुपये में ३३ रुपया इन्कम टैक्स को चला जायगा, इसके अलावा गृह कर, जल कर, नजूल की जमीन का किराया २५ फीसदी उसे देना पड़ता है। मकान के रख रखाव का खर्च २० फीसदी लगता है और यह तब है जब मकान मालिक को ईंट, सीमेंट, लोहा, सब सामान कंट्रोल दाम पर मिल जाय और ऐसा होना नितांत असंभव है। असंभव इसलिये है कि सीमेंट तो सरकारी काम के लिये ही पूरी नहीं पड़ रही है, वह निजी काम के लिये कहां से दी जाय। लोगों को ज्यादातर काले बाजार में ही सीमेंट लेनी पड़ती है। वहां वह दुगने दाम पर मिल जायगी लेकिन सही रास्ते से जरूरत की आधी भी नहीं मिलेगी। तो २० फीसदी का खर्च कंट्रोल रेट से चीज मिलने पर है और अब यह १० फीसदी का टैक्स नया लगाया जा रहा है। कुल मिला कर ८८ फीसदी होगा। अभी नगरपालिकायें और महानगरपालिकायें मुंह बाये खड़ी हैं और साढ़े १२ फीसदी वह टैक्स बढ़ाना चाहती हैं। अगर वह इसमें जोड़ लिया जाय तो आधा परसेंट मकान मालिक को अपने घर से देना पड़ेगा। इस तरह से पूरा-पूरा १०० परसेंट तो टैक्स में चला जायगा।

मकान मालिक साहब क्या करें? वह बीबी का जेवर बेच दें या क्या करें? आप सोचिये कि इस नफे पर कौन रोजगार करेगा? कौन मकान बनायेगा और कौन हिम्मत करेगा? इसके माने हैं, निजी क्षेत्र से मकान नहीं बनेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को मकान बनाने पड़ेंगे और उसमें रुपया खर्च होगा ही। यह एक मानी हुई बात है। परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में पहले ही लिखा हुआ है कि इतनी योजनाओं के पूर्ण न होने का कारण केवल यह मकान ही हैं। मकानों पर खर्चा ज्यादा हो गया है।

मैं थोड़ी देर के लिये यह मान लेता हूं कि सरकार ही मकान बनायेगी। परन्तु इसी संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर भी खींचूंगा कि सरकार के बनाये मकानों की क्या दशा है? श्रीमन्, आपने अखबार में देखा होगा कि बहराइच में एक "ताजमहल" नाम की इमारत का उद्घाटन बाद में हुआ और वह पहले ही चिटक गई थी। उसने अपने उद्घाटन का घूंघट बाद में खोला और चिटक गई। यह है हमारी सरकार द्वारा बनाई गई इमारतों की मजबूती का उदाहरण। इमारतों और क्वार्टरों के बनाने की यह हालत है कि उनकी जोड़ाई की जब जांच होती है तो पता लगता है कि ईंट की सिर्फ सीमेंट से जुड़ाई है और उसके बाद सारी दीवार मिट्टी और गारे की

[कुंवर श्रीपालसिंह]

होती है। यह है हालत आज हमारे सरकारी कामों की। यह बनने वाले ताजमहल और इतमातुद्दौला जो हमारी सरकार बना रही है यह उद्घाटन से पहले ही चिटक जाते हैं। इसी प्रकार आप मकान बनायेंगे और बेकार धन खर्च होगा।

मैं इसीलिये निवेदन करूंगा कि आप इस बिल को वापस लें और प्रवर समिति में देने का प्रश्न बाद में उठता है। आप यह देखें कि यह बिलकुल बेकार है, व्यर्थ है। उधर से कोई भी बात होगी तो समाजवाद को जरूर उसमें घसीटा जायगा और इसलिये ऐसा करेंगे कि वह एक बड़ा मोटा पर्दा है, उनके लिये उसके पीछे छिप जाने से असली रूप नहीं दिखाई देता है। खाली समाजवाद दिखाई देता है। कहा यह जाता है कि इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले बोल रहे हैं। यदि हम कुछ कहते हैं तो यह कहा जायगा कि यह आवाज मकान मालिकों की है।

यह आपका विचार नितांत निराधार है कि इस विधेयक का असर मकान मालिकों पर पड़ने वाला है। वह धारा साफ कहती है कि जो मकान मालिक खाली व्यापार के लिये मकान बनायेंगे, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना उससे चार्ज किया जायगा वह तो किरायेदार से वसूल कर ही लेगा। यदि आप गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका असर आखिर में किरायेदार पर ही पड़ता है, मकान मालिक पर नहीं। उदाहरण के लिये आप कपड़े को लें। उस पर जो बिक्री-कर लगा है, जो खरीदता है उसे ही अदा करना पड़ता है। नाम है दूकानदार का। यह निश्चित है कि इस बिल का असर गरीब जनता पर ही पड़ेगा। पर आप कहते हैं कि यह बिल समाजवाद के लिये एक सीढ़ी है। मकान मालिकों की गर्दन तोड़ने के लिये ही हम यह बिल लाते हैं। मगर आप देखें कि एक बीते की बीछी का डंक जौ भर का होता है। इस पूरे बिल में जो यह समाजवाद संबंधी धारा है इसने समाजवाद की लुटिया डुबो दी है। जो वसूली होगी वह किरायेदार से। किरायेदार कोई मिल-ओनर नहीं हैं और न उनके प्रतिनिधि हैं, वह तो गरीब लोग हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। यह तो जानबूझ कर इनफ्लेशन किया गया है। इस बिल के द्वारा उसी की जेब टटोली गयी है, उसको इस कदर परेशान करने का इरादा कर लिया गया है कि उसका रहना मुश्किल हो जायगा। यह सब चीजें जानबूझ कर की गयी हैं। उसका प्रमाण यह है कि हर साल घाटे का बजट बनता है तो क्या वजह है कि सरकार उसमें नफा कमा लेती है, अगर घाटा है तो नफा कहां से हो जाता है? इसके माने यह हैं कि घाटा नकली है। नकली घाटा दिखा कर रुपये की अधिक मांग करना, फिर उसके लिये टैक्स लगाना, टैक्स वसूल करके तब घाटे को बचत में परिवर्तित कर देना, यही सरकार की नीति है। अगर ठीक जगह पर इस्तेमाल हो रुपये का तो बहुत ठीक है, क्योंकि साढ़े ७ छटांक हमें अन्न मिलेगा।

एक चीज और निवेदन कर दूं। सन् १९५१ के बाद जिन्होंने मकान बनाया, जिनपर रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू नहीं है उनके मकानात की आमदनी का रिटर्न ४ से ५ परसेंट तक होता है, जितना रुपया उसमें इन्वेस्ट किया, जबकि लकड़ी का बुरादा बेचने वाला आदमी जिसको न नमक लगे, न फिटकरी, दूसरे से आनों में बुरादा लेकर रुपयों में बेचता है और २५ परसेंट नफा करता है। हमारा जहां तक अन्दाज है सरकार भी जहां व्यापार करती है वहां साढ़े १२ परसेंट से कम नहीं नफा लेती। तो ४–५ परसेंट का रिटर्न मिलने पर भी लोग किसी भी भावना से प्रेरित हो कर मकान बनाते थे, बनाकर देते थे या स्वयं रहते थे। सरकार द्वारा योजनाओं में ऋण देने की व्यवस्था है कि छोटी तनख्वाह पाने वाले जो मुलाजिम हैं, जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं कि वे गरीब किसी तरह से भोजन कर लें, उन्होंने ऋण लेकर एक मकान अपना खड़ा किया। सोचा था कि बच्चे यह कहेंगे कि बाप ने एक साया तो डाल दिया। वह जब इस टैक्स में फंसेंगे तो कहां जायेंगे– क्योंकि फंसने वाले वही हैं। वह बड़ा आदमी जिसकी शक्ल यहां दिखलाकर समाजवाद का नमूना पेश किया जाता है कि इसकी गर्दन काटने वाले हैं उसके ऊपर, जैसा कि पृथ्वी के ऊपर एक स्फीयर बना हुआ है कि जितनी भी उल्कायें आती हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं, वैसे ही बड़े

आदमी के ऊपर भी स्फीयर बना हुआ है। सरकार की तलवार जब उसकी गर्दन की तरफ चलती है तो उस स्फीयर में टकरा कर सीधे सर के ऊपर से यों निकल जाती है और निकल करके उस गरीब पर पड़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। सारे टैक्सों का बोझ उसी पर पड़ रहा है जिसकी हिमायत यहां पर दिखलाई जाती है। अगर एक-एक चीज को देखा जाय तो एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके लिये हम रुपया देने के लिये तैयार हों या अपने प्राण देने को तैयार हों। अब तो टैक्स देना प्राण देना ही है।

श्रीमन्, मैं अब राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसे बतलाना चाहता हूं। यह मैं संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वेक्षण प्रतिवेदन से दे रहा हूं—सन् १९५३ से १९५९ तक के आंकड़े हैं। इसमें भारत की आय में १६ परसेंट की वृद्धि बताई गई है। इसी तरह जापान की ६२ फीसदी, बर्मा की ३१ फीसदी, कम्बोडिया की २६ फीसदी, हिन्देशिया की २७ फीसदी, थाइलैंड की २८ फीसदी है। एक कन्ट्री ऐसा है जिसकी आय भारत के मुकाबले कम है और वह है पाकिस्तान, जहां पर १३ फीसदी वृद्धि हुई है, जबकि हमारे यहां १६ फीसदी है। कम्बोडिया और थाइलैंड जैसे देशों ने हमसे ज्यादा तरक्की की है।

इसी तरह अब आप निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की ओर आइये। आप यह देखें कि अगर मकान सरकारी क्षेत्र में बन जायेगा तो क्या हालत होगी, और अगर निजी क्षेत्र में बन जायेगा तो क्या हालत होगी। यही सब से मुख्य बात विचारने की है। इस विधेयक द्वारा निजी मकान बनाने वालों को रोका जा रहा है। अगर सरकार के मकान अच्छे होते हैं, तो आप जरूर रोक लगाइये। मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना से इस्पात के उत्पादन के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९६१ के प्रथम ४ महीनों में इस्पात का उत्पादन निजी क्षेत्र में १५ करोड़ टन हुआ....

एक सदस्य—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—(गिनने के पश्चात्) कोरम है।

कुंवर श्रीपालसिंह—और वही सरकारी क्षेत्र में केवल ५ करोड़ टन हुआ। कहीं १५ करोड़ टन और कहीं केवल ५ करोड़ टन। फिर सन् १९६२ के प्रथम ४ महीनों में निजी क्षेत्र में उत्पादन १६ करोड़ टन हुआ यानी १ करोड़ टन बढ़ा, परन्तु सरकारी क्षेत्र में वह ५ करोड़ टन से घट कर ३ करोड़ टन ही रह गया। अब आप सोचें कि निजी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है या सरकारी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में मनुष्य के अन्दर जो प्रोत्साहन की भावना होती है वह इसमें नहीं होती है। उसका नतीजा यह होता है कि इस क्षेत्र में कभी भी उतनी तेज तरक्की नहीं होती है जितनी होनी चाहिये। अगर मकान सरकार की तरफ से बनाये गये तो हालत वही होगी।

मंहगाई की इस समय हालत क्या है, उसपर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वह इसलिये कि टैक्स तभी लग सकता है जब आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी हो, उसकी आमदनी अधिक हुई हो, उसके पास अपने भरण-पोषण के अलावा पैसा बचता हो। मगर जब उसके पास भोजन भर के लिये भी पैसा नहीं है, तब टैक्स लगाने के मायने सीधे सीधे उसकी गर्दन काटना है। अगर १९३९ के कानपुर के बाजार के मूल्य को १०० मान लिया जाय, तो सन् १९५७ में ४४८, सन् १९५८ में वही बढ़कर ४६८ हुई, सन् १९६० में ४७६, १९६१ में ४८६ और १९६२ फरवरी तक वह बढ़कर ५१३ हो गई। आप सोचें कि पांचगुनी से भी अधिक महंगाई बढ़ी। तो शहर के गरीब और अमीर तबके पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा उसी मिडिल क्लास वाले आदमी पर जो किसी भी देश की रीढ़ होता है। मैं क्षमा किया जाऊं, मैं तो यहां तक भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर देश की स्वतंत्रता आई है तो उसी मिड्ल क्लास की बदौलत आई है। मिड्ल क्लास में बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, वह अखबार पढ़ता है और संसार को देखता है कि कहां जा रहा है। इसी क्लास के लोग क्रान्ति भी करते हैं।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

किसी भी क्रान्ति के जन्मदाता मिड्ल क्लास के लोग ही हुये हैं और इस बिल की धार सीधे मिड्ल क्लास की गर्दन के ऊपर पड़ेगी। क्योंकि छोटे दर्जे का आदमी तो जैसे पहले फुटपाथ पर पड़ा रहता था वैसे ही पड़ा रहेगा, उसके लिये नहीं मालूम कितनी योजनायें खत्म हो जावेंगी। बड़ा आदमी यह टैक्स किरायेदारों स वसूल करेगा। मेरा वही मिड्ल क्लास का आदमी जो उन मकानों में रहता है। आज रोजाना तनख्वाहें बढ़ाने की मांग होती है और सरकार भी कहती है कि बढ़नी चाहिये, लेकिन उलटे उन्हीं के ऊपर टैक्स। तो यह घूमफिर कर वहीं खत्म हो जायगा, इसमें कोई नफा नहीं होगा।

इस बिल को देखकर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। भगवान कृष्ण, और उनकी सन्तान बहुत बढ़ीं। वे बड़े प्रबल हुये, बड़े तलवार चलानेवाले और बड़े तेज लड़ाके हुये। उस तलवार के और अपनी संख्या के जोश में एक दिन उन मोहन की सन्तानों ने अपने में से एक आदमी के पेट पर कढ़ाई बांध दी, उसे साड़ी पहनाई और एक महात्मा के पास ले गये। उनसे पूछा कि महात्मा, इनके गर्भ से क्या सन्तान पैदा होगी। महात्मा ने उत्तर दिया कि इसके गर्भ से वही सन्तान पैदा होगी जिससे तुम्हारा नाश होगा। तो, श्रीमन्, यह मोहन जिनकी आपके ऊपर तस्वीर लटकी हुई है जिनके चक्र द्वारा देश को स्वतंत्रता मिली, उन मोहन की सन्तान ये हमारे सामने बैठने वाले लोग हैं जो अपने उसी बहुमत बल के आधार पर अपने दो साथियों के पेट पर कड़ाही बांधे हैं। मैं क्षमा किया जाऊं, हमारे माननीय मंत्री जी श्री विचित्र नारायण जी, जो इन मोहन के सच्चे भक्त हैं, एक कड़ाही तो उनके पेट पर बांधी गई है और दूसरी कड़ाही हमारे सबसे पुराने सदस्य इस भवन के, ठाकुर हुकुमसिंह जी हैं उनके पेट पर बांधी गई है और द्वापर में जो महात्मा थे उनके स्थान पर यह सदन है। सदन के समक्ष इन मोहन की सन्तान अपने बहुमत के बल के आधार पर अपने दो साथियों के पेट पर कड़ाही बांध कर यहां आई है और पूछ रही है कि बताओ, इनके गर्भ से क्या पैदा होगा। यह सदन, श्रीमन्, यही जवाब दे रहा है कि इनके पेट से वह सन्तान पैदा होगी जिससे तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---अगर यह सदन की इच्छा होगी तो जरूर सत्यानाश हो जायेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह--उसका प्रमाण यह है कि इतनी बड़ी अनुशासन की तलवार होते हुये भी, जिसके गले में फंदा पड़ा हुआ है अनुशासन का, उसने भी आज हमारे साथ हाथ उठाया और हमने उसे समझ लिया कि उस जगह पर मंत्री जी ने हाथ डाला है जो बिलकुल जलती हुई भट्ठी है। उस मिड्ल क्लास के पेट पर उन्होंने लात मारी है जिसका आधा पेट खाली है, रात को पानी पीकर सो जाता है। उसे सफेद कपड़ा मजबूरन पहनना पड़ता है। उसे अपने बच्चों को मजबूरन पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वह स्वयं पढ़ा-लिखा आदमी है, उसे हफ्ते में एक बार सिनेमा इसलिये जाना पड़ता है कि उसे मेन्टल रेस्ट चाहिये। वह अपना खर्च किसी तरह से कम नहीं कर सकता है। उसके ऊपर टैक्स लगाकर, उसके भूखे पेट को फाड़ कर उसमें से सोने का अंडा निकालना वैसा ही है जैसे यादवों ने उस कड़ाही को समुद्र में फेंका और उससे जलती हुई घास निकली और यादवों ने एक दूसरे को काट डाला। वैसे ही यह बिल भी तलवार की धार रखनेवाली घास है। याद रखिये, हम लोग कहीं दूसरी जगह नहीं है। कभी कभी हम लोगों के कान में आवाज आ जाती है और सूंघने को मिल जाता है कि क्या हवा है। हमें मालूम है कि बहुमत दल ही के अन्दर कुछ खिचड़ी पक रही है। मालूम है हमें कि बहुमत दल के अन्दर बहुमत इस बात के पक्ष में है कि इन गरीबों पर टैक्स न लगाया जाय। मिड्ल क्लास के पेट पर लात न मारी जाय। मगर जैसा मैंने निवेदन किया, अनुशासन की उस कड़ी रस्सी में, कठोर तलवार के नीचे जिनकी गरदनें फंसी हुई हैं, उसे सोचकर मुझे एक चौपाई याद आगई कि 'चरत हरित तृण बले पशु जैसे'। उसकी दशा ऐसी है जैसी कि एक बलि दिये जाने वाले पशु की होती है जो गरदन के ऊपर तलवार लटकते हुये भी हरी घास खाता रहता है।

यह नहीं सोचता कि यह तलवार किसी भी क्षण गर्दन को काट कर जीवन को समाप्त कर देगी। वह खाली घास के लालच में पड़ रहा है, अपने बहुमत पर वह भूला है। शहरों में जो मिडिल क्लास रहता है, तथा गाँवों में जो किसान लोग रहते हैं, उन्हीं के आधार पर तो उनका बहुमत है। थोड़े से दिनों का विधान सभा का लालच हरित तृण है, उसके लिये अपनी गर्दन न कटाइये। इन गलत क़ानूनों का विरोध करिये। जिस समय आप जनता के सामने जायेंगे और जब यह आप से जवाब तलब करेगी तो आप को मुंह न दिखाते बनेगा। इस चीज़ को सोचिये।

मैं इस समय जो बात कह रहा हूं ,उससे चाहे मेरे दल के लोग नाराज हो जायं, विरोधी-पक्ष के लोग खिलाफ हो जायं, लेकिन सत्य बात पर मैं पर्दा नहीं डालूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज कोई भी एक संगठित पार्टी सिवाय काँग्रेस के नहीं है। यह वाकया है। विरोध पक्ष ५–६ जगह बंटा हुआ है। अगर एक पार्टी विरोध में होती तो मैं कहता कि काँग्रेस खत्म हो जाय तो भला हो और देश का उद्धार हो। लेकिन सवाल तो यहाँ आता है कि अगर काँग्रेस समाप्त हो जायगी तो उसकी जगह कौन आयेगा? अपोजीशन में वोट किसको पड़ेगा? इसलिये देश और गणतंत्र के हित में मैं यह निवेदन करता हूं अपने बहुमतदल वाले भाइयों से कि यह बिल उनकी गरदन पर लटकी हुई तलवार है। क्योंकि जब मिडिल क्लास शहरों में और गाँवों का किसान उनके खिलाफ हो जायगा तो बापू की दुहाई काम न देगी। उस दिन जमींदारी विनाश का दगा हुआ कारतूस, दगे हुए कारतूस और दगी हुई टोपी की तरह घोड़े की आवाज़ हो करके ही रह जायगी, आप का वह नारा भी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पायेगा तथा बड़े-बड़े पूंजीपतियों को समाप्त करने का जो नारा है समाजवाद का वह शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लोगों के अधभूखे पेट को भर न सकेगा और इस काँग्रेस का इस सदन के प्रभाव क्षेत्र में विनाश हो जायगा।

हमें डर है कहीं वह आपत्ति न आ जाय जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। बर्मा, पाकिस्तान आदि देशों में जो हो रहा है उससे डर लगता है। इसलिये इसको आप अपनी प्रेस्टिज का इश्यू न बनाइये और १३ करोड़ सरीखी मामूली रकम के लिये लाखों के सिर पर तलवार न चलाइये। हमें इसके लिये दावत दीजिये, हम बतायेंगे कि वह किस तरह से हो सकता है और उसके लिये कोई खमियाजा भी न चाहेंगे। वह भी हम नहीं चाहते कि उसे आप प्रकाश में लावें। आप आज्ञा दीजिये, मुझे बुलाइये, बन्द कमरे में आकर मैं आपको सलाह दूंगा और किसी से कहने भी नहीं जाऊंगा कि मुझसे सलाह ली गई। आप उसका पूरा फायदा उठावें, मगर भगवान के लिये, मोहन के लिये और अपने देश भारत के लिये कम से कम इतना तो न कीजिये कि अपने हाथ से अपनी गर्दन काट कर हमें भी उसमें फंसा दीजिये। आप अपने हाथ से अपनी गर्दन काट रहे हैं और फिर भी अपनी आँख से आप उसे देख नहीं रहे हैं, यह अफसोस की बात है। अन्यथा अगर सारी अपोजीशन पार्टीज़ एक होतीं तो जिस क्षण यह बिल उपस्थित होता उसी क्षण यह गवर्नमेन्ट बदल गयी होती और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से एक नहीं बल्कि कम से कम ५०–६० सदस्य तो शक्तिया इधर चले आये होते। मगर प्रश्न यह है कि वे कैसे आवें और क्या करने के लिये आवें, जब वे देख रहे हैं कि ५०–६० सदस्यों के चले जाने से भी नतीजा कुछ नहीं होने वाला है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अगर ३४ सदस्य ही इधर आ जायं तो गवर्नमेन्ट बदल सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह—लेकिन हम और आप जो एक नहीं हैं, हम कुछ कहेंगे तो आप कुछ और कहेंगे। अगर एक पार्टी होती अपोजीशन की तब तो यह बात सम्भव थी। श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मैं सत्य बोलूंगा और इससे कुछ लोग चिढ़ेंगे क्योंकि आजकल सत्य का जमाना नहीं है। सत्य को तो हमारे बापू अपने साथ ही अपनी पुटलिया में लिये चले गये और यहाँ हम लोगों के लिये असत्य छोड़ गये।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, जिस समय महाराज परीक्षित के सामने कलियुग आया तो उसने पूछा कि मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, मैं कहाँ रहूं ? इस पर उन्होंने कहा कि तुम सोने में घुस जाओ। उस समय उनके सिर पर सोने का मुकुट था जिसमें वह घुस गया और उनकी अक्ल ही खराब कर दी। इसी तरह से जिस समय बापू जाने लगे तब भी कलियुग आया और कहा —महात्मा आप तो सत्ययुग के लाने वाले हैं, लेकिन हम कहाँ जायं ? उन्होंने कहा कि जो ताज है हमारे नाम का उसमें घुस जाओ। तो वह चीज हो गयी। आज हम क्या कहें, जिसको अपनी मौत अपनी आँख से नहीं दिख रही है, जो स्वयं अपने हाथ से अपनी गर्दन काटने को तैयार है, जो यह भी नहीं सोचता कि अपनी गर्दन काटने से देश की गर्दन कट जायगी। इसको मैं इसके सिवा और क्या कहूं कि कुछ लोगों को बुद्धि विभ्रम हो गया है।

अन्त में मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इसको यह न सोचा जाय कि अपोजीशन की तरफ से, या किसी भावना को लेकर मैं यह कह रहा हूं बल्कि मैं तो अपने देश की भावना को सामने रख कर आपके द्वारा अपने बहुमत दल के भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि देश के लिये, प्रदेश के लिये इस काले कानून को पास न होने दीजिये, नहीं तो इतिहास इसको कभी क्षमा नहीं करेगा, बुजुर्ग जो स्वर्ग में बैठे हुये हैं वे कभी इसको क्षमा नहीं करेंगे, आने वाली सन्तानें इसको क्षमा नहीं करेंगी। इसलिये आप बहुमत के बल पर ऐसे काले कानून के द्वारा अपनी गर्दन न काट कर अपनी गर्दन बचाइये और इसे पास न होने दीजिये। बस, मैं यही निवेदन करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। यह फाइनेंस बिल है और उसके लिये अगर आप रूल १२१ देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है—

"Financial Memorandum to Bills and Money clauses in Bills (1) A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

यह बहुत स्पेसिफिक है "शैल बी एकाम्पनीड बाई ए फाइनेंशियल मेमोरेंडम", इसमें मेमोरेंडम तो जरूर दिया गया है लेकिन वह केमफ्लेज्ड कर दिया है। इसमें एक सेक्शन का हवाला दिया गया है कि अगर हमने अधिकारी की नियुक्ति की तब तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन अगर नियुक्ति नहीं की और पुराने से काम लिया तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। मेरा मतलब यह है कि उन्होंने सोचा कि ऐक्ट में परिभाषा नहीं है और केवल एक ब्रेनवेव का सहारा लिया गया है। एक्सपेंडिचर का कोई ज्ञान नहीं है, कोई आँकड़ों का ज्ञान नहीं है जबकि ९० प्रतिशत एस्टीमेट्स उन के माँगने पर आ सकते थे और उनके आधार पर डाकूमेन्ट्स वह यहाँ रख सकते थे। लेकिन बिना उन डाकूमेंट्स और आँकड़ों के यहाँ इस समय विचार नहीं होना चाहिये। इसके अलावा रूल ३१ में भी हमें एक अधिकार प्राप्त है उसका सहारा लेकर भी हम आपके सामने अपना निवेदन रखना चाहते हैं। वह इस प्रकार है कि "यदि कोई बिल से सम्बन्धित कागजात हैं और वह गोपनीय नहीं हैं तो कोई भी सदस्य माँग कर सकता है किउन की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखी जायं। यह एक मेनडेटरी प्राविजन है और उसके अनुसार हम यहाँ इस माँग को कर सकते हैं और हम अपील करते हैं कि वे सब कागजात यहाँ रखे जायं ताकि उनकी रोशनी में सदन उन पर विचार कर सके। इसलिये जितना रिकार्ड है या रिकरिंग या नान-रिकरिंग एक्सपेंडिचर के डिटेल हैं वह सदन के सामने आ जायं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जिन डाकूमेंट्स की श्रीमन्, माँग की जा रही है उनके विषय में एक और माननीय सदस्य ने भी माँग की थी मैंने हिदायत दी है कि वह दिये जायं और जो जो माननीय सदस्य चाहेंगे वह उनको सप्लाई कर दिये जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—वह आप जल्दी से जल्दी भेज दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसके साथ ही अगर आवश्यक होगा तो उसके तखमीने और प्राप्तियां भी दी जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष—सवाल एक्सपेंडिचर के एस्टीमेट्स का है।

श्री उग्रसेन—जब तक यह आंकड़े प्रस्तुत न हों तब तक के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—एस्टीमेट्स आफ एक्सपेंडिचर जल्द से जल्द आ जाने चाहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, अगर अभी से बहस होती है तो यह एस्टीमेट्स बाद को आ कर क्या करेंगे, यदि विचार व्यक्त करते समय ही उनका उपयोग न कर सके तो व्यर्थ है। यह जो बिल आज हमारे सामने रखा गया है उस से इस बिल की तुलना की जाय तो मालूम होगा कि उस में सब दिया हुआ है जब कि उसमें इतनी दिक्कत होने वाली नहीं थी जितनी कि इन चीजों के न मिलने से इस में हो रही है। इसमें ९० प्रतिशत आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः इसे जनहित की दृष्टि से अभी पोस्पोन किया जाय और जब यह सब आंकड़े और डाकूमेंट्स आ जायं तब इस पर विचार किया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह आपत्ति शुरू में की गई होती तब तो बात ठीक थी, अब तो विचार हो रहा है, कल वह सब सदन के सदस्यों को मिल जायगा जैसा कि मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—यह आवश्यक चीजें कब तक सदन में आ जायंगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कल तक सदन की मेज पर रख देंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें पहले यह मिल जायं, क्योंकि मैं तो पहले था नहीं, आज आया और पहले भी यह एतराज हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये जहां तक डाकूमेंट्स का ताल्लुक है, अगर सरकार आज ही दिला दे तो अच्छा है और ऐस्टीमेट्स जल्द से जल्द आ जाने चाहिये क्योंकि यह तो जरूरी चीज थी। क्योंकि यह एतराज पहले नहीं उठाया गया, बीच में उठा दिया है, मैं समझता हूं शेष १ घंट का विवाद हो जाय उसके बाद तो फिर दूसरा प्रश्न आयेगा ही, इसलिये १ घंटे यह विवाद चले, समय बरबाद न हो। इसलिये सरकार कल दोनों चीजें प्रस्तुत कर दे।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि कोई फ़ाइनेंशियल बिल बिना फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस सदन में नहीं आ सकता। और अगर आ गया क्योंकि नियम कहता है कि कोई भी फ़ाइनेंशियल बिल बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिये हुए सदन में लाया नहीं जा सकता और अगर बहस हो गई तो जिस समय यह आपत्ति उठेगी जब तक स्टेटमेंट न आ जाय तब तक बिल पर डिस्कशन एडजर्न हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेमोरेन्डम तो है और उसमें यह भी दिखाया गया है कि एक सूरत में तो कोई खर्चा होगा नहीं। दूसरी सूरत में खर्चा होगा और उसके लिये एस्टीमेट करने में हम असमर्थ हैं। केवल एस्टीमेट होना चाहिये वह नहीं आया है और चूंकि शुरू में यह आपत्ति नहीं उठायी गई और बात चल रही है, केवल १ घंटा विवाद को रह गया है इसलिये उसे चलने दें और कल ऐस्टीमेट मिल जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि १ घंटा बहस जारी रहे जैसी दूसरे दिन से जारी है।

श्री कृष्णपालसिंह—इसमें तो प्रश्न यह है बिल आ ही नहीं सकता जब तक स्टेटमेंट न हो।

श्री उपाध्यक्ष—मेमोरेन्डम अगर नहीं होता तो आप का कहना ठीक था। लकिन चूंकि वह है, उसमें कुछ डिफ़ेक्ट्स हैं जो अपोजीशन और दूसरे लोगों को सेटिसफ़ाई नहीं कर सकते हैं इसलिये एस्टीमेट्स आने चाहिये।

श्री कृष्णपालसिंह—तो रूलिंग यह है कि जो मेमोरेन्डम दिया गया है वह फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट है?

श्री उपाध्यक्ष—उसमें से ज्यादातर है। केवल एस्टीमेट्स नहीं हैं और तो सब रिक्वायरमेंटस पूरी हैं। लेकिन चूंकि वह पूरी नहीं है इसके लिये यह बात आयी।

श्री कृष्णपालसिंह—मेरा कहना है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्लीट नहीं है इसलिये विचार स्थगित हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—विचार चल रहा था। लेट आब्जेक्शन है। मैं समझता हूं उसमें कोई दिक्क़त नहीं पड़ती, अभी तक जैसे ४, ५ घंटे डिस्कस किया है १ घंटे और चलेगा और उसके बाद आ जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पर एक बात कहना चाहता हूं। जो अभी इंटरप्रिटेशन दिया कि मेमोरेन्डम है उस में कुछ बातें हैं कुछ नहीं तो यह तो आप के अनुभव में भी आया होगा कि कोई पेटीशन जब तैयार होती है तो वह पेटीशन नहीं यदि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल न करे। इसलिये 'इट शैल बी एकम्पनीड विद मेमोरेन्डम'। वह मेमोरेन्डम नहीं जो अपनी शर्तों को पूरा न करे। इसलिये माना कि एतराज पहले किसी वजह से नहीं उठा और अब उठाया गया तो जो विचार व्यक्त होने बाक़ी हैं उनके लिये अगर आज इस बहस को स्थगित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेमोरेन्डम तो उन्होंने दिया है और उनके विचार के मुताबिक मेमोरेन्डम पूरा है। लेकिन आपने आब्जेक्शन रेज़ किया है कि एस्टीमेट नहीं है। मैं भी समझता हूं एस्टीमेट नहीं है लिहाज़ा वह जल्द से जल्द पेश कर देंगे और इस आपत्ति को यहीं इसी रूप में मैं समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह समझा जाय कि मंत्री जी आज सब कागजात दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—आज शाम तक दे दिया जायगा।

श्री कृष्णपालसिंह—जिस प्रकार से मेमोरेन्डम होना चाहिये वह नहीं है। तो जब आप चेयर पर बैठ कर ऐसी रूलिंग दे चुके इसका मतलब यह है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्पलीट नहीं है, इसलिये इस बिल पर विचार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—दो बातें हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट न होता और दूसरी यह कि कोई नुक्स रह गया है जो उनके विचार से नुक्स नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरी रूलिंग ठीक है।

श्री उग्रसेन—आप ने कहा कि इसमें कोई नुक्स रह गया है तो नुक्स के बाद विवाद आप किस बात का सदन में चला रहे हैं? नियम १२१ इस प्रकार है :—

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उस के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की व्यवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

विधेयकों के जिन खंडों या उपखंडों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायंगे।"

तो यहां तक व्यवस्था है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। कोई प्राक्कलन नहीं है तो इस पर बहस बन्द कर दी जाय और यह जो दलील दी जाती है कि पहले क्यों आपत्ति नहीं उठायी गयी तो अगर उस समय उठा नहीं सके तो बाद में उठाने के लिये कोई बार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक मोटे अक्षरों की बात है तो आवश्यक हिस्से बिल में मोटे अक्षरों में हैं। दूसरे उनके खयाल में तो मेमोरेंडम ठीक है लेकिन आपकी शिकायत को देखते हुये थोड़ी कमी उसमें है मैंने यह अर्ज कर दिया कि गवर्नमेन्ट कल तक उसे ले आये।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा और उसका अध्ययन किया और जो वाद-विवाद इस सदन में चल रहा था उसे भी गौर से सुना। माननीय कुंवर श्रीपालसिंह इस विधयक का विरोध कर रहे थे उनके बहुत से तर्कों से मैं सहमत हूं लेकिन बहुत से तर्क ऐसे भी हैं जो महज तर्क देने के लिये ही वे कह रहे थे।

इस विधेयक के जरिये जो टैक्स लगाया जा रहा है और जैसा कि उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है उसे देखते हुये कोई दिक्कत नजर नहीं आती कि इस विधेयक में कोई खराबी है। अगर डेवलपमेंट, प्लानिंग और तरक्की के लिये धन की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कहीं न कहीं से अवश्य की जायगी। अगर गांव के छोटे-छोटे आदमियों पर टैक्स लगाने की बात सोची जा सकती है तो शहर के मिडिल क्लास पर भी टैक्स अवश्य लगेगा। जहां तक टैक्स का ताल्लुक है वह भी इतना नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है जिसकी वजह से उसका विरोध किया जाय और न वह कोई इतना ज्यादा टैक्स है जिसे दिया न जा सके।

दूसरी बात जिसकी ओर कुंवर श्रीपालसिंह ने संकेत किया है जरूर काबिले विचार है। इस वक्त मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इसलिये जैसा कि मैंने कहा कि इस टैक्सेशन का उद्देश्य जो है, जो कागज पर लिखा हुआ है वह इतना सुन्दर, इतना अच्छा है जिसके मुताल्लिक कोई तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है, तो हमें भी ऐसा महसूस होता है कि इस टैक्सेशन बिल को पास किया जाना चाहिये।

माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने न जाने कहां से आंकड़े देने शुरू कर दिये थे और बीच में कहते-कहते ८८ परसेंट कुल टैक्सेशन का जोड़ उन्होंने शहर वालों पर लगा दिया और फिर और बताया कि कौन सा नया टैक्स लगने वाला है जो कारपोरेशन और म्युनिसिपलिटीज सोच रही हैं और फिर उन्होंने उस टैक्सेशन को बढ़ाते-बढ़ाते यहां तक कहा कि मकान मालिक अपने पास से देगा। उन्होंने कुछ आंकड़े देते हुये कहा कि ३३ फी सदी तो इन्कम टैक्स लग जाता है मकान मालिकों पर और इस तरह से १०१ फी सदी कुल टैक्सेशन हो जाता है। मैं नहीं जानता कि उन लोगों की बात करते-करते जिन पर ३३ फ़ी सदी टैक्स लगता है कहां से उन्होंने उस मिडिल क्लास का जिक्र करना शुरू कर दिया जिसको दो वक्त रोटी भी नहीं मिलती क्योंकि ३३ फ़ीसदी जिस पर इन्कम टक्स लगता है वह आदमी वह नहीं हो सकता जिसको दो वक्त रोटी भी नहीं मिलती। तो दोनों बातों को मिला जुला कर १०१ फ़ीसदी का टैक्स उन्होंने बना दिया और उसका विरोध कर रहे थे। जैसे उन्हें यदुवंश के नाम की कहानी याद आ गयी थी वैसे ही मुझे भी अपने पढ़ने की बात याद आगयी। एक दफ़ा एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। उन्होंने हंसी-हंसी में कहा कि एक पिंजरे में दो बिल्लियां बन्द कर दी गयीं और उसकी रखवाली एक चौकीदार के सिपुर्द कर दी गयी। पता नहीं चौकीदार ने बिल्लियां कीमती थीं इसलिये उनको चुरा लिया या पिंजरा खोल कर निकाल दिया, बहरहाल, सवेरे जब मालिक ने पूछा कि बिल्लियों का क्या हुआ तो चौकीदार ने कहा कि दोनों बिल्लियों की आपस में लड़ाई हो गयी, उस बिल्ली ने उसे खा लिया और उसने उसे खा लिया। तो माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने १०१ परसेंट

[श्री बृजभूषणशरण]

तो टैक्स बना दिया और जिसका केस आप प्लीड कर रहे हैं सोशलिज्म का नाम ले लेकर उस आदमी का यह केस नहीं है। इसलिये वह दलील जो इस टैक्स के विरोध में दी गयी मैं उससे असहमति प्रकट करता हूं और मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस तरह से १०१ फ़ीसदी किसी के ऊपर टैक्स लगता है। और १०१ फ़ी सदी जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसके लिये खुद माननीय कुंवर श्रीपालसिंह कह चुके हैं कि उनके ऊपर अगर इस कर का भार पड़ता तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता।

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसके उद्देश्य और कारण पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि हमें यह टैक्स जरूर लगाना चाहिये क्योंकि हमें अपने मुल्क की तरक्की करना है। लेकिन देखना यह है कि जिस उद्देश्य के लिये यह हम कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होने जा रही है या नहीं। माननीय कुंवर श्रीपाल जी ने एक ज़िक्र यह किया कि हम हर साल एक घाटे का बजट पेश करते हैं और उस घाटे का बहाना लेकर टैक्स लगा देते हैं लेकिन आखिर में वह घाटा मुनाफे में तब्दील हो जाता है। मैं भी कुछ कुछ इस बात से सहमत हूं कि उधर हम घाटे का बजट पेश करते हैं, फिर उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिये टैक्स लगा देते हैं, हर दूसरे, तीसरे साल कर्जा ले लेते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि मुनाफा हुआ। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम कर्जा लेते हैं उसको पूरा न कर के हमें दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती है उस रुपये को खर्च करने के लिये। इसलिये जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस अकेले को जब मैं देखता हूं तो मुझे यह नजर आता है कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। टैक्स हमें देना पड़ेगा, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे ऊपर के आदमी हों चाहे नीचे के आदमी हों, जब प्रदेश की तरक्की करना है। लेकिन तमाम कांटेक्स्ट में जब मैं इसको देखता हूं तो इस बिल का मुझे कोई जस्टीफिकेशन नहीं मालूम होता है और उस समय हम महसूस करते हैं कि यह घाटा किसी और तरह से पूरा किया जा सकता था। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि अगर माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी को वह तरकीब, वह साधन मालूम हों जिनसे १३ करोड़ का घाटा पूरा किया जा सकता हो और योजनायें सफल बनाई जा सकती हों तो मैं निवेदन करूंगा कि उनकी भी एक ड्यूटी है कि वह बतायें कि क्या तरीके वे अपने मन में सोचते हैं क्योंकि जब हम सदन में वाद-विवाद करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं तो इसलिये नहीं करते, कि ईमानदारी की बात जो हमारे दिल में है उसको न बतायें। लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, उनके पास शक्ति है, साधन हैं और जराये हैं और वे गौर करके इसको कार्यान्वित करायें। इसे बचत से पूरा किया जा सकता था। बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, बहुत से ऐसे विभाग खुले हुये हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री विभाग को ले लीजिये। बड़ा शोर मचाते हैं, और दिन रात सेक्रेटरी साहब हवाई जहाज से कलकत्ता और बम्बई वगैरह चले जाते हैं। अन्य एक्जीक्यूटिव आफिसर्स तो दौरा किया करते हैं लेकिन इस तरह से सेक्रेटरीज दौरा नहीं करते हैं जितना कि हमारे इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी करते हैं और नतीजा क्या निकला है वह भी हमारे सामने है। मैं अन्य मौकों पर कह चुका हूं कि हमारा प्रदेश इसमें पिछड़ गया है। इधर उधर भागने से और हवाई जहाज से दौड़ने में हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सका। जो हम सोचते थे वह नहीं हो पाया तो हमें इस विधेयक को पास करते हुये तकलीफ होती है।

मान्यवर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक इंडस्ट्री आफिसर रख दिया गया है। उसके नीचे १०-१० इंसपेक्टर और बहुत से क्लर्क्स लगे हुये हैं। उसके खर्चे को देख लीजिये। क्या कनाडा, स्विज़रलैन्ड और जर्मनी आदि देशों में भी ऐसा ही है। यह काम क्या करते हैं? अगर टैक्नीकल आदमी होते तो लोगों को सलाह देते कि इस तरह की मशीन लगाओ, इस तरह से काम करो, इससे उत्पादन बढ़ सकता है, इससे तरक्की होगी, क्वालिटी अच्छी

होगी। लेकिन वे टेक्नीकल आदमी न रखकर ग्रेजुयेट्स रख दिये गये हैं और महज इसलिये कि चीफ सेक्रेटरी जाता है तो कलक्टर देखने वाला है, एल० एस० जी० डी० के सेक्रेटरी या चीफ इंजीनियर जाते हैं तो एक्जीक्यूटिव आफिसर और चेयरमैन देखने वाले हैं तो इंडस्ट्री सेक्रेटरी जब आयें तो कोई न कोई आदमी ऐसा रखा जाय जो उनका हुक्म चलाता रहे। क्या इंडस्ट्रीज आफिसर इसीलिये रखे गये हैं? सूचना मंत्री नहीं हैं। हमें क्या फायदा पहुंच रहा है? पुस्तिका हमें रोज ढेर की ढेर मिल जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बंडल के बंडल इन पुस्तिकाओं के हमारे पास पहुंचते हैं तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इनको पढ़ते हैं। सिवाय इसके और कुछ नहीं, कि इनको खोलें और कृषि तथा पशुपालन देखें, ग्राम्या देखें और रद्दी की टोकरी में डाल दें। क्या पढ़ने के लायक मसाला है जिसको सप्लाई कर दिया जाता है? बंडल के बंडल भेज दिये जाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। क्या यह बचाया नहीं जा सकता है?

मैं मानता हूं और मैंने कई मर्तबा विरोधी पक्ष का विरोध करते हुये यह बात कही है कि यदि हमारे बस की बात नहीं है कि किसी आई० सी० एस० की साढ़े तीन हजार रुपया तनख्वाह घटा कर हम ११ सौ रुपये कर दें। जिस वक्त सरकारी मुलाजिमत उन्होंने शुरू की उस वक्त हमने कुछ उनके साथ शरायात तय की थीं। इस स्टेज पर हम उनको बदल नहीं सकते। उसको बदलने के लिये हमें कांस्टीट्युशन बदलना पड़ेगा जो हम यहां बैठ कर नहीं कर सकते। परन्तु हम यह जरूर कर सकते हैं कि उनसे ठीक से काम ले लें। उनके टैलेंट को वेस्ट न करें। बेकार कमिश्नर बना कर बैठा दिया है। उनके पास कोई काम नहीं। कोई नहीं बताता कि उनके पास क्या काम है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की हमारी एक कमेटी भी है। उसकी मीटिंग भी होती है। उनमें बजाय इसके कि काम की बातें डिस्कस की जायं मैं खुद उसका सदस्य तो नहीं हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे सदस्य से सुन कर बतलाता हूं-जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की मीटिंग बुलायी जाती है, उसमें अजेंडा होता है यहां की छुट्टियां डिस्कस करने के लिये। यह कोई जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को बुलाने की बात थी? हर विभाग के साथ ऐसी ही कमेटियां बनी हुई हैं। क्या वह यह समझते हैं कि कमेटी की मीटिंग में हम इसलिये आना पसन्द करते हैं कि हम को आने जाने का खर्चा मिल जाय? हम कहते हैं कि हम से सलाह मशविरा लिया जाय जिससे शासन प्रणाली और खर्च में सुधार किया जाय (व्यवधान)।

आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं पचीसों प्लानिंग बता दूं जिनकी आवश्यकता नहीं है। नहर की प्लानिंग को ले लें। आज एक प्रश्न को ले कर वितंडावाद खड़ा हो गया था, एक बांध तोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स अपने तजुरबे से सीखते हैं। तो फिर तीन हजार रुपया दे कर ६० वर्ष के बाद उनको एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत है? फिर तो हम सीख लेंगे, दो चार बांध तोड़ कर, दो चार नहरें निकाल कर। इस तरह के तजुरबा करने के लिये हमें रुपया दे दें। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। तजुरबा करने के लिये लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में खूब तजुरबा कीजिये। जहां ६ करोड़ की आबादी है, इतना लम्बा चौड़ा इलाका है, उस पर यहां १५ साल से तजुरबा हो रहा है। इंजीनियर पहले भी थे, अब भी हैं। नावें पहले भी थीं अब भी हैं। लखनऊ में पहले मोहल्लों में किश्ती नहीं चलती थी। दो-तीन साल से सुनते हैं कि न्यू हैदराबाद में, डालीगंज में किश्ती चलती है। क्या तब्दीली हो गयी? तब्दीली यह हो गयी है कि पहले प्लानिंग नहीं थी अब प्लानिंग है, और उन एक्सपर्ट्स से तजुरबा करवा रहे हैं, जिनको चार चार, पांच पांच हजार रुपया देते हैं। उनके कुकर्मों को, दुष्कर्मों को यह बात कह कर ढक दिया जाता है कि हर एक्सपर्ट से गलती हो सकती है। गलती हो सकती है लेकिन १००–५० में १ को गलती कह सकते हैं। लेकिन १०० में १०२ करें तो उसको गलती नहीं कह सकते।

माननीय श्रीपालसिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो मकान बन रहे हैं वह बनना बन्द हो जायेंगे और सरकार की तरफ से मकान बनाने की जरूरत पड़ेगी। कुछ रुपया

[श्री बृजभूषणशरण]

लगाना पड़ेगा। मैं यह नहीं मानता कि निजी क्षेत्र में मकान बनना बन्द हो जायेंगे, दस फीसदी टैक्स बढ़ जाने से। लेकिन मैं उस बात से बिलकुल सहमत हूं, कि अगर वह कहीं सरकार के सुपुर्द कर दिये गये और सरकार को कहीं मकान बनाने पड़े तो आप मान्यवर, सच मानिये आज के बने हुये मकान तो तीस चालीस वर्ष चल भी जाते हैं, वह जो सरकार बनायेगी वह तीसरे चौथे साल गिर जायेंगे, उनमें कोई रह नहीं पायेगा। मान्यवर, मैं कोई पी० डब्ल्यू० डी० की मुखालिफत करने के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन उसका सबसे बड़ा सबूत मैं दे रहा हूं, पहले मैं भी यही सोचा करता था कि विरोधी पक्ष के लोग और अपनी तरफ के लोग भी जिनमें से कुछ आज गवर्नमेंट में भी बैठे हुये हैं, वह पी० डब्ल्यू० डी० की व्यर्थ इतनी आलोचना किया करते हैं और तरह तरह के लफ्ज प्लंडर विदाउट डेंजर और क्या क्या वह उसके लिये कहा करते थे। लेकिन मैं उस वक्त सोचा करता था कि बहुत अनचैरिटेबिल व्यू ये लोग लेते हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है कि इतनी बड़ी बेईमानी कहीं होती हो। क्या इनके यहां कोई देखने वाला नहीं है? मगर मान्यवर, जब से मुझे नया कमरा रहने के लिये मिला है तब से मेरी समझ में आया है क्योंकि उससे पहले पांच साल तक तो उस कमरे में मैं रहा जिसे कि रायल होटल बनवाने वाले ने बनवाया होगा, पांच साल तो मैंने उस काली कोठरी में काट दिये लेकिन उसके बाद जब मेरे भाग्य का सितारा कुछ चमका और मुझे वह कमरा मिला जिसमें मैं आजकल रह रहा हूं तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि किस तरह से यह प्लानिंग और सोशलिज्म चल सकेगा? इसे तो खत्म कर देना चाहिये। अगर पी० डब्ल्यू० डी० लेजिस्लेटर्स के क्वाटर्स इस तरह के बनवा सकता है, श्रीमन्, मैं आपको दावत देता हूं, बहुत बढ़िया चाय पिलाऊंगा, आप आकर देखिये अगर एक दरवाजा भी कहीं, आपको सीधा मिल जाय, एक चिटखिनी भी अपनी स्पेसिफिकेशन और जगह पर मिल जाय, तो जो सजा चाहें आप मुझे दें। मैंने दो महीने तक एक ट्रे में प्लास्टर के टुकड़ों को इकट्ठा करके और उसे सजाकर के रखा जिस प्रकार कि गुड़ की पनसरी को हमारे यहां सजाकर के रखा जाता है। हमारे यहां गुड़ तीन तरह से बनता है मेला, गिंदौड़ा और अनरसी। तो जिस तरह से अनरसी को सजाकर के रखा जाता है उसी तरह मैंने प्लास्टर के टुकड़ों को सजाकर के रखा और उनसे मैं कभी-कभी विम का काम लेता था। जब विम न हुआ और चम्मच साफ करना हुआ तो ट्रे में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और उसे रगड़ा तो बड़ा सुन्दर पाउडर बनता था और उससे चम्मच बहुत सुन्दर साफ होता था। इसके माने यह हैं कि ये लोग पता नहीं कितने बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं कि रेत ऐसे कभी चिपक नहीं सकती। लेकिन उसे दीवारों पर पता नहीं कैसे चिपका दिया। तो इस माने में तो सचमुच वह बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं।

एक डिपार्टमेंट और है जो माननीय मंत्री जी से ही संबंधित है और वह है टाउन प्लानर का डिपार्टमेंट। यह टाउन प्लानर पता नहीं क्या करते हैं किस तरह की प्लानिंग किया करते हैं किस तरह के नक्शे बनाते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि यह क्या काम करते हैं। लेकिन शायद टाउन प्लानर का यह भी काम होता होगा कि वह बताये कि वह मकान किस तरह से बनाये जायं। आखिर हम भी तो अपने मकानों में रहते हैं, हमने भी अपने छोटे-मोटे मकान बनाये ह, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। कहीं गुसलखाने का दरवाजा उल्टा लगा हुआ है, कहीं बाहर को खुलना चाहिये तो अन्दर को खुलता है, अन्दर को खुलना चाहिये तो बाहर को खुलता है। कोई भी दरवाजा सीधा नहीं मिलेगा। टेढ़े-मेढ़े सब बने हुये हैं। इनको छोड़ भी दीजिये लेकिन जो उसकी डिजाइन है क्वार्टर की वह भी तो ठीक नहीं है। तो पता नहीं क्या कारण हो जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी में तैयार किये जाते हैं?

मान्यवर, एक मिसाल और देता हूं। हमने भी अपने मकान बनाये हैं और शायद एक दो बल्ब ग्यारह सालों में फ्यूज हुये हों। ऐसा भी नहीं ह कि चार-छः बल्ब ही जलते हों,

५०–६०–७० बल्ब जलते हैं लेकिन उसमें ११ सालों में एक दो बल्ब शायद फ्यूज हुये हों, लेकिन यहां क्या होता है कि स्विच दबाइये तो ऐसा मालूम होता है कि बिजली कहीं दूर से आ रही हो, थोड़ी देर के बाद बिजली आती है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि तार इधर का उधर लगाना चाहिये था या पाजिटिव की जगह निगेटिव लगाना चाहिये था या निगेटिव की जगह पाजिटिव लगाना चाहिये था क्योंकि मैंने कभी साइंस पढ़ी नहीं। मगर एक मामूली आदमी होने के नाते हम यह देखते हैं कि सारी दुनिया में स्विच दबाते ही बिजली जल जाती है। यहां क्यों इतनी देर लगती है जबकि और जगह जलाने के साथ ही बिजली जलने लगती है। और क्यों तीसरे दिन बल्ब फ्यूज हो जाते हैं? हमारे यहां नल लगे हुये हैं। उनमें इस तरह की आवाज आती है जैसे कि कोई टाइप की मशीन रखी हो और उस पर कोई टाइप करता हो। इस तरह से खट-खट की आवाज बराबर आती रहती है और जगह भी तो पानी के नल लगे हुये हैं मगर पता नहीं यहां पर क्यों इस तरह की आवाज आती है। इससे मालूम होता है कि कोई कहीं पर डिफेक्ट जरूर है। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहता लेकिन मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता और यह मानता हूं कि डेवलेपमेंट के लिये रुपये की जरूरत है।

श्री उग्रसेन—अभी आप थोड़ी देर पहले इसका विरोध कर रहे थे या तारीफ?

श्री बृजभूषणशरण—मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा था और अब भी समर्थन करता हूं। यह विधेयक डेवलपमेंट के लिये आवश्यक है। इसलिये यह जरूरी है कि टैक्स लगाये जायं। सिर्फ सरकार से इतनी प्रार्थना करता हूं कि जहां पर भी वेस्टेज हो रहा है उसको बन्द किया जाय। जहां पर गलत खर्च हो रहा है उसको रोका जाय। जो खराब काम हो रहा है उसको बन्द किया जाय। यह हमारा कहने का अधिकार है। यह टैक्स ठीक है और हम जरूर देंगे लेकिन इस रुपये को इस तरह से खर्च किया जाय जिससे देश का लाभ हो, देश में डेवलपमेंट हो। डेवलेपमेंट का काम किया जाय। प्लानिंग आप कीजिये लेकिन ऐसी प्लानिंग मत कीजिये जैसी कि प्लानिंग इस वक्त चल रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया। यह तबला वगैरह आप जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट में भेज देते हैं तो इससे क्या तरक्की हो जायगी। जो नान-एसेंशियल आइटम हैं उनको रोका जा सकता है। जैसा कि अभी कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कहा कि हमारी प्लानिंग तो बनी लेकिन उससे हमारी आमदनी जितनी बढ़नी चाहिये थी उतनी नहीं बढ़ी है। खर्चा तो ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। आखिर वह रुपया कहां चला गया? खयाल यह है कि नान प्रोडेक्टिव कामों में हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर प्रोडेक्टिव चीजों पर ज्यादा खर्च किया जाय तो हम ज्यादा रुपया भी देंगे। आप चाहे जितना ज्यादा टैक्स लगाइये उसको भी हम देंगे मगर उस टैक्स का इक्विवेलेंट रिटर्न हम जरूर चाहते हैं। जितने नानएसेंशियल काम हैं उनको आप रोकिये और एसेंशियल कामों के लिये खर्च किया जाय।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक बार फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शहर की जनता में सरकारी मुलाजिम भी रहते हैं जिसका जिक्र श्रीपालसिंह जी ने किया मगर वे भी इस टैक्स को बरदाश्त करेंगे। यह हो सकता है कि वे सरकारी कर्मचारी इसके लिये शोर मचायें कि कुछ न कुछ उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाय। जो मकान मालिक हैं वह किराया बढ़ाकर काम चला लेंगे। जिस मकान में मालिक खुद रहता है उसको यह थोड़ा सा पिंच जरूर करेगा। इस बात को मानना चाहिये कि १० फीसदी की रकम कोई लम्बी चौड़ी रकम नहीं है जिसको कोई मालिक न दे सके लेकिन उसका बराबरी का रिटर्न भी तो जरूर मिलना चाहिये, आंखों से दिखाई पड़ना चाहिये कि हमारे शहर में तरक्की हो रही है। मगर जब हालत यह है कि शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन खराब है और एडमिनिस्ट्रेशन इतना रद्दी है तो इस टैक्स के लगने पर वह लोग चिल्ला पड़ेंगे कि यह भार क्यों लगा दिया गया।

[श्री बृजभूषणशरण]

कहा जाता है कि स्वाशासन है और वे लोग चुनाव करके आये हैं मगर यह भी तो देखना चाहिये कि काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। ठीक काम कराइये। पानी की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। जिन चीजों की स्केयरसिटी है उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिये। अभी तक मकानों की संख्या कम है उसको बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये। मकानों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। लोगों को कर्जा दिया जाता है। लो-इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम वालों को भी मकानों के लिये कर्जा दिया जाता है मगर और उस के ऊपर विचार कीजिये कि और क्या तरक्की की जाय। यहां पर २० रुपये का मकान २२ रुपये में लेना कोई बुरा नहीं समझेगा क्योंकि यह कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर गौर किया जाय। बड़े ढंग से प्लानिंग की जाय। जिस जगह के लिये क्वार्टर मंजूर किये जायं वहां पर देर नहीं लगाई जाय क्योंकि इससे बड़ा हर्ज होता है। इन बातों को साल्व करना है।

मैं अपने शहर का हाल बताऊं कि मेरे शहर के लिये रुपया मंजूर करके भेजा गया भंगियों के क्वार्टर बनाने के लिये। किस तरह से, कहां, किस जगह वह लगना है इसका प्लान कोई नहीं है। वह अच्छा काम करते हैं, सफाई करते हैं पर फिर भी उनके लिये जल्दी काम नहीं होता है। भंगियों के क्वार्टरों के लिये रुपया भेजा गया और उसको भेजे हुये २ साल हो गये, हरिजन सहायक समिति आदि ने कोशिश भी की, लेकिन आपने उसमें लिख दिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड ही उस रुपये को खर्च करेगा और वह दो साल में तय नहीं कर पाया कि वह क्वार्टर कहां पर बनाये जायं। अब वे यह कह रहे हैं कि उतने रुपये में वे क्वार्टर नहीं बन सकते और अब सरकार से उसका जवाब जाने के बाद वह पुराना इस्टीमेट फिर बेकार हो जायगा। तो इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ठीक होना चाहिये, काम होना चाहिये और फिजूलखर्ची रोकनी चाहिये।

जहां तक श्रीपालसिंह जी ने धाराओं की बात कही है वह मैं मानता हूं। यह ठीक है कि इस बिल में कमियां हैं लेकिन उनको ठीक करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। जब हम इसको ठीक समझते हैं तो इसमें टालमटोल करना ठीक नहीं होगा। जो डिफेक्ट्स हैं वे यहां पर ही ठीक किये जा सकते हैं। उनके लिये यहां संशोधन लाये जा सकते हैं और उन्हें विचार करके यहां ठीक किया जा सकता है। इस बिल के पढ़ने से मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि यह बिल रुपये की जरूरत होने पर भी सारे प्रदेश में एक साथ लागू नहीं होगा। मैंने इस के लिये संशोधन दिया है और इसे एक साथ सब जगह लागू होना चाहिये। यह हमारा कर्त्तव्य है और अधिकार है कि हम अच्छे सुझाव दें और इसे ठीक हालत में पास करें। इसके अलावा बहुत से विषय हैं इसमें कि जिनमें गलती हुई है। लोगों को गलतफहमी हुई कि कैपिटल वैल्यू पर यह टैक्स लगाया जाने वाला है। कुत्ते की जगह हाथी दिखायी दे रहा है। तो हमें कर देने में एतराज नहीं एतराज इसमें है कि रुपये का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये उसे ठीक से खर्च करने के लिये जो उपाय हों वह आप करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह बात हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। यह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है और हम सब उसके लिये जिम्मेदार हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का विरोध करता हूं और इसे वापस लिये जाने का भी विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जो बातें मेरे ज्ञान में नहीं भी हैं उन पर भी गौर करते हुये बचत की तरफ प्रापर यूटिलाइजेशन की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे और बिल को अवश्य पास करे।

श्री संतसिंह यूसुफ—(जिला कानपुर) उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि हम लोगों की इतनी बात मंत्री जी क्यों नहीं मान लेते कि इसे एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। हर विभाग की एडवाइजरी

कमेटीज बनी हुई हैं मैं नया आदमी हूं और इसी बार आया हूं। एडवाइजरी कमेटी के क्या काम हैं मुझे यह नहीं मालूम। मेरा अंदाजा यह था कि इस विभाग का अगर कोई बिल हाउस में आयेगा तो उसके लिये पहले कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें उस पर डिस्कशन होगा, परामर्श होगा। लेकिन पता नहीं वह कमेटियां क्यों बनायी गयी हैं जबकि यह परामर्श उसमें हुआ नहीं। दूसरे यह कि इसे एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसमें इस पर विचार किया जा सकता है। हमारे कांग्रेसी सदस्य ने बहुत अच्छी बातें कहीं। और ऐसी बातें हमारे साथी यहां कांग्रेस में हैं, जो यह महसूस करते हैं परन्तु वे डिसिप्लिन की वजह से कुछ कह नहीं सकते। इसलिये यह मामला कमेटी में भेजा जाय तो बहुत अच्छा है। इसके लिये मंत्री जी क्यों नहीं मानते, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उनको बहुत दिनों से जानता हूं। लेकिन इस बार जो अनुभव हो रहा है वह बहुत खराब हो रहा है। पहले बिल पास किया उन्होंने तमाम मकानों को गिराया गया। तब हमने हाथ-पांव जोड़े उनके कि गिराने से पहले रहने के लिये तो जगह का इंतजाम करो। अब आप दूसरा बिल लाये हैं। आप तंबू में रहने वाले लोगों को छोड़ कर बाकी सब के ऊपर इसे लाद रहे हैं। इस समय शहरों में मकानों की कमी की वजह से गरीब जनता परेशान है। मकानों की कमी के अलावा इन कानूनों की वजह से आप देखें कि शहरों में मकानों का किराया ३ गुना और ४ गुना बढ़ चुका है।

कारपोरेशन के जो मकान हैं उनमें एक कमरे का १५ रुपये किराया है जो इस जमाने में किसी हालत में जस्टीफाईड नहीं कहा जा सकता। आप १०–१२ रुपये किराये के, ३ रुपये पानी के और २ रुपये बिजली के लेते हैं। तो यह ६०–७० रुपया तनख्वाह पाने वाले पर कहां तक उचित है ?

मैं आपको अपने कानपुर शहर की बताऊं कि कम से कम १०–१५ हजार आदमी ऐसे हैं जो रहने के लिये जगह के मोहताज हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार उनके रहने के लिये सुविधा करती और छोटे-छोटे किराये पर लोगों को घर देती। लेकिन आप तो उलटी बात कर रहे हैं।

(इस समय ३ बज कर ४६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

या तो उनके ऊपर भी आप १० परसेंट और २० परसेंट किराया बढ़ा दीजिये। पर यह जो आप कर रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि देहात में बहुत बोझ है और शहरों में जनता के ऊपर बोझ कम है। पर जो शहरों में रहने वाले भाई हैं उनको शहरों की हालत मालूम है। आप देखिये कि जो मजदूर शहर में ३–४–५ रुपये रोज पा रहा है, उसके ऊपर और टैक्स बढ़ रहा है और जो मध्यम वर्ग के ६०–७०–८० रुपये माहवार पाता है वह २०–३० रुपये किराया आलरेडी देता ही है और अब उसके ऊपर और किराया बढ़ेगा। जो बोझ मकान मालिक के ऊपर पड़ेगा वह भी किरायेदार पर ही थोपा जायगा। यह है दशा आज हम लोगों की। एक ही हमारे मंत्री जी नहीं हैं और भी लोग उनके फालोअर्स लोग मौजूद हैं। हमारे कानपुर शहर में वाटर टैक्स और हाउस टैक्स बढ़ चुका है और उसका नतीजा यह है कि उसका बोझ किरायेदार पर पड़ा है। जितना हाउस टैक्स बढ़ता है उसना ही मकान मालिक फौरन किराये की शक्ल में बढ़ा लेता है। जब मकान खाली करवाने की बात होती है तब आपका डिपार्टमेंट उसका कोई इंतजाम नहीं करता है। हाते का मालिक अगर किराया बढ़ाना चाहता है तो पानी बन्द कर देता है, बिजली बन्द कर देता है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिख कर कोई भेजे तो कोई नतीजा नहीं और आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि हम अहातों के लिए क्या करें, हम तो सड़क के लिए ह। तो पहले से ही मेरे कहने का मलतब यह है कि अगर यह आर्गुमेंट हो कि मकान मालिक के ऊपर कोई हिस्सा जायगा तो गलत बात है, उसका पूरा बोझ या तो मध्यम श्रेणी पर पड़ेगा या जो ५०–६०, १०० रुपया पाने वाले लोग हैं, या गरीब तबके के लोग हैं उन पर पड़ेगा। मंत्री जी हमारे साथ चले चलें। वहां अहातों में पानी इसलिए नहीं कि

[श्री संतसिंह यूसुफ]

मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है और किरायेदार दे नहीं सकता, इसलिए पानी बन्द पड़ा हुआ है, बिजली कटी हुई है, कोई पुरसां हाल नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि सिवाय मिनिस्टरों के कोई कायदा कानून, कोई निजाम, कोई हुकूमत है ही नहीं। जो जिसकी मरजी होती है वह करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।

अगर आप में शक्ति है, पुलिस के ऊपर असर है तो थोड़ा बहुत कुछ हो जायगा, बड़ों के लिए कुछ ऐडवांटेज जरूर हो जाता है और गरीब आदमी का कुछ असर नहीं हो सकता। वही हाल जमीन का भी है। शहरों में खाली जमीन पड़ी हुई है, वहां पर भी बढ़ जायगा। उसका नतीजा होगा कि मकान और मंहगें होंगे और आखिर में वही मध्यम श्रेणी और गरीबों पर ही बोझ पड़ने वाला है। मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं कि मौजूदा सरकार पूंजीपतियों को किसी मामले में, चाहे टैक्स का मामला हो या कोई मामला हो नहीं छेड़ती है। मैं मंत्री जी से अदब से कहता हूं कि नोट कर लें, एक दो बीघा नहीं, सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी है जो २०–२५ साल पहले कारपोरेशन से ४ आने गज ली गयी थी, आज उसकी कीमत ७५ रुपया गज है। पद्मपत सिंहानिया, जयपुरिया, रामरतन गुप्ता, सरदार इंदरसिंह ने ४ आने गज में ली, मैदान के मैदान पड़े हैं, लो भाई, उनसे लो और क्वार्टर बनाओ तो बहुत रुपया मिल जायगा। आप ही ने ४ आने गज में उनको दी है मकान बनाने के लिए और वह शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए ले सकते हैं। क्या गरीब आदमी के पीछे पड़े हैं? १० रुपया किराया है, १२ रुपया कर दो, १५ है, २० कर दो।

बहुत से भाई कहते हैं ५ साला योजना है। वह किसके लिए बनेगी और किसकी मदद से बनेगी? यह देश के ८०–९० परसेंट की हालत सुधारने के लिए ही तो योजना है और किस लिए है? उन्हीं की मदद से और सहायता से बननी चाहिए और यह मोटी अक्ल की बात है। अगर वही नाराज हो जायेंगे, मजदूर किसान आपसे नाराज हो जायंगे, मध्यम श्रेणी के लोग भी शहरों में आपके खिलाफ हो जायंगे तो यह योजना किसके लिए है? किस लिये आप यह सब मुसीबत उठाते हैं? अगर माननीय मंत्री विचित्र नारायण जी कहते हैं कि इस टैक्स से शहरों में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि एक बार मेरे साथ वे शहर में घूमने वाले और घूम कर लोगों से बातचीत करके देखें कि उनकी क्या हालत है। आज मंहगाई की हालत यह है कि रुपये की कीमत ३ आने रह गयी है। जो मजदूरी करने वाला है आज उसकी कमर और टूट रही है। तीन रुपये सेर कड़वा तेल बिक रहा है, एक रुपये सेर अरहर की दाल बिक रही है। आज अपने तनख्वाह केवल ५ रुपये बढ़ा दी, पर जब एक गरीब बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसको जो सामान पहले २० रुपये में मिल जाता था, उसी सामान के उसको ७० और ८० रुपये देते पड़ते हैं। जिस तरह से आप टैक्स बढ़ा रहे हैं मैं समझता हूं कि आप कोई चीज को बाकी नहीं छोड़ेंगे।

मैं कहता हूं कि आप प्रजातंत्र के नाम पर यह सब मत करें। आपका यह प्रजातंत्र एक गरीब के लिये नहीं है, वह पूंजीपतियों के लिये ही है। जब भी कभी पूंजीपति का सवाल आता है आपके कानून रखे रह जाते हैं। उनके लिये कोई कानून नहीं है। उन पर न मुकदमा चल सकता है न कोई कुर्की आदि ही हो सकती है। अगर एक गरीब मजदूर दो माह का मकान का किराया नहीं देता है तो उसका सामान घर से बाहर फिकवा दिया जाता है। जो आपका इविक्शन आर्डर है यह भी सरकारी क्वार्टरों पर लागू नहीं होता। यह कानून उन पर लागू नहीं होता। लेकिन प्राइवेट मकानों पर वह लागू होता है। अगर सरकारी क्वार्टर को हाउसिंग कमिश्नर खाली कराना चाहे तो वह उसके आर्डर पर फौरन मकान खाली हो जायेगा, लेकिन प्राइवेट मकान अगर किसी का है तो उसको खाली कराने के लिये २/३ साल तक घसीटा जा सकता है। उसके लिये मुकदमा चलेगा। वह हाई कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन सरकारी क्वार्टरों के लिये सरकार का रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू नहीं होगा। दूसरों के लिये तो सब कायदे कानून हैं, मगर आपके सरकारी डिपार्टमेंट के लिये कोई कायदा-कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह आप टैक्सेशन पर बोल रहे हैं अथवा और किसी कायदे कानून पर ?

श्री सर्तासिह यूसुफ—यह उसी का हिस्सा है। पब्लिक के मकानों पर आप टैक्स लगा रहे हैं, कायदे कानून लगा रहे हैं लेकिन सरकारी मकानों पर कोई कायदे कानून नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उस सब का बोझा गरीबों पर पड़ेगा, इससे आपकी पांच साला योजना भी पूरी होने वाली नहीं है, जिनके लिये आप कर रहे हैं उनको भी इससे नुकसान होगा। इस तरह से उन लोगों की आप दिनों दिन सिम्पेथी खो रहे हैं। इसका थोड़ा खयाल रखना चाहिये। अगर वाकई पैसे की दिक्कत है और दूसरी जगह से आप नहीं ला सकते हैं तो ५ साल में नहीं ज्यादा साल में उसको पूरा कर लीजिये। जिसके पास पैसा है उससे पैसा लीजिये, जिसके पास मेहनत है उससे मेहनत लीजिये और जिसके पास बुद्धि है उससे बुद्धि का काम लीजिये और उस योजना से जो एडवान्टेज होता है उसको सबमें बराबर बांट दीजिये। यह योजना का बुनियादी सिद्धान्त है। लेकिन आप बोझा तो गरीबों पर डालते हैं और उसका फायदा पूंजीपति को होता है।

एक बार फिर मैं इस बिल के लिये माननीय मंत्री जी की भर्त्सना करता हूं। हालांकि वे मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझको बड़ा बुरा मालूम पड़ रहा है। लेकिन क्या करूं वे ऐसे-ऐसे कानून ला रहे हैं—मकान गिराओ, रहने मत दो। इस कानून से गरीब लोगों पर मुसीबत आने वाली है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इससे तो अच्छा हो मंत्री जी अगर उनसे नहीं संभलता है तो मेरठ में जाकर खादी आश्रम को संभालें, खादी का प्रचार करें और गांधी जी की बुनियादी चीज को रखें। अगर उनके साथी उनकी बात नहीं मानते हैं तो साफ कहें कि वे लोग नहीं मानते। इसलिये एक बार फिर मैं कहूंगा कि इसको कमेटी के सुपुर्द किया जाय और इसमें संशोधन किये जायं। बड़ी-बड़ी स्टेट्स पर टैक्स लगाइये, मध्यम श्रेणी के लोगों को और अधिक न मारिये, किरायेदारों पर यह नहीं लगना चाहिये। झोपड़ी पर भी आपने लगा दिया है, एक टेंट को छोड़ दिया है। पंडित जी ने एक बार कहा था कि ऐसे मकानों को गिरा देना चाहिये। इससे तो अच्छा ये लोग टेंट्स में रहें। तो इस मामले में तो मंत्री जी ने टेंट का प्रबन्ध कर दिया है। चाहे उन्होंने दूसरे इरादे से कहा हो और ये दूसरे इरादे से ही ऐसा कर रहे हों। इसलिये मैं अपनी बात को खत्म करते हुए धन्यवाद देता हूं।

(श्री उमाशंकर का नाम पुकारा गया और उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप कल अपना भाषण जारी रखें। इस वक्त चार बजे हैं। अब दूसरा कार्य चलेगा।

प्रदेश में कत्ल, डकैतियों, चोरियों तथा अन्य अपराधों में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब आज का जो हमारा अन्तिम कार्यक्रम है—प्रदेश में कत्ल, डकैतियों, चोरियों तथा अन्य अपराधों की होने वाली वृद्धि से उत्पन्न परिस्थिति पर श्री रामचन्द्र विकल द्वारा दिनांक ८ अगस्त, १९६२ को नियम ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विवाद होगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की स्थिति को जान कर आपने आज दो घंटे का समय इस सदन को उस पर विचार करने का दिया। साथ ही मैं यह भी आशा करूंगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमारी सरकार जो इस प्रदेश के तईं जिम्मेदार है हर तरीके से, वह इस विवाद से फायदा उठावेगी और जो अपराधों की स्थिति इस प्रदेश में आज है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयत्न करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो पहली प्रतिक्रिया हुई वह मेरे क्षेत्र के थाना बिश्रक में कई कत्ल हुए और एक कत्ल दिसम्बर, सन् १९६० में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की गोली से हुआ। अनेकों बार माननीय मुख्य मंत्री को लिख कर देने के बावजूद, इस सदन में सवाल करने के बावजूद आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसकी कोई जांच नहीं हुई। अभी हाल में उस कत्ल के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस के पचास-पचास आदमी उस गांव में आने लगे और यह कहने लगे कि गांव वाले ही अपराधी हैं और उनको गिरफ्तार करने लगे। यह सूचना थाना आटा के छनेरा गांव के लोगों ने लिख कर थाने में दी कि दिल्ली की पुलिस भारी तादाद में हमारे यहां आ रही है इसलिये हमारी मदद की जाय। मैं स्वयं भी वहां गया और माननीय सूचना मंत्री जो सौभाग्य से हमारे ही जिले से आते हैं वे भी इस बात की साक्षी देंगे। उनके सामने भी वे लोग आये। जिले के पुलिस कप्तान को भी यह सूचना दी गयी तो उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता दिखलायी। विवश होकर उन लोगों को लेकर मैं दिल्ली गया और वहां के आई० जी०, डी० आई० जी० व डिप्टी कमिश्नर से भी मिला। उन्होंने सारी बातों को सुन कर यही कहा कि आखिर आपकी यू० पी० की पुलिस क्या करती है? उसे सुन कर मुझे और भी शर्मिन्दा होना पड़ा।

इस तरह की एक ही घटना नहीं है बल्कि मेरे ही नजदीक के छनेरा गांव के पंडित सोहन लाल जी का कत्ल हो गया और उसकी जांच आज तक नहीं हो सकी है। पुलिस क्या करती है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज उस इलाके के लोग बड़े भयभीत हैं और इस बात को कहते हैं कि जब दिल्ली की पुलिस आकर यहां मर्डर करती है, लूटती है और आपकी पुलिस कुछ नहीं करती है तो आपकी योजना किसके लिये चलायी जा रही हैं। इस योजना का फल किसको मिलेगा जब इस दुनियाँ में हम रहेंगे ही नहीं। मैं सच कहता हूं, जिसको विश्वास न हो वह मेरे साथ चल कर उन गांवों की हालत देख लें कि आज लोग रात में पूरी नींद नहीं सोते हैं। लोगों को हर दम चिन्ता है कि आखिर क्या करें। आज वहां अराजकता का बोलबाला है, बदमाशों का बोलबाला है और पुलिस भी जहां तक मेरी जानकारी है, सब के लिये कहना तो गलत होगा लेकिन अधिकांश पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो उन बदमाशों के साथ मिले हुए हैं और उनकी योजना से ही कत्ल, चोरी व डकैतियों के अपराध होते हैं और फिर उनको दबा दिया जाता है, उनकी सही जांच नहीं होती। इस बात को देख कर और भी दुख होता है कि इस प्रदेश में जब एक जिम्मेदार सरकार है तो उसके जिम्मेदार मंत्री भी इस सदन के अन्दर और बाहर भी पब्लिक में उन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं और उसकी खुली जांच नहीं करते।

कई एक मर्डर हुए जिसके लिये मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा लेकिन उसकी आज तक जांच नहीं हुई। कितने केस हाउस के अन्दर रोज पेश होते हैं लेकिन सरकार उससे इन्कार कर देती है। सी० आई० डी० या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी जांच नहीं करायी जाती है बल्कि जांच उसी अधिकारी से करायी जाती है जो खुद कसूरवार है। जो शिकायती-पत्र होते हैं वे लौट कर दरोगा जी या सम्बन्धित अधिकारियों के पास ही पहुंच जाते हैं जो सदा ही अपने कर्मचारियों को बचाने में लगे रहते हैं। यह हालत है जो मैंने बतायी और जिसकी मुझ पर प्रतिक्रिया हुई।

मैं अपने जिले की भी एक घटना बताऊं, एक छोटा सा स्थान है सयाना, वहां पर थाने से सौ कदम पर एक अच्छे कांग्रेसमैन थे उनके इकलौते लड़के को जिस निरीह तरीके से मारा गया है उसको मैं बता नहीं सकता। मैंने भी वहां यह सब जानने के लिये एक दिन बिताया, सारे कस्बे में भय और चिन्ता व्याप्त है, उसके लड़के को ही नहीं मारा गया बल्कि उसकी सारी जिन्दगी की कमाई लूट ली गई और किस-किस तरह से औरतों की बेइज्जती की गई और

न जान क्या क्या हुआ। यह सब ऐसी दर्दनाक घटनायें हैं, जनता में ऐसी विपत्ति है कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें, लोग परेशान हुए हैं, घबराये हैं। अगर हम अधिकारियों से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि जांच हो रही है, दो तीन मर्डर केस हुये हमने कहा तो कह दिया जाता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं आप न बोलिये, केस बिगड़ जायगा जांच सही हो रही है, आप दखल देंगे तो इनक्वायरी बिगड़ जायगी। लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता।

यह तो मैंने अपने जिले की थोड़ी सी चर्चा की लेकिन मैं विवश हुआ इस सवाल को सदन में लाने के लिये जब मैंने बनारस की घटनाओं को अखबारों में पढ़ा, बीच बाजार में ३ बजे दिन में कत्ल होता है, लखनऊ में कोतवाली के सामने मर्डर हुआ दिन के वक्त, बरेली की रेलवे स्टेशन की घटना, झांसी रेलवे कालोनी की घटना, रेल में चलते हुये हेडकांस्टेबिल की हत्या जो आगरे जा रहा था, उस की जो दशा हुई, फैजाबाद में और बाराबंकी में कितने कत्ल, डकैतियां अखबारों में हम रोज पढ़ते हैं होती हैं। एक एक दिन में ४-४ कत्ल और डकैतियां होती हैं। गाजियाबाद में एक घटना हुई ३ बजे दिन में बिन्दु नाम के लड़के का कत्ल हुआ और वहां ३ दिन के अन्दर ६-७ डकैतियां हुईं। तो आप देखें कि क्या हालत है सूबे में ला एन्ड आर्डर की। जब बनारस, गाजियाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी की और तमाम जगह यह दशा सुरक्षा की देखी गई तो मजबूर होना पड़ा कि मैं इस प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। मैं क्षमा चाहूंगा, यह हालत है प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की। माननीय मुख्य मंत्री जी सौभाग्य से इस समय उपस्थित हैं, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझकर यहां मेरी बात सुनने की कोशिश की और जैसा कि मैं उनसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि मेरी इच्छा है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सूबे की हालत में सुधार लावे।

कुछ और बातों की तरफ भी मैं अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस सरकार के कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से एक बयान इसी सदन में आप से पूर्व जब यहां पिछली सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आचार्य जुगल किशोर जी ने पढ़ा था जिस पर जिन लोगों के हस्ताक्षर थे उनमें से अधिकांश सौभाग्य से आज सरकारी कुर्सियों पर विराजमान हैं, उन के बयान के कुछ अंश को आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। जिस व्यवस्था का इस में जिक्र था और आज की व्यवस्था है उस संदर्भ में मैं आज उस बयान को पढ़ना चाहता हूं। आचार्य जी ने पढ़ा था कि "हमारी राय में डा० सम्पूर्णानन्द जिस प्रकार शासन चला रहे हैं, वह आम जनता व साधारण कांग्रेस जन की आशाओं के अनुरूप नहीं है। प्रशासन ढीला हो चला है और धीरे-धीरे उसकी क्षमता घटती जा रही है। देश में उसकी वह नेकनामी नहीं है, जो ५ साल पहले थी। व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में उसकी असफलता विशेषरूप से रही है। ग्रामीण जनता में अरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। तो यह बयान पढ़ा था। सौभाग्य से हमारे उप-मंत्री जी जो गृह विभाग को संभालते हैं उनके हस्ताक्षर भी थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में कहा है कि वहां अरक्षा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ शहरों की चर्चा की ग्रामों के साथ शहर भी जोड़ रहा हूं जिसमें लखनऊ भी है, बनारस, कानपुर है। लखनऊ के अन्दर सरकार की गाड़ी दिन भर घूमती है जिसमें वायरलेस लगा हुआ है फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। यह कहना काफी नहीं होगा जो अक्सर कहा जाता है सरकार की तरफ से कि समाज का भय जाता रहा, ईश्वर का भय जाता रहा। यह अपराधों के कारण बताये जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा आखिर सरकार का भय क्यों जाता रहा? सरकार तो काफी जिम्मेदार है। जनता में सरकार के प्रति यह आस्था उपजे कि वह उसकी रक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रदेश के लिये भयावह स्थिति होती है और तब जब योजना को चलाया जा रहा हो। जैसा मैंने कहा गांवों में हमसे लोगों ने कहा योजना किसके काम आयेगी? तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा आपको योजनाओं को चलाना है, भारी भारी टैक्सेज लगा रहे हैं और एक ही दिन में डाकू सारी जिन्दगी की कमाई लूट ले जाते हैं और तामम तरह के झगड़ों, मुकदमों में जो तबाही है जनता की, उन पर योजना का क्या असर होगा।

[श्री रामचन्द्र विकल]

उस समय और सुरक्षा की स्थिति पैदा होती है जब देश और प्रदेश की सीमा पर खतरा हो। ऐसे समय में आंतरिक सुरक्षा और आवश्यक हो जाती है जिससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास हो। अगर यह दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप समझें क्या असर होता है बाहर के लोगों पर। आज हमारे प्रदेश से लगी हुई सीमा पर विदेश का हमला है। ऐसे समय में अगर आप प्रदेश की हालत को नहीं संभाल सकते तो क्या जवाब देंगे? और जब योजनाओं को चलाना है उस समय अगर जनता में अरक्षा की भावना हो तो योजनाओं को ठेस पहुंचेगी।

इन दिनों मैंने पुलिस के अफसरों के बयानात को बहुत पढ़ा, डी० आई० जी० और आई० जी० के बयानात को पढ़ा जिसमें उन्होंने एक बात अक्सर कही कि आज अपराध नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि फिगर्स बढ़ रही हैं। मैं नहीं जान पाया, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता लेकिन सरकारी आंकड़ों को कुछ मैंने लिया है १९५२-६२ को। जिस तेजी से वह बढ़े हैं उनके देखने से मालूम होता है, भारी बढ़ोत्तरी हुई है। १९५२ में असाधारण अपराध २६,०६१ थे और १९६१ में उनकी तादाद ३७,६१० हो गई। और जो असाधारण अपराध हैं वे १९५२ में ३९,२७५ थे और १९६० तक उनकी तादाद ४२,७५५ हो गई। साथ ही एक दलील और दी जाती है कि अपराध आजकल सब दर्ज होने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे। यह एक तरीका है इस बात को दिखाने का कि अपराधों में कमी हुई है। पहले पुलिस का रवैया यह था। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक उदाहरण दिया अपने थाने का कि पुलिस के सामने लोग गये पचासों की तादाद में और माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस में वह केस है, कोई परवाह पुलिस ने नहीं की और कोई उनकी हिमायत नहीं की। एस० पी० तक ने कहा कि हम क्या करें। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि अपराध सब लिखे जा रहे हैं? मेरा विश्वास नहीं जमता और मैं इस राय का हूं कि आज भी अपराध छिपाये जा रहे हैं? अगर कोई जांच हो, मैं प्रार्थना करूंगा मुख्य मंत्री जी से क्या सब मामलों की जांच, कमेटी के जरिये हो, मैं तो जानता नहीं, बम्बई की पुलिस को बहुत होशियार बताते हैं कि वह सब सुराग निकाल लेती है बम्बई से आप पुलिस बुलायें और जिन केसेज में आपकी पुलिस असफल है उसके द्वारा उनकी आप जांच करायें। फिर आपकी पुलिस की रिपोर्ट और वहां की रिपोर्ट में भिन्नता हो तभी आप किसी जिम्मेदार कर्मचारी को सजा देंगे। अगर यह बात हो जाय तो मेरा विश्वास है कि अपराधों में कमी होगी।

अपराध इसलिये बढ़ रहे हैं कि खराब आदमी की अहमियत बढ़ रही है और अच्छे आदमी जुआ डाले बैठे हैं। चालाक और खराब आदमी तरक्की पा रहे हैं। इसलिये वह आदमी जो अच्छा है निराश होकर बैठ जाता है और खराब आदमियों को प्रोत्साहन मिलता है।

पुलिस कमीशन ने एक बात मानी है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एकत्रित आंकड़ों से अपराधों की स्थिति की जानकारी मैं सदन को कराना चाहता हूं और यह आंकड़े पिछले वर्ष में जनवरी से ले कर अप्रैल तक चार महीने के हैं। अपराधों की संख्या में ७० प्रतिशत चोरियों में, ६६ प्रतिशत बलवों में, ८० प्रतिशत डकैतियों में, ८२ प्रतिशत हत्याओं में और ९६ प्रतिशत दीगर अपराधों में वृद्धि हुई है। ये केन्द्रीय सरकार के आंकड़े हैं जो कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निकले हैं। पुलिस कमीशन भी मानता है कि अपराध बढ़ रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे उच्चाधिकारी मानते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि अपराध लिखे नहीं जाते परन्तु मानते वह भी हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। अगर यह मान लें कि अपराध कम होते हैं तो मैं इस राय का नहीं हूं कि पुलिस बढ़ाई जाय। लेकिन फिर मांग क्यों है कि पुलिस में बढ़ोत्तरी की जाय। मैं मानता हूं कि देश की हालत को देखते हुये पुलिस कम है लेकिन जब अपराध कम हो रहे हैं तो मैं फिर पुलिस की बढ़ोत्तरी की क्या जरूरत है?

मैं एक चर्चा और करूंगा। भूतपूर्व गृह मंत्री से और अभी सदन में सहकारिता मंत्री से हमने सुना कि राजनीतिक पार्टियों का बदमाशों का रखने में बहुत हाथ है। यह बात सदन

में कई बार उठाई गयी। अध्यक्ष महोदय, मुझे विरोधी पक्ष के लोगों से कुछ कहने का हक नहीं है उस समय तक जब तक कि मैं मुख्य मंत्री जी से यह न जान लूं कि कांग्रेस में जो अपराधी आदमी हैं, उनका पोषण हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कौन से कदम आज तक उठाये हैं ताकि कांग्रेस के अन्दर खराब आदमी न आयें और उसके अन्दर गलत आदमियों का पोषण न हो? इस बात के लिये क्या कोशिश की गयी और अगर इस बात के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया हो तो भविष्य में जरूर किया जायगा ऐसा आश्वासन मिलने के बाद ही हम विरोधी पक्ष से कह सकेंगे कि देखा हमने अपने घर को साफ कर दिया है, अब तुम भी अपना घर साफ करो। लिहाजा मेरा निवेदन यही है कि राजनीतिक पार्टियों के अन्दर से खराब आदमियों को निकालने के लिये इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कम से कम कि कांग्रेस के अन्दर वे लोग न आने पायें जो अपराधी तत्व हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपका और अपने गृह मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि वे इस वाद-विवाद से प्रदेश की सुरक्षा की हालत को कुछ फायदा पहुंचा सकें।

(श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---जिन्होंने यह सूचना दी है उनको पहले अवसर मिलेगा।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि आज तो हम इस स्थिति में हैं कि अब चाहे जितनी डकैती हो, चाहे जितने कत्ल हों जैसे एक साधारण सी बात हो गयी है। कोई जमाना ऐसा था जब प्रदेश के किसी जिले या शहर में एक भी डकैती या कत्ल हो जाता था तो लोगों को आश्चर्य होता था। लेकिन आज की हालत को आप देखें कि लखनऊ ऐसे नगर में तारतम्य लग गया डकैतियों का और उसी सिलसिले में करीब २८-२९ जुलाई से लेकर केवल ४ अगस्त के भीतर १२ डकैतियां हुईं और चार डकैतियां बनारस जिले में हुईं। इन डकैतियों में हमारे प्रान्तीय रक्षा दल का एक सिपाही भी मारा गया। इसी तरह कुछ दिन हुये हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता का लड़का ठीक बुला नाला पर ३ बजे दिन में मार डाला गया और पता नहीं आज तक उसके मामले में क्या हुआ। कुछ दिन पहले औरंगाबाद में ३ बजे दिन में जम कर लाठियां चलीं जिसमें एक व्यक्ति तो तत्काल मर गया और दो की हालत खराब हो गयी। आप सोचें कि एक तरफ तो हम देश में पंचवर्षीय योजनाओं का नारा लगायें, टैक्स वसूल करें और दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा का इन्तजाम न कर पायें तो क्या स्थिति होगी।

आज प्रदेश के नागरिकों में यह भावना हो गयी है कि अब हमारी सुरक्षा नहीं है। मैं परसों के बनारस के एक पत्र के अग्रलेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस अखबार ने लिखा है कि अब स्थिति आ गयी है कि जब नागरिकों को स्वयं इस भार को उठाना पड़ेगा क्योंकि सरकार शक्तिहीन है, कांग्रेस के वालंटियर और नेतागण भी शक्तिहीन हैं। यदि जनता अपनी सुरक्षा चाहती है तो उसे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, सरकार, पुलिस और नेताओं के भरोसे काम चलने वाला नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ अपने नेताओं का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर इन योजनाओं का क्या लाभ होगा। आज जब जनता यह समझने लगी है कि इस सरकार से और कांग्रेस से भी यह काम चलने वाला नहीं है तो ऐसी हालत में सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह जनता की सुरक्षा का अधिक से अधिक प्रबन्ध करे। तभी हमारी योजनायें कामयाब होंगी और हम सफल होंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जो अमन-ओ-अमान की स्थिति है उसका सही चित्रण माननीय विकल जी ने किया है। जब कभी विरोधी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

पक्ष से इस सही तथ्य को आदरणीय सदन में रखा जाता है तो सरकारी पक्ष के सदस्य यही कहते हैं कि यह विरोध के लिये बातें कही जा रही हैं, सरकार को बदनाम करने के लिये बातें कही जाती हैं। माननीय विकल जी कांग्रेस के एक तपे तपाये कर्मी है और मैं समझता हूं कि आज जो लोग मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें किसी से कम कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बिगड़ी है उसके कारण की तरफ वे जांय। एक बात की चर्चा माननीय विकल जी ने की कि जो बदमाश लोग हैं, गुनहगार लोग हैं उनको प्रोत्साहन राजनीतिक लोगों से मिलता है। मुझे भी स्मरण है कि इसी आदरणीय सदन में माननीय चरण सिंह जी ने एक नक्शा पेश किया था और उन्होंने कुछ इशारा किया था और उन्होंने विशेषकर बलिया जिले के एक कांग्रेसी वकील साहब का जिक्र किया था कि वे बदमाशों के गिरोह के सरगना हैं। आज वे कहाँ पर हैं? मान्यवर, मुझे अत्यन्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे कांग्रेस के टिकट पर संसद के सदस्य हो गये हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसे आपने बदमाशों का सरगना कहा था। ऐसे लोगों को मंत्रि-मंडल में स्थान दिया है .....

श्री अध्यक्ष--यह गलत चीज है। व्यक्तिगत सदस्यों के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह--मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि कहा जाता है कि बदमाशों को राजनीतिक लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। अभी एक दिन चर्चा हुई थी कि एक डकैत की सफाई एक मंत्री जी ने दी। आप कहते हैं कि अमनो-अमान हो, चोरी, डकैती न हो। तो कैसे चोरी डकैती नहीं बढ़ेगी जब कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य डकैतों की सफाई करेंगे, उनकी मदद करेंगे, डकैतों से वोट के लिये हाथ जोड़ेंगे और उनको औजार और हथियार देंगे और उनके पकड़े जाने पर सफाई देकर छुड़ायेंगे? तो यह स्थिति तो होगी ही। इस सरकार के इंतजाम में चोरी डकैती न बढ़े तो आश्चर्य की बात होगी।

श्रीमन्, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में पुलिस की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। न्यायाधीश मुल्ला साहब के स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ था तो बड़ा हो-हल्ला मचा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकांश लोग बदमाशों से मिले हुये हैं और चोरी, डकैती में पुलिस वालों का हाथ रहता है। जैसा कि माननीय विकल जी ने कहा है कि बहुत सी डकैतियाँ पुलिस से मिल कर होती हैं। हमारे बलिया जिले के पूर्वी अंचल में गंगा के किनारे दियारे में हजार दो हजार की तादाद में बल्लम और भाले से लैस होकर बिहार से लोग आते हैं और फसल लूटते हैं तथा बेगुनाहों को जान से मार डालते हैं। और पुलिस कुछ नहीं करती। गतवर्ष ऐसा काँड हुआ और डोकटी दियारे में लोग मारे गये लेकिन पुलिस ने तफतीश बिगाड़ दी जिससे न्यायालय से मुकदमा छूट गया। मुझे स्मरण है कि जब मैंने इसके संबंध में तत्कालीन जिलाधीश से कहा कि इस तरह से हमारे क्षेत्र के लोगों को सताया जा रहा है और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है और अकर्मण्य बैठी है तो हमारे जिलाधीश कहा करते थे कि आप ऐसी बात करते हैं जैसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो। क्या यह संभव है कि हजार दो हजार की तादाद लोग हथियार से लैस होकर बलिया जिले में आयेंगे? लेकिन मैं उनके साथ ६ फरवरी, ६१ के दियारे में पहुंचा तो हजारों की तादाद में आरा के किसान हथियारों के लैस मौजूद थे। वे बहुत घब-राये और उन्होंने कहा कि कलेक्टरी कचहरी बंद हो जायगी और हम लोग यहीं रह जायेंगे। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने एस० पी० से कहा कि पुलिस का प्रबंध कीजिये, ताकि यहाँ के लोगों को न सतायें। पुलिस के लिये आदेश हो गया। वहाँ का थानेदार तैनात हुआ। उसने केवल ६ सौ रुपया घूस ले कर फसल लुटवा दी। कलेक्टर देखते रह गये। एस० पी० कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं किये? इसलिये कि थानेदार से एस० पी० मिला हुआ रहता है। आज पचास फीसदी से अधिक पुलिस कप्तान घूस लेते हैं। जैसा कि

माननीय रामचन्द्र विकल ने कहा, बम्बई की पुलिस यदि एक्सपर्ट है तो उसको बुला कर इस बात की जाँच कराई जाय कि कितने पुलिस कप्तान घूस नहीं लेते हैं। आपके राज्य में डी० आई० जी० भी घूस लेने लगे। आई० जी० के यहाँ भी डालियाँ लगने लगीं। कतिपय मिनिस्टर घूस ले रहे हैं। मिनिस्टर के यहाँ डालियाँ लगती हैं। कैसे राज्य चलेगा? कहाँ से डकैती बन्द होगी? यदि माननीय मुख्य मंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में चोरी डकैती कम हो, अमनो-अमान कायम हो, तो अपने लोगों को सुधारें, अपने मंत्रिमंडल को सुधारें। डकैतों, चोरों की मदद करना उनके लोग छोड़ दें।

सारा प्रशासन राजनीतिक गुटबन्दी में फंसा हुआ है। ये जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, सरकार के सदस्य हैं, सरकारी कर्मचारयों को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। अगर कोई पुलिस का कर्मचारी गलत भी है, तो उसका तबादला रुकवाना चाहते हैं। यह कार्य रोज होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मंत्री जी से मिला था। उन्होंने कहा कि हस्तांतरण रुकवाने के लिये रोज सिफारिशें आती हैं। कैसे शासन चलेगा? उनमें थोड़ी भलमंसाहत है। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह सब कार्य हो रहा है, माननीय गुप्ता जी के राज्य में। माननीय विकल जी ने गुप्ता ग्रुप की ओर से आचार्य जुगल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य के तथ्यों का हवाला दिया। माननीय गुप्ता जी को आज वह नहीं दिख रहा है लेकिन माननीय गुप्ता जी जब कुर्सी से हट जायेंगे, जब सरकारी शासन का चश्मा उनका उतर जायगा, तो सही चित्र पुनः दिखायी देने लगेगा। माननीय गुप्ता जी जब इससे पहले सरकार में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारी काँग्रेस के आन्तरिक चुनाव में भाग ले रहे हैं। लेकिन आज उनके राज्य में भी वही हो रहा है। मैं दो लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। अपने स्वार्थ के लिये यानी पथभ्रष्ट करने के लिये सरकारी पक्ष के लोग कैसे सरकारी कर्मचारियों को अपने चंगुल में फसाते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह आप कहाँ से पढ़ रहे हैं?

श्री मैनेजरसिंह—एक कागज है।

श्री अध्यक्ष—उससे आप नहीं पढ़ सकते। आप बता दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—इस चिट्ठी में जिलाधीश ने सरकार को लिखा था एक शिकायत के सिलसिले में कि "एक काँग्रेसी एम० एल० ए० हैं जो बी० डी० ओ० से चुनाव में काम लेना चाहते हैं, उनकी ऐसी आदत हो गयी है। प्रत्येक विभाग के कर्मचारी, जो उनके क्षेत्र में हैं, उनको दबा कर अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं इस लिये कि फरवरी, १९६२ का जो चुनाव आने वाला है, उससे उनमें काम लें। यदि ऐसी मनोवृति को बढ़ावा दिया जायगा तो प्रशासन नष्ट हो जायगा।" यह बलिया के जिलाधीश के एक डी० ओ० का जिक्र कर रहा हूं। अन्त में मैं एक बात और माननीय गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—गुप्ता जी इस सदन में कुछ नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्री हैं। इन्हीं शब्दों में सम्बोधन होना चाहिये, नाम से नहीं।

श्री मैनेजरसिंह—सुधार कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री सब विभागों के मंत्री हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि इस प्रदेश में डकैती, चोरी का खात्मा हो, या पुलिस का प्रशासन सुदृढ़ किया जाय, तो आप चौधरी चरणसिंह को पुलिस मंत्री बनाइये। यह इस प्रदेश का अभाग्य है कि पुलिस के लिये कोई अलग मंत्रि परिषद् स्तर का मंत्री नहीं है। सारे विभाग आप रखे हुये हैं। सारे विभागों को आपने अपने पास रख छोड़ा है। ऐग्रीकल्चर आपने दे दिया चौधरी चरणसिंह को। केन डेवलपमेन्ट निकालकर अपने लाड़ले दाऊदयाल खन्ना को दे दिया। उद्योग में से एक टुकड़ा निकाल कर सीधे सादे हमारे माननीय फूल सिंह जी को दे दिया और भारी उद्योग अपने पास रख लिया। बिजली शांति बाबू को दे दिया। इस तरीके से विभागों का जो बन्दर बांट आपने

[श्री मैनेजरसिंह]

किया है, भगवान् न करे, ऐसा बटवारा किसी और प्रदेश में हो। इससे भी प्रशासन चौपट हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन सुधरे तो आप आत्मचिन्तन करें। बिना पुलिस प्रशासन में सुधार किये बिना पुलिस का आत्म-बल जगाये, डकैती, चोरी, कत्ल बन्द नहीं हो सकते, यदि आप चाहते हैं कि इन सबके अन्दर सुधार हो तो माननीय चौधरी चरणसिंह को जिनको आप अपने मंत्रिमंडल में रखे हुये हैं। जो आपके लिये अविश्वसनीय नहीं हो सकते हैं, उनको आप यह गृह विभाग और पुलिस विभाग दें और देखें कि पुलिस विभाग सुधरता है या नहीं? आज आम जनता इस बात को कह रही है कि चौधरी चरणसिंह अगर गृह मंत्री होते तो अब तक पुलिस में बहुत सुधार हो गया होता।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त। माननीय गृह मंत्री।

गृह उपमंत्री (श्री नवल किशोर)—अच्छा तो यही होता कि और माननीय सदस्य अपनी बात कह लेते तब मैं उत्तर देने के लिये खड़ा होता।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—आज का विषय मान्यवर, इतना गम्भीर है कि इस पर बड़ी संजीदगी से विचार किया जाना चाहिये था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बजाय इसके हम इस पर गम्भीरता से विचार करते, और उसके इलाज का कोई तरीका ढूंढते, आज का विषय एक छोटा मोटा नो-कांफिडेंस का विषय बन गया है। इसको लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने की बात हो गई है। आज का विषय तो यह था कि प्रदेश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं इसके ऊपर बात हो सकती है, अगर बढ़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। अगर आप यह नहीं मालूम करेंगे कि उसका कारण क्या है तो आप यह कैसे मालूम कर सकेंगे कि इसका इलाज क्या होना चाहिये यह मान्यवर, सही बात है कि आज प्रदेश में जरायम बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। उसके कई कारण हैं। कुछ तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारे सोशल आर्डर की वजह से आज क्राइम बढ़ रहे हैं। एक वक्त था जब हम अंग्रेजों की हुकूमत में रहा करते थे। बहुत सख्ती से हमारे ऊपर हुकूमत होती थी। उसके बाद हमें आजादी मिली और ऐसे लोगों को जब आजादी मिलती है तो एकदम अब वह शब्द प्रयोग करते हुये मुझे डर लगता है क्योंकि उसके ऊपर हंगामा यहां मच चुका है, लेकिन किसी खास व्यक्ति से उसका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये कह रहा हूं कि उसके बाद 'उच्छृंखलता' आती है। एकदम जब इस तरह से आजादी मिलती है तो उच्छृंखलता आ जाती है। खराब आदमी के हाथ में अगर हथियार दे दिया जाय तो पिस्तौल जो अच्छे आदमी के हाथ में होने पर किसी की सुरक्षा करेगी, उस खराब आदमी के हाथ में जाकर कत्ल कर देगी। तो आजादी अकेले अच्छे आदमियों को तो मिली नहीं। खराब आदमियों को भी साथ साथ मिल गई है। उसकी रोकथाम का तरीका होना चाहिये। लेकिन उस रोकथाम में एक अड़चन पड़ रही है, और वह है हमारी राज्य प्रणाली। आप बार बार कांग्रेस का नाम लेकर कह रहे थे। आप कहिये कि प्रजातंत्र की वजह से यह थोड़े बहुत क्राइम्स बढ़ रहे हैं। उसमें कांग्रेस और नान-कांग्रेस का सवाल नहीं है। अगर आप कहिये तो नाम बता दूं। पार्टियों का नाम बता दूं। अभी हमारे देहरादून में एक बदमाश एक लड़की मुरादाबाद से भगा लाया था। एलेक्शन का सिर्फ एक महीना रह गया था। उस वक्त हर राजनीतिक पार्टी उसकी मदद करने के लिये तैयार थी इस वजह से कि उनके जरिये से उनको दस, बीस, पचास आदमी मिल जायेंगे वोट देने के लिये। एक भाई ने नाम लेकर कहा तो इससे दरअसल कोई लाभ नहीं हो सकता है बल्कि प्रदेश का इससे उलटे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह से किसी का नाम लेकर कहना उचित नहीं है। असल बात यह है कि हमको आजादी नई नई मिली है और हमारा देश आज प्रजातंत्र के अन्दर चल रहा है। उस प्रशासन के अन्दर हम कोई सख्त कार्यवाही इस प्रणाली के अन्दर नहीं कर सकते हैं।

गांवों के बारे में सब जानते हैं। मैं जानता नहीं कि हमारे नेता लोग उससे नाराज हो जायेंगे या नहीं, लेकिन यह बात सत्य है कि पंचायत राज की स्थापना जब से गांवों के अन्दर हुई है तब से वहां पर गुन्डागर्दी जरूर फैली है। हर गुन्डा पंचायत का मेम्बर बन गया है और न्याय पंचायत का भी मेम्बर बन गया है क्योंकि उनका वहां पर आतंक छाया हुआ है। उनके डर से लोग उनके खिलाफ वोट नहीं दे सकते हैं या लोग वोट देने के लिये जाते नहीं हैं। अब इसमें आप यह समझते हों कि किसी खास आदमी का कसूर है, किसी मिनिस्टर का कसूर है या किसी पुलिस का कसूर है तो इस बात को मैं नहीं मानता हूं। यह हमारे देश की शासन प्रणाली का कसूर है। जिस समय में हम निकल रहे हैं, यह उसका कसूर है और उस प्रणाली में चलने वाले भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उस प्रणाली को चलाने वाले लोग इसके जिम्मेदार हैं।

पुलिस का काम दो तरह का है। मैंने पहले भी बतलाया था कि पुलिस का फंक्शन दो तरह का है। एक तो प्रिवेंटिव है, और दूसरा डिटेक्टिव है। एक काम तो जुर्मों को रोकथाम करना है और दूसरा काम अपराधियों का पता लगाकर उनको सजा दिलाना है। जहां तक रोकथाम का सवाल है, मैं आपको बतलाऊं कि जो क्रिमिनलाजी को अच्छी तरह से जानते हैं वह भी समझते हैं कि कत्ल का प्रिवेन्शन आज तक कोई नहीं कर सका है। न सरलाक होम्स कर सकता है और न यहां भारतवर्ष में बम्बई की पुलिस उसको बन्द कर सकती है जो हमारे देश में बहुत एफिशियेन्ट पुलिस कही जाती है। कत्ल तो एक तरह से फौरन की फौरन होता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया और दूसरे को गुस्सा आया तो उसने कुर्सी उठाकर मार दी और वह मर गया। दूसरी तरीके से कत्ल एक प्लानिंग के जरिये से होता है। उसका पकड़ना आसान काम नहीं है। उसका पता लगाना आसान बात नहीं है। अगर दो पार्टियों के अन्दर झगड़ा होता है तो उसके लिये प्रिवेन्टिव कार्यवाही आप कर सकते हैं। १०७ या ११७ की कार्यवाही उनके खिलाफ कर दें और इस तरह से करके आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मनी की वजह से कत्ल करता है तो उसका पकड़ना मुश्किल है। अगर कोई आदमी जबलपुर में रहता है और उसको कोई हायर्ड एजेन्ट करके कत्ल कराता है तो उसका पता लगाना आसान नहीं है। कोई पुलिस कितनी ही एफिशियेन्ट क्यों न हो।

मुलजिम का पता लगाना और पता लगाकर उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है। इस विषय में अभी मैनेजर सिंह जी ने जिक्र किया है। उसकी बाबत मैं यह निवेदन करूंगा कि बात यह है कि अगर मुलजिम का पता नहीं लगता है और मुलजिम पकड़ा नहीं जाता है तो पुलिस पर लांछन जरूर लगता है और वह कसूरवार जरूर है, लेकिन उसकी कुछ वास्तविकता पर जरूर विचार करना पड़ेगा और कोई न कोई रास्ता उसके लिये सोचना पड़ेगा। मगर आज हालत यह हो गई है कि पुलिस भी एक आफत में फंसी हुई है। उसको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है। वह यह सोचती है कि जब कभी भी किसी के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा तो किसी न किसी की नाराजगी जरूर होगी। उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त कुछ महसूस करेंगे। यहां पर भी प्रश्न उठाया जाता है कि क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि इस शिकायत के ऊपर क्या ऐक्शन लिया गया? क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ ऐसा किया गया या नहीं? असल में यह पुलिस का काम ऐसा है कि जब किसी के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा तो शिकायत पैदा होगी। अगर एक आदमी का कत्ल हो जाय और उसके लिये १०,२० आदमियों को बेगुनाह मार दिया जाय तो यह जुर्म रुक जायेंगे जैसा कि अंग्रेज किया करते थे। अगर कहीं डकैती होती थी तो गांव भर में लाल पगड़ी दिखाई पड़ती थी यह बात सही है, मगर उस जमाने में कोई पूछने वाला नहीं था। तीन-तीन सौ दरख्वास्तें दी गयीं नूरपुर थाने के बारे में, जिला बिजनौर के, लेकिन उस अंग्रेज एस०पी० ने उन सब को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और काम चलने दिया। तो बहुत से प्राब्लम्स हैं लेकिन कोई न कोई बैलेंस स्ट्राइक करना ही होगा और इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि इन छोटी-मोटी शिकायतों की कितनी वैल्यू की जाय।

[श्री बृजभूषणशरण]

यह ठीक है कि आज बहुत से छोटे छोटे नेता बन गये हैं और उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन को डिमारेलाइज कर रखा है; इसलिये कि वे किसी बड़े नेता का नाम ले कर बात कर सकते हैं। इसके लिये मुख्य मंत्री जी को कुछ सोचना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि यहां हर मसले पर कामरोको प्रस्ताव लाना या एजीटेशन करना ठीक नहीं होगा। आज ला ऐन्ड आर्डर नहीं मेन्टेन हो पाता उसकी वजह है कि लोगों में उसके लिये कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लोग रोज देखते हैं कि यहां असेम्बली में पुलिस आ रही है और वे तमाम काम हो रहे हैं जो कभी नहीं होते थे। इस तरह से ला ऐन्ड आर्डर की रेस्पेक्ट लोगों में कम होती जा रही है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है इसे भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करने के खयाल से यह बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि देश और प्रदेश हम सबका है और हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी भी है।

एजूकेशन की भी हमारी कुछ पालिसीज हैं। उसमें धार्मिक बातें, अच्छी बातें बढ़ानी चाहिये, लेकिन मैंने देखा है कि आठवें, नवें दर्जे के बच्चे रामचन्द्र जी को नहीं जानते कि वे कौन थे। यह स्टेट तो सेकुलर है, इसमें धर्म का नाम लेने से ही गड़बड़ हो जाती है। धर्म के नाम पर अच्छाई और बुराई समझाना आज मुमकिन नहीं है। तो हमें दूसरी दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। इन पढ़े लिखे आदमियों की व्यवस्था कैसे की जाय इस के लिये भी सोचना पड़ेगा। आज रोज ट्रेन्स में डकैतियां होती हैं। वे डकैत पढ़े लिखे हैं, उन के पास रोजगार नहीं है और उन के लिये हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। महज नो-कांफीडेंस मोशन ला कर या गुप्ता जी का नाम ले कर या किसी दूसरे का नाम ले कर कुछ कामरोको प्रस्ताव ला कर, काम चलने वाला नहीं है।

अभी एक जिक्र हुआ कि एक कमेटी बना दी जाय इस बात को सोचने के लिये। अभी अभी आपने एक पुलिस कमीशन बनाया था और बड़ी आशायें थीं कि उससे पुलिस की व्यवस्था ठीक हो जायेगी। बजट में भी सुना था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जायेंगी तो पुलिस का इंतजाम ठीक हो जायगा, लेकिन बात वहीं की वहीं है। इसके लिये आपको कोई और ही इलाज सोचना पड़ेगा और जैसा मैंने पहले भी कहा था, उस के लिये एक ही इलाज है कि मुख्य मंत्री जी और आई० जी० पुलिस को एक कमरे में बंदकर दिया जाय और वे इसका इलाज सोच कर ही बाहर निकलें। इसके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस बात की ओर उधर के काँग्रेसी नेताओं ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने काँग्रेस के अन्दर रहते हुये प्रदेश की जो स्थिति है, उसका सच्चा चित्र सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वैसे तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि प्रदेश के अन्दर पुलिस की लापरवाही बढ़ती जा रही है और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने प्रजातंत्र और सिद्धांतों की बात कह कर इस विषय को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। आज आपको देखना है जैसा कि माननीय रामचन्द्र जी विकल ने कहा, कि क्या वास्तव में प्रदेश में पुलिस का आतंक फैल रहा है, और क्या वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रही है? अगर आप यह बात मानते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसका निदान क्या है। मेरा यह खयाल है कि जिस तरह से माननीय सम्पूर्णानन्द जी के काल में अविश्वास के प्रस्ताव पर जिन तथ्यों को ले कर वह प्रस्ताव लाया गया था उसी प्रकार आज भी अपने प्रदेश के अन्दर वे मौजूद हैं। मैं अपने ही क्षेत्र का एक उदाहरण आप को देता हूं। अभी हमारे लहरपुर ग्राम में पटहौरा में १६ चोरियाँ हुईं। छोटे-छोटे गरीब लोगों के यहाँ वे चोरियाँ हुई सेंध काट कर। दो कांस्टेबुल एक विक्रम सिंह और एक का नाम मैं नहीं जानता इस तरह से चोरियों में साजिश करक वहाँ के लोगों को तबाह करते रहते हैं। आज रक्षक ही हमारे भक्षक हैं। परन्तु आजतक उन सिपाहियों का ट्रांसफर या और किसी सजा की व्यवस्था नहीं हुई है। उनके बारे में कोई सोचता नहीं है।

अभी इस सदन में लहरपुर के बारे में मैंने एक प्रश्न रखा था। वहाँ पर सीतापुर जिले में एक अभियान अभियुक्तों को पकड़ने के लिये हुआ था। वहाँ २४ लोगों को दफा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। वहाँ के लोगों से थानेदार ने न मालूम कितना पैसा छोटे-छोटे लोगों से लेकर वसूला और बाद में उनको धौंस देकर छोड़ दिया और कुछ लोगों को दफा १०९ में गिरफ्तार किया गया। इस सदन में प्रश्न भी रखा गया था। पर उस पर क्या हुआ ?

जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उनकी मैं प्रसंशा नहीं करता, परन्तु उनकी शासन प्रणाली को आप देख। आप यह मानकर चलते हैं कि १५ वर्ष में केवल कठिनाइयाँ ही बढ़ती चली जा रही हैं यह तो कोई कायदे की बात नहीं है। जब श्री चौधरी चरण सिंह जी पुलिस मंत्री थे तो प्रदेश के अन्दर और खासकर पुलिस के अन्दर एक आतंक की भावना आ गई थी कि अब एक ऐसा मिनिस्टर पुलिस का हुआ है जिसके नाम को सुनकर लोग काँपते हैं और किसी सीमा तक पुलिस में नैतिकता भी आने लगी थी। यह जो मैनेजर सिंह जी ने बात रखी है उसकी अनुभूति पुलिस के लोगों को भी हुई थी। जनता के अन्दर भावना उत्पन्न हुई थी। जनता यह सोचने लगी थी कि, हाँ भाई, अब हमारी सुरक्षा हो सकेगी। इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी अभी हमारे एक सहयोगी ने बताया कि बाराबंकी में रुदौली में २०-२० चोरियाँ हुईं, परन्तु किसी ने उनका पता लगाना उचित नहीं समझा।

मैं आपको सीतापुर के एक और आदमी का उदाहरण देता हूं जिसके घर में चोरी हुई और जो जेवरात का व्यापार करता था। वह बड़ी प्लैन्ड चोरी थी। उनके मकान के अन्दर सेंध लगाकर चोरी हुई परन्तु उसका पता अब तक नहीं लगाया गया। अब मैं और अधिक इस सम्बन्ध में न कह कर यही निवेदन करूंगा कि यह एक सत्य बात है कि पुलिस का प्रशासन ढीला हो रहा है। इसको जब तक हम नहीं खत्म करते तब तक हम कभी प्रदेश के अन्दर सुरक्षा और शांति व्यवस्था नहीं ला सकते। जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, जिनके नाम पर हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम त्याग के आधार पर अपने प्रदेश के अन्दर सुख, शाँति और समृद्धि लायेंगे और टैक्स इसलिये देना चाहिये कि हम उन्नति करें, यह कहाँ तक उचित है। इसीलिये अगर शाँति और सुरक्षा का प्रश्न इसी तरह से खटाई में पड़ता रहा तो यह पंचवर्षीय योजनायें कैसे चल सकती हैं ? सर्वप्रथम हमारे अन्दर ही एक नैतिक बल होना चाहिये जिससे हम पुलिस का मुकाबिला कर सकें। उदाहरण के लिये हमारे गाँव के अन्दर थानेदार लोग कहते हैं कि अच्छा, गुन्डों की लिस्ट दे दीजिये उस पर हम कार्यवाही करेंगे। अगर कोई हिम्मत के साथ गुन्डों की लिस्ट प्रस्तुत करता है, तो थानेदार उन गुन्डों से कह देता है कि अमुक व्यक्ति आपकी मुखालफत कर रहा है। तब गुन्डे उसको परेशान करते हैं और वह शरीफ आदमी खामोश होकर भाग्य का सहारा लेकर चलता रहता है। बहुत से लोगों ने हिम्मत के साथ गुन्डों को कुचला है, लेकिन पुलिस ने गुन्डों को बढ़ावा ही दिया और कोई व्यवस्था नहीं की। जब अंग्रेजों का काल था उस समय किसी थानेदार के थाने में कोई चोरी, डकैती या कत्ल हो जाता था तो पूरा उसका भार उसी पर पड़ता था, उसके खिलाफ जाँच की जाती थी, उसको मुअत्तल किया जाता था और उसे भय रहता था कि कहीं मेरे क्षेत्र में चोरी-डकैती न पड़ जाय। लेकिन आज यह भावना थानेदारों में नहीं है। वह समझते हैं कि मैं ऐसे पद पर हूं कि किसी तरह से सारे कानूनों के चक्कर में न पड़ कर कितना अधिक से अधिक जनता का शोषण करूं और उससे अपने को मालामाल करूं। तो मेरा निवेदन है कि अगर हम पुलिस की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में थानेदार के खिलाफ इंक्वायरी की जाय और उसके खिलाफ सख्त स्टेप लिये जायं और अगर सख्ती की गयी तो अवश्य गुन्डों का दमन होगा और शाँति-व्यवस्था कायम हो सकती है।

एक बात हमारे माननीय रामचन्द्र विकल ने बहुत महत्व की कही है। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के, अगर हम वोट के लालच में, चुनाव जीतने के लालच में ऐसी अशांति और अव्यवस्था का वातावरण निर्माण करते हैं तो एक सच्चे नागरिक की हैसियत से वह उचित नहीं है। गुन्डों को प्रोत्साहन देना किसी के लिये क्षम्य नहीं है। इसलिये निष्पक्ष होकर एक राष्ट्रीयता

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

के नाते से, सच्चे भारत-माता के पुत्र होने के नाते से अगर हम देश को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो पार्टीबन्दी की भावना जिसको हम पुलिस के जरिये से लाना चाहते हैं, वह बन्द होनी चाहिये । ऐसे उदाहरण हैं कि एक साहब थाने में जाकर थानेदार से मिलकर दलाली का काम करते हैं और उससे जीविका चलाते हैं, बदमाशों की सिफारिश करते हैं और कत्ल-डकैतियों में शरीक हैं इसके उदाहरण नवल किशोर जी के पास हैं । अगर ऐसी स्थिति हमें निर्माण करनी है जिससे देश में सुख-शांति हो तो हमें भ्रातृत्व की भावना को जागृत करना चाहिये और हिम्मत के साथ कहना चाहिये कि यह कार्य अशोभनीय है । बुरे लोगों को दबाने के पहले हमें पुलिस अधिकारियों के ऊपर कदम उठाना पड़ेगा तभी शांति व्यवस्था होगी और अराजकता समाप्त होगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव माननीय विकल जी ने जो इस सदन के सामने कमियों का पेश किया है, मैं हरदोई जिले को उससे निकाल देना चाहता हूं । ५४ जिलों की परिस्थिति उनके विचार से या और विरोधियों के विचार से दूसरे तरीके की हो सकती है, लेकिन हरदोई जिले की परिस्थिति में काफी अन्तर है । मैं इस सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा गिरोह राम भजन डाकू का था, जो फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर, और हरदोई आदि जिलों में आपरेट कर रहा था, उसको, हमारे इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, मिस्टर तामस के निर्देश से पुलिस ने उस गैंग का सफाया किया, एक महीने के अन्दर । रामभजन डकैत गोली से मारा गया, उसके गैंग का सफाया हुआ १४ बन्दूकें पकड़ी गयीं, २१ आदमी गिरफ्तार हुये । असेम्बली में कौन इसे इन्कार कर सकता है ? यह सत्य है, इसे छिपाया नहीं जा सकता कि इतने बड़े गैंग को जो ४ जिलों में आपरेट कर रहा था, उसको इतनी जल्दी लिक्वीडेट किया गया और उसको इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया । जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी आप क्यों नहीं कहते ? जहाँ कमियां हैं उनको आप कहिये, मगर जहाँ जो अचीवमेन्ट्स हुये हैं उनको भी आप कहिये ।

दूसरी बात अपने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के बारे में मैं कहूंगा । मुझे इस बात का गर्व है कि ५५ जिलों में, मेरे हरदोई जिले का सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस एक नमूना है, जिसने मुरादाबाद डकैती का सोना और चाँदी, बरामद किया है । इतनी बड़ी रिकवरी, जितनी उन्होंने की है, पहले कभी नहीं हुई । यह सही है कि हरदोई जिला एक टापमोस्ट क्रिमिनल जिला रहा है, बदमाश और बदनाम जिला है, लेकिन उस पर काफी काबू है । इधर ३ महीने में हरदोई में काफी काबू पा लिया गया है । इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने वहाँ काबू किया है, डी०के० अग्रवाल सुपरिन्डेन्डेन्ट पुलिस ने काबू किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी की पुलिस ने काबू किया है । हमने पुलिस को मजबूत किया है । हमने सुराग दिया और डकैतों को लिक्वीडेट करने के लिये हमने रास्ता बताया है । अगर आज इस असेम्बली के ४३० सदस्य ईमानदारी से पुलिस के साथ कोआपरेट करें तो यह नौबत नहीं आने वाली है । आप कुछ काम भी तो करिये । पुलिस डिपार्टमेन्ट तथा पुलिस इन्सपेक्टर आफ जनरल की कुछ मदद कीजिये, उनके साथ कोआपरेट कीजिये । इतने बड़े अचीवमेंट्स आज हरदोई जिले में हुये हैं जिनको इन्कार नहीं किया जा सकता और ऐसे पुलिस अधिकारियों को इनाम मिलना चाहिये जिन्होंने यह कार्य किया है, जो डकैतों के मुकाबिले अपनी जान लड़ा देते हैं । (व्यवधान) किसी एक पुलिस स्टेशन में कभी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि प्रदेश भर की पुलिस खराब हो गयी है, मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने साथी श्री विकल जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत साहसपूर्ण विषय को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सदन में उठाया है । मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे ही कुछ वीर, बहादुर, पुरानी कांग्रेस की परम्पराओं को मानने वाले हो जावें तो हमारे प्रदेश में जो एक कालिमा छाई हुई है, वह दूर हो सकती है । आज का दिन बहुत ही शुद्ध है । शुरू में हमारे अब्बासी साहब ने जो अपने साहस और सत्यता का परिचय दिया है उससे हमें आशा है कि कांग्रेसजनों में पुरानी बातों की फिर लहर आ रही है और सच्ची बात को वह अवश्य कहेंगे और मुनासिब बात के लिये ही हाथ उठावेंगे । अगर यही भावना हमारे सब साथियों में आ जाय, और हमारे सरकारी दल में बैठने वाले लोगों में आ जाय, तो मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश का, उसके प्रशासन का रूप-रंग बदल सकता है ।

जिस समय हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेशीय कांग्रेस के सदर बने तो नारा लगा था कि संस्था बड़ी चीज है, सरकार छोटी चीज है । मगर आज उसी संस्था को सरकार की बदौलत ऊंचा उठाने की चेष्टा की जा रही है । कांग्रेस का मंत्रि-मन्डल जो बना है वह सरकार की बदौलत नहीं बना है । अपने त्याग, तपस्या और आचरण की बदौलत बना है । और जब तक वह उनमें रहेगा कोई उनको हटा नहीं सकता । मगर यह जो स्थानीय नेता लोग अपनी गुटबन्दी के लिये पुलिस का प्रयोग करते हैं, यह वास्तव में आज भले ही अच्छा लगता हो मगर धीरे धीरे शासन को खोखला कर देगा । सुरक्षा की व्यवस्था बेहद ढीली हो चुकी है । लोग अपने स्थानों में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल की पुलिस की व्यवस्था का फल यह है कि कोई भी भला आदमी गरम-से गरम महीने में आंगन को छोड़ कर बाहर सहन में नहीं सो सकता है क्योंकि उसे हमेशा भय रहता है कि बदमाश हमें कत्ल न करदें, हमारा माल असबाब न लूट ले जावें । अगर हमारे कांग्रेसजन यह समझें कि पुलिस हमारी पुश्त पर होगी तभी उन्हें वोट मिल सकते हैं, तभी हमारी नेतागीरी कायम रह सकती है, तो उससे पुलिस का पतन हो जाता है । वे अपने लिये पुलिस का प्रयोग करते हैं ।

मैं माननीय मिश्राजी को बधाई देता हूं जो उन्होंने अभी बड़े जोर से व्याख्यान दिया है कि मैंने मुखबरी की, सुरागरशी की । यही हमारे नेता लोग और यही मुखबिर लोग जब से पुलिस के सलाहकार बन गये हैं तभी से हमारे देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य शुरू हो गया है और दुर्व्यवस्था शुरू हो गई है । आज हर दरोगा जानता है कि अगर हम स्थानीय नेता को अपने काबू में करलें तो हमें छूट है कि हम चाहे जितना लूटें, चाहे जितनी लापरवाही करें, मगर हमारे नेताजी जाकर असेम्बली में हमारा नाम लेंगे और बढ़ाई करेंगे । जब उनमें यह बल आ जाता है तो हमारी पुलिस धीरे धीरे दूसरे ही रवैये पर पहुंच गई है ।

मैं माननीय विकल जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । मैं भी एक उदाहरण देना चाहता हूं । मनकापुर थाने में एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ । दिनदहाड़े कत्ल हुआ । मुकदमा चला । सजा ७ वर्ष की हुई । फिर वही आदमी कांग्रेस के एक बड़े भारी अगुवा के साथ रहने लगा और जब कलेक्टर महोदय उनके पास जाते हैं तो उनसे भी हाथ मिलवाया जाता है कि यह हमारे यहां के बहुत प्रतिष्ठित सज्जन हैं और उन्हें पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, मगर श्रीमन्, आप ही अन्दाजा लगाइये जब ऐसे ऐसे नेता लोग ही ऐसे लोगों की पीठ थपथपायेंगे तो फिर पुलिस की कीमत क्या रह जायगी, किस प्रकार से वह उसकी ओर आंखें उठा कर देख सकते हैं । अभी आपके यहां अयोध्या में एक महन्त जी की हत्या हुई है, उसमें भी ये सज्जन उपस्थित थे ।

मनकापुर में एक औरत को केवल इसलिये पकड़ कर मकान में बन्द कर दिया गया क्योंकि उसका लड़का नौकरी छोड़ कर भाग गया था । उसके विपरीत रिश्तेदारों ने पुलिस में जाकर दरख्वास्त दी कि हमारी चची को जबरदस्ती घर में बन्द कर लिया है, लेकिन अफसोस है कि ये साहब क्योंकि एक बड़े कांग्रेसी नेता के यहां मुलाजिम थे, पुलिस ने इसकी कोई परवाह नहीं की । ३ दिन के बाद मैंने पुलिस कप्तान को टेलीफोन किया और कहा कि अगर आप और कुछ किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिये कि बुढ़िया छूट जाय । लेकिन हुआ क्या ? दो दिन के बाद थानेदार जांच के लिये जाता है । जब कि रिपोर्ट

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

में यह साफ कह दिया गया था कि थानेदार को न भेजा जाय क्योंकि इतने बड़े कांग्रेसी नेता के खिलाफ वह कुछ भी नहीं लिख सकता है । आप भी श्रीमन्, वकील रह चुके हैं, आपने अदालतों में भी काम किया है, आप यह भली भांति जानते होंगे कि उन लोगों के सामने किसी की किस तरह से हिम्मत हो सकती है कि उनके खिलाफ कुछ कहे । ऐसा रवैया हमारे पुलिस विभाग का है । इसका महज एक कारण है कि और वह यह है कि पुलिस में आज राजनीति घुस गयी है और हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके कारण ही पुलिस का साहस बढ़ रहा है और यही बदअमनी का कारण है । जब तक जनता को यह विश्वास रहता है कि हमारा रक्षक कोई है, तब तक वह शांत रहती है, लेकिन जब वह देखती है कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो वह मजबूर होकर कानून को अपने हाथ में लेती है क्योंकि पुलिस किसी की कुछ परवाह करती नहीं है । इस कारण वह समझती है कि वह नेता लोगों के पुश्त पनाह में हैं । आज तो आये दिन का रवैया यह है कि जब तक नेता जी साथ न जायेंगे तब तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी जायगी ।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान बड़े अदब और आदर के साथ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस गद्दी पर बैठे हैं और वह अपने त्याग और तपस्या के कारण बैठे हैं । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसी पद्धति अपनायें कि आगे आने वाली संतानें उस पर चलने की कोशिश करें । लेकिन वे शायद समझते हैं कि उनकी गद्दी इन्ही तरीकों से कायम रह सकती है । आज मेरी निराशा में एक आशा की झलक आयी । हमारे उस दल के बैठने वाले लोग, जो वास्तव में, जनता के प्रतिनिधि हैं तो वे अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे हैं और हमें विश्वास है वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे और देश में फैली हुई अराजकता को दूर करेंगे ।

त्रिलोकपुर थाने की बात है । एक शख्स अपनी स्त्री को बिदा करा कर ले जा रहा था । थानेवालों ने देखा कि औरत नौजवान है, मर्द भी नौजवान है । बस उसको बुलाकर थाने में बन्द कर दिया और कहा कि तुम भगा कर लाये हो । साबित करो कि तुम्हारी स्त्री है । अब साबित करना तो परदेश में मुश्किल होता है । नतीजा यह हुआ कि जेवर गहने उतारे गये, तब छूटे ।

जसराना थाने में एक हरिजन महोदय बेचारे बाहर से आये थे । धर्मशाले में ठहरे । पुलिस वालों ने उसको सफेदपोश देखा । उनको पूछने पर हरिजन नाम मालूम हुआ । बस उसको १०९ का मुल्जिम करार दे दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया । सोने की जंजीर और चांदी के बटन उतारवा लिये, तब उसकी जान बची । तो ऐसी ऐसी हरकतें आज हो रही हैं ।

हमारे मिश्रा जी भले पुलिस की तारीफ करें और अपने हरदोई जिले का उदाहरण दें, जैसे तीन लोक से काशी न्यारी वैसे ही हरदोई जिला न्यारा हो और वहां की पुलिस न्यारी हो । मगर वहीं के मुताल्लिक हम लोग सुन चुके हैं कि चुनाव के मौके पर दो विधायकों में आपस में गोली चल चुकी है, ऐसी वहां की व्यवस्था है । तो इन शब्दों के साथ मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आज सारी चीजों में राजनीति घुस गयी है ।

हमारे यहां मनकापुर में रामभरोसे नामक एक आदमी ने वहां के एक व्यक्ति को कत्ल करने की चेष्टा की । उसने गड़ासा लेकर मारा जिससे उसकी आधी गर्दन कट गयी लेकिन संयोगवश वह शख्स बच गया । वह शख्स चिल्लाया कि मुझे रामभरोसे ने मारा है, लेकिन उसकी कोई जांच आज तक नहीं हुई, कई महीने हो गये उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है । उसका कारण यह है कि उसके पीछे एक महानुभाव जो नेता जी हैं उसकी मदद में लगे हुये हैं । उसने कप्तान के पास लिख कर भेजा तो कप्तान पुलिस ने फिर उसकी जांच करने के लिये वापस भेज दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि जब सबूत मिल गया तो फिर उसकी जांच करने का क्या मतलब है । जब गवाही हो गयी कि उस आदमी ने कत्ल करने की चेष्टा की तो फिर उसकी

जांच करने का क्या मतलब है ? इसका मतलब तो यही मालूम होता है कि रिपोर्ट को फिर से उलट कर भेजा जाय ।

इसी तरह से मनकापुर में एक गरीब बुढ़िया का घर जला दिया गया जिसे लोगों ने देखा कि फलां शख्स ने बुढ़िया का घर जलाया है, मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके पीछे बड़े बड़े नेता हैं जो यहां असेम्बली में आकर पुलिस को दुहाई देने का साहस रखते हैं । दरोगा समझता है कि अगर हमने एक मुलजिम को छोड़ दिया तो नेताजी का हमें विश्वास प्राप्त हो जायगा कि जो असेम्बली में जाकर हमारा गुणगान करेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय विकल जी के सुझाव पर पूरा सदन बहुत गंभीरता से विचार करेगा ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय विकल जी और जिन दो महानुभावों ने इस प्रश्न को विचार के लिये प्रस्तुत किया है वे बधाई के पात्र हैं । जहां तक इस बात की शिकायत है, मैंने बहुत गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर सोचा कि आखिर पुलिस वही है और शासन भी करीब-करीब कई वर्षों से तो चला आ रहा है, वही है । पिछले कुछ महीनों में जो जरायम बढ़े हैं उसकी क्या वजह है ? मैं किसी एक व्यक्ति को इसके लिये दोषी ठहराना उचित नहीं समझता, लेकिन हर आदमी को अपना दिल टटोलना चाहिये ।

मैं आपके सामने आगरा के डी० आई० जी० श्री मिराजुद्दीन का स्टेटमेंट रखता हूं । उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के मुकाबले में जहां १८९ डकैतियां थीं वहां इस वर्ष बढ़ कर २७१ हो गयीं, लूटिंग की संख्या जहां पिछले वर्षों में १०८ थीं वह बढ़कर आज २५१ हो गयीं, कत्ल की संख्या जहां १९५ थी वह संख्या २३५ हो गयी और बरगलरी की संख्या जहां पहले १,९८१ थी वह बढ़ कर ३,५५४ हो गयी । उन्होंने बहुत विस्तार से उसके कारण भी बतलाने की कोशिश की है । उन्होंने यह भी कहा कि इन डकैतों को और जो बदचलन लोग हैं उनको हथियार मिलना बहुत आसान है । विदेशी हथियार उनके पास हैं और माकूल हथियार हैं । लेकिन शरीफ आदमियों के पास अपनी हिफाजत करने के लिये हथियार नहीं हैं । मगर ये हथियार किस तरह से मिलते हैं यह बहुत ही गहरी बात है । यह बहुत ही सीरियस बात है और मैं समझता हूं कि इन डकैतियों के द्वारा अराजकता की तरफ हमारा कदम उठ रहा है । अगर सचमुच ये डकैतियां होतीं तो बात दूसरी थी क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी यहां डकैतियां हुआ करती थीं, लेकिन इस तरह से एकदम निर्भय होकर और हथियार लेकर लोगों को लूटा जा रहा है कि आज शरीफ आदमी अपने घर की दौलत जो उसके पसीने की कमाई है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है । आज वह अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता है, फिर समझ में नहीं आता कि यह शासन आखिर किस मर्ज का इलाज है ? यह असल में सोचने की बात है ।

मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बहुत गहराई के साथ हम सबको विचार करना चाहिये और इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । आखिर हम क्यों नहीं यकीन करते कि जो गांव में बसते हैं और अगर वह मेहनत की कमाई के दस पैसे बचा कर रखे हैं तो उनके ऊपर हम क्यों उनको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं । ठूंसने वाली बन्दूक कोई नहीं लेना चाहते लेकिन उसका भी जब लाइसेंस मांगते हैं तो पुलिस उसको नहीं दिलाना चाहती । हमें सोचना चाहिये कि क्या पुलिस लोगों को लाइसेंस मिलने में हायल नहीं है ? वह नहीं चाहती कि लोगों को लाइसेंस मिलें, ६-६ मास तक दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, ६ मास बाद मालूम हुआ कि आदमी शरीफ हैं लेकिन वह समझते हैं कि लाइसेंस की रिपोर्ट नहीं जाती । आखिर क्या इस मुल्क का बोझ केवल लाल पगड़ी वालों पर है या हम लोगों पर ही है, जो कुछ मोटे खद्दर के कपड़े पहनते हैं, क्या उन्हीं पर है ? इस मुल्क की हिफाजत और सुरक्षा का बोझ हमारे भारत के प्रदेश के सारे नौजवानों और बसने वालों के ऊपर है । मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

चाहता हूं कि सरकार और हम सब गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें और हमें वह कदम उठाने चाहिये जो बाहरी और भीतरी सुरक्षा के लिये और हिफाजत के लिये जरूरी हैं। अगर वह भीतरी सुरक्षा कर सकते हैं तो वह किसी भी बाहरी खतरे के वक्त देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं और किसी भी उंगली उठाने वाले को सबक सिखा सकते हैं। मैं इस मौके पर ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि आप प्रदेश की जनता पर यकीन कीजिये और यकीन कर के चलिये।

मेरा ऐसा विश्वास था कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद कुछ सुधार होगा। मैं नहीं कहता कि पुलिस में कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कम्पलेंट अफसर की स्कीम चली और शिकायतों की जांच की बात चली, लेकिन वे निकाल क्यों दिये गये ? उस की कोई वजह है ? मैं कहता हूं कि एन्टीकरप्शन विभाग आप का क्या कर रहा है। वह विभाग किसी आदमी को पकड़ता है, कोई बड़ा आदमी जो रिश्वत लेता है, मैं सबूत देने को तैयार हूं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मेरी हिफाजत कैसे होगी। जब मैं जिन्दा ही नहीं रहूंगा तो मैं किस को पकड़वा सकता हूं। सन् १९३७-३८ में जब एन्टीकरप्शन विभाग शुरू में बना तो उसका कुछ ऐसा रोबदाब पड़ा कि बहुत से लोग रिश्वत लेने से भगे। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज सरकार का यह फर्ज है कि जो लोग चोरों, बदमाशों और डकैतों से लड़ना चाहते हैं उनको वह हिम्मत दिलायें, यह काम सरकार कर सकती है लेकिन वह नहीं हो रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर कोई अफसर ऐसी हिम्मत करता है तो उस को तरह तरह से गिराया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अफसरों में सब ईमानदार नहीं हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो ईमानदारी से खिदमत करना चाहते हैं वह आगे नहीं बढ़ सकते, वह इनएफिशियेंट और नालायक कहे जाते हैं। तो फिर ईमानदारी कैसे आ सकती है ? इसके लिये कुछ इनसेन्टिव सरकार को देना पड़ेगा और अगर सरकार नहीं दे सकती और विरोधी दल के लोग इनसेन्टिव देकर किसी आदमी की तारीफ करना चाहते हैं तो वह मारा जाता है।

अन्त में एक बात और कहूंगा कि कुछ बड़े लोगों पर आजतक मुकदमे चले ? हम देखते हैं कि ऐसे-ऐसे जुर्म हुये हैं कि जिन में सूबे के बड़े लोगों पर अगर मुकदमे चलते तो छोटे लोग भी खौफ खाते। लेकिन बड़े लोगों पर मुकदमा नहीं चल सकता। मुझे मालूम है, मैं समझता हूं उसकी चर्चा करने का वक्त पेश नहीं है, लेकिन जरा अपना दिल टटोलें। क्या कानपुर के लोगों ने ऐसी हरकतें नहीं कीं कि जिनके लिये लोगों को जेलखाने में नहीं जाना चाहिये ? बड़े-बड़े उद्योगपतियों को क्यों नहीं जेलखाने भेजा जाता ? अगर वह नहीं जाते तो छोटे आदमी भी एतराज करते हैं। माननीय गृह उप-मंत्री जी मेरी बातों पर मुंह बिढ़ा कर कह सकते हैं कुछ नहीं, पर मैं समझता हूं, आप हमारी बात को जो उचित न समझें उसको छोड़ दीजिये, लेकिन मैंने जितनी बातें कही हैं या और लोगों ने कही हैं उससे आप यह न समझें कि आपकी गद्दी छीनने के लिये कह रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से यह प्रश्न आया। यह सुरक्षा के लिये बात है, हमारी हिफाजत होनी चाहिये जिससे हम अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें।

गांवों की जो आज स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। गांवों की हालत छोड़ कर कहता हूं और गृह उप मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज उन लखपतियों और करोड़पतियों के घर भी लूटे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है, यह मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं। तो इन बातों को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर सोचें। और जो मिराजूद्दीन साहब के सामने रखा जुर्म की स्थिति को, वह समूचे प्रदेश की यह कैफियत है, भले ही हरदोई में यह न हो, लेकिन अधिकांश जिलों में यह तस्वीर है। और लखनऊ और बुलन्दशहर की बात करें तो लखनऊ में रेलवे स्टेशन्स लूटे जाते हैं जो पहले जंगल में होते हुये भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ऐसी बात सोचे। आखिर वजह क्या है ? मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, बनारसी दास जी और नवलकशोर जी सोचें कि आखिर ऐसी हालत क्यों है ? इतनी अरक्षा की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है ? अगर आप इस बात को सोचेंगे तो आप अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे और सारा देश आपसे प्रसन्न होगा।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं ....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—सोशलिस्ट पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोला तो क्या मंत्री जी के बाद बोलने का हमको मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—समय रहेगा तो अवश्य मिलेगा ।

श्री उग्रसेन—अगर आप न भी चाहें तो न दें ।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर ।

श्री उग्रसेन—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । जब सभी दलों के एक आध सदस्य बोल चुके हैं और सोशलिस्ट दल के सदस्य खड़े हुये तो क्या उन्हें बोलने का मौका नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—देखिये २ घंटे के अन्दर बोलना है । अब इस वक्त माननीय नवल किशोर जी को १५ मिनट मिलेंगे ।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया । यह कहा गया कि अपराधों में वृद्धि हुई है । सरकार इस बात को मानती है और किसी स्टेज पर सरकार ने नहीं कहा कि अपराधों में वृद्धि नहीं हुई । बजट के समय भी कहा गया । सिर्फ एक बात जरूर कही गई कि अपराधों में वृद्धि हुई है जिसके कई कारण हो सकते हैं, माननीय ब्रजभूषण शरण जी ने बहुत से कारण बताये । उनको मैं दोहराऊंगा नहीं । एक कारण यह भी था कि अब इस बात के आदेश हैं कि रिपोर्ट सही लिखी जाय । यह भी कहा गया कि हमारी आबादी बढ़ गई है, यह भी एक कारण है । कुछ औद्योगीकरण की भी बात है । और साथ-साथ सरकार ने इस बात को भी माना है कि अपराध करने की मनोवृति में भी बढ़ोत्तरी हुई है और इसको सरकार से मानती है । इसलिये आंकड़ों से यह साबित कर देने की आवश्यकता ही नहीं थी ।

एक बात जरूर देखनी चाहिये । सेकेन्ड वर्ल्ड वार के बाद केवल भारत में और इस प्रदेश में ही नहीं , किसी भी मुल्क को देखें तो हर जगह जो क्रिमिनल मेन्टैलिटी है, वह बढ़ी है। और जिस अनुपात में और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें बढ़ी हैं उनसे कहीं कम हिन्दुस्तान में हैं और उससे कहीं कम उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन यह हमारे लिये संतोष की बात नहीं है । सरकार इस तरफ सतर्क है और उसने ठोस कदम उठाये हैं । जहाँ यह बात सही है कि डकैतियाँ बढ़ी हैं वहां यह बात भी सही है कि इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन ६,७ महीनों में डकैतों से ८८ एंकाउंटर किये हैं और उन एंकाउंटर्स में १९ डकैत मारे गये और ४८७ डकैतों को गिरफ्तार किया गया और कुल १,५८० डकैतों की गिरफ्तारियाँ ७ महीनों में हुई हैं । यह बात अपनी जगह सही है कि इसी उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने मानसिंह, लाखन, रूपा जो बड़े-बड़े खूंखार डकैत थे उन्हें खत्म किया । झांसी में तीन बड़े गिरोह थे—देवीसिंह, जंडेलसिंह और सूरतसिंह के । उनको लिक्वीडेट किया गया । देवीसिंह पर तो १९ हजार रुपये का इनाम था । जहाँ डकैतियाँ बढ़ी हैं वहां यह बात भी सही है कि इतना बड़ा प्रदेश है, गड़बड़ियाँ होनी हैं, लेकिन पुलिस ने साथ ही साथ बहुत अच्छे काम किये हैं । हरदोई से रामभवन को लिक्वीडेट किया । मर्डर्स हुए हैं यह सही है, लेकिन मर्डर्स का पता लगाने में जितनी चेष्टा हो सकती थी, की गयी । इसी हाउस में स्टेटमेंट दिया गया कि लखनऊ में ६, ७ दिन के अन्दर डकैतियाँ पड़ीं । जो तकलीफ हुई उसके लिये सरकार की तरफ से दुख प्रकट किया गया । लेकिन आज खुशी है मुझे और सदन के द्वारा मैं लखनऊ के एस० एस० पी० को और उनके स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि तमाम क्रिमिनल ट्राइब्स के लीडर्स जो इन गैंग्स को आपरेट करते थे, वे सब गिरफ्तार कर लिये गये और जेल में बन्द हैं । ५, ६ स्टेशनों पर डकैतियाँ पड़ीं, लेकिन एक सेहल

[श्री नवलकिशोर]

को छोड़ कर कोई स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ डकैती वर्क आउट न हुई हो और पुलिस का जो काम था, उसने अपना काम किया।

मेरे एक वक्तव्य में बतलाया गया था कि १९५० नाजायज हथियार गिरफ्तार किये गये। २३ छोटे मोटे कारखानों की बात मालूम की गयी जहाँ नाजायज तरीके से हथियार बनते थे। एक तरफ जहाँ क्राइम बढ़ रहा है वहाँ इस बात की भी कोशिश है कि बराबर सतर्कता के साथ पुलिस अपने फरायज को अन्जाम दे।

यह भी हम सभी को मालूम है कि पुलिस की स्थिति को देखते हुये और उसकी संख्या, साधन तथा अभावों को देखते हुये एक पुलिस आयोग बैठाया गया था। उसने बहुत सी सिफारिशें कीं और उनमें से काफी को सरकार ने माना और उनको कार्यान्वित किया गया। अभी ६ महीने हुये हैं और माननीय गेंदासिंह जी यह उम्मीद करें कि ६ महीने में कोई मिरेकिल हो जाय तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस कमीशन के बाद, तनख्वाहें बढ़ जाने के बाद और जो कुछ आर्गनाइजेशन में चेंजेज हुए हैं उनको देखते हुए क्राइम्स को डिटेक्ट करने में अवश्य आसानी रहेगी। मिसाल के तौर पर सर्किल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बना कर बड़े बड़े थानों का इंचार्ज बना दिया गया है। सी० ओ० ६, ७ थानों के इन्चार्ज होते थे अब संख्या घटा कर ४ थानों के बना दिये गये हैं। कुछ चौकियाँ और थानों को बढ़ाने की बात चल रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक अनुसंधानशाला है तथा फोरेन्सिक लेबोरेट्री को स्थापित किया गया है और एक बहुत ही हमारे कुशल एस० पी० श्री सोमेन्द्र गुप्त, जो कैनाडा से लौट कर आये हैं उनको उसका डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक साइंटिफिक हर एक थाने में भेज दिया जाय। जनता में आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिये विलेज डिफेन्स सोसाइटीज पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। बुलन्दशहर के लोगों ने इसके लिये कई लाख रुपये इकट्ठा किये हैं और कोआपरेटिव तरीके से जो विलेज डिफेन्स सोसाइटीज हैं उनके वास्ते सरकार की तरफ से हथियार दिये गये हैं। आगरे में भी अच्छा काम हुआ है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हर जगह हम विलेज डिफेन्स सोसाइटीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथियों को यह जान कर खुशी होगी कि पिछले ७ महीनों के अन्दर इन विलेज डिफेन्स सोसाइटीज ने २६१ मौकों पर बदमाशों का मुकाबला किया और ४० डकैतों को मारा और १२० को गिरफ्तार किया। यह भी सही है कि हमारे कुछ ग्रामीण भाइयों की जानें गयीं और कुछ जख्मी हुये।

शहरों के अंदर सभी जानते हैं कि हमने लखनऊ और कानपुर में कंट्रोल रूम्स बनाये हैं जहाँ वायरलेस मोटर्स चलती हैं। इसके अलावा जहाँ फ्लाइंग स्क्वाड्स नहीं हैं वहाँ बना रहे हैं और जहाँ हैं वहाँ बढ़ा रहे हैं। डाग स्क्वाड्स और ऐंटी गुन्डा स्क्वाड्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो सरकार भी आहिस्ता-आहिस्ता हर कदम उठा रही है। साथ ही यह भी कोशिश कर रही है कि जनता और पुलिस में आपस में सहयोग हो। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि इन्टेन्सिव पैट्रोलिंग हो और देहातों में भी हो। गजटेट अफसरों को इस बात की हिदायत दी गयी है कि वे इसकी चेकिंग करें और जब वे कैम्प करें तो देहातों में करें और प्रधानों तथा सरपंचों से कंटैक्ट करें ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो सके और आपसी सम्पर्क बढ़े।

माननीय विकलजी ने १९६० के बुलन्दशहर के एक केस की चर्चा की। यह प्रश्न इस सदन के सामने एक दो बार आ भी चुका है। घटना यह थी कि दिल्ली पुलिस ने आ कर एक आदमी को मार दिया था। उनका कहना यह था कि हमने नाकाबन्दी की थी ताकि नाजायज शराब की स्मगलिंग दिल्ली के अन्दर न हो। जो आदमी मारा गया था उसकी पार्टी के लोगों का यह कहना था कि दिल्ली के जो सिपाही या इंस्पेक्टर आये थे उन्होंने उनके खेत से कुछ गन्ने उखाड़ लिये थे उसके ऊपर मारपीट हुई जिसके फलस्वरूप उस आदमी को शूट कर दिया गया।

काफी खतो-किताबत उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के चीफ कमिश्नर के बीच हुई। आखिर में यह तय हुआ कि डी० एम० या ए० डी० एम०, दिल्ली के सिपुर्द यह जाँच सौंप दी जाय और उसके साथ ही यह कमिटमेंट भी किया गया कि उनकी जो फाइन्डिंग होगी उसको उत्तर प्रदेश की सरकार मान लेगी। ए० डी० एम० ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। यह सही है कि बहुत से प्वाइंट्स पर उत्तर प्रदेश की सरकार को संतोष नहीं है लेकिन चूंकि हमारा कमिटमेंट था इसलिये उनकी बात मान कर और मजबूर हो कर हमने उस मामले को ठंडा किया और कार्यवाही समाप्त की।

इसके अलावा माननीय विकलजी ने बुलन्दशहर जिले में सयाने की बात कही। यह सही है कि वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वहां के एक बड़े धनाढ्य का इकलौता बेटा मारा गया, लेकिन उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि डी० आई० जी०, एस० पी० और सब लोग वहाँ पहुंच गये और सरकार ने उस केस को सी० आई० डी० को इन्वेस्टीगेशन के लिये दे दिया है और पूरी कोशिश होगी कि उसका पूरा-पूरा इन्वेस्टीगेशन हो।

इसके अलावा कुछ बनारस की बात भी कही गयी। यह बात सही है कि वहाँ तीन कत्ल हुये और एक का जिक्र हमारे मित्र गिरधारीलाल जी ने किया कि दिन दहाड़े हुआ। अब दिन दहाड़े एक आदमी का कत्ल होता है, दूकान से खींच कर उसे लाया जाता है और दूकान के लोग भी उसकी रक्षा में आगे न बढ़ें तब फिर क्या हो। जैसा कि हमारे भाई गेंदासिंह जी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हर नौजवान की है और जब चीन बार्डर्स पर खड़ा है तो हमको भी कुछ न कुछ अपने पाँवों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या यह बुजदिली की बात नहीं थी कि दिनदहाड़े कत्ल हो जाय और लोग खड़े देखते रहें। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसमें संबंधित लोगों का चालान हो गया है। इसी तरह से दो और मर्डर्स में भी चालान हो गया है। लखनऊ में जो एक कत्ल की चर्चा की गयी, यह बात सही है कि राधेश्याम जी का कत्ल हुआ लेकिन ८ आदमियों का उसमें चालान हो गया। यह बात भी मैं मानता हूं कि बहुत से केसेज में ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर किसी को एक निर्जन स्थान में मार दिया गया तो उसमें दिक्कत पड़ती है कि हम क्या करें, क्या न करें, लेकिन इस बात की निरंतर कोशिश की जा रही है और जहाँ तक सरकार का संबंध है हिदायत दे दी गई है कि जो इनवेस्टीगेशन का टाइम लिमिट है उसको सख्ती के साथ आब्जर्व किया जाय। लेकिन हमारे पास साधनों की कमी है। अब आहिस्ता-आहिस्ता, आप साहबान ने बजट में पैसा बढ़ाया है, तो हम और ज्यादा आदमी भर्ती करेंगे और उनको शिक्षा देकर इस काम को आगे बढ़ायेंगे।

मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी आईं जिनको मैं समझता हूं कि कोई खास वास्ता क्राइम से नहीं था। मिसाल के तौर पर मंत्रिमंडल की बात को कहा गया और पोर्टफोलियोज की बात कही गई यह मेरे भाई श्री मैनेजर सिंह ने कह दी और उन्होंने एक ही दवा बताई जिसका संबंध एलोकेशन आफ पोर्टफोलियोज से है। वह मुख्य मंत्री जी के अधिकार की बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऊंचे स्टैंडर्ड की बात नहीं कही और जैसी उनकी पार्टी है वैसे स्टैंडर्ड की बात नहीं कही।

मान्यवर, अभी राजा साहब मनकापुर ने अव्यवस्था की बात कही। मुझे गोंडा का एक्सपीरियन्स है और मैं उसकी कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि वहां क्यों इनसिक्योरिटी है और उसके क्या कारण हैं। लेकिन अभी जब चुनाव हुए थे तो भारत के प्रधान मंत्री जी गोंडा गये थे और उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था कि मुझे ताज्जुब है कि आज भी हिन्दुस्तान कि किसी हिस्से में सामन्तशाही जिन्दा है। वहाँ ऐसा मालूम होता था कि गवर्नमेंट एक्जिस्ट नहीं करती है। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। वहाँ किन आदमियों का, किन व्यक्तियों का और किस दल का असर है अगर यह कहना शुरू करूंगा तो मैं समझता हूं कि न तो उससे किसी मेम्बर की इज्जत बढ़ने वाली है और न हाउस की इज्जत बढ़ने वाली है।

[श्री नवलकिशोर]

मान्यवर, इसके अलावा ट्रांसफर की बात कही गई कि इसका भी क्राइम के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब मैं क्या अर्ज करूं, अपोजीशन के मेम्बर साहबान मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति के पास आते हैं कि इसको रोक दो और इसको ट्रान्सफर कर दो। लेकिन इन बातों का क्राइम से कोई संबंध नहीं था। माननीय गेंदासिंह जी ने ठीक कहा कि आपको सोचना है कि क्राइम बढ़ रहे हैं। यह सही है कि जो भी कारण हों लेकिन इनको चेक करना है। इसके अलावा जो गुन्डों के प्रोटेक्शन की बात है तो शायद ५९ या ६० में मुझे ठीक सन् याद नहीं है, माननीय चरणसिंह जी ने बताया था कि कितने फीसदी गुन्डे किस पार्टी में शामिल हैं और उसमें उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया था। इस पर हमारे साथी माननीय विकल जी ने पूछा कि क्या सरकार बताएगी कि ऐसे लोग कांग्रेस में न घुसने पायें इसके लिये क्या कदम उठाये गये? मैं समझता हूं कि यह मामला संस्था का है और पी० सी० सी० या कांग्रेस पार्टी में इस बात को सोचा जा सकता है। मैं इन बातों में यहां पर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात की अवश्य अपील करना चाहता हूं और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, एक कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये और किसी भी क्रिमिनल को किसी भी जगह शेल्टर नहीं मिलना चाहिये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी ने जिन आदमियों के बारे में कहा उनके संबंध में सरकार ने क्या किया है और मैंने जो केस बताया था उसके बारे में भी बता दें कि क्या किया?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जिसकी कंट्रोवर्सी में पड़ना मैं नहीं चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---श्रीमन्, डी० आई० जी० और कमिश्नर द्वारा जांच कराई गई है उसकी रिपोर्ट आ जाय क्योंकि मेरा नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यहां पर पुलिस और पुलिस की कार्यवाही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खेद इस बात का है कि जिस लेविल पर बात होनी चाहिये थी वह न इधर से हुई और न उधर से हुई। एक लेविल पर रहे तो अच्छा है। जब उसका लेविल गिर जायगा तो दोनों तरफ से गड़बड़ होगी।

श्री नवलकिशोर---तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस समय यह भाषण हुये तो, इस बात को मानते हुये भी कि अपराधों की वृद्धि हुई है, लेकिन नक्शा ऐसा खींचा गया कि जैसे बड़ी मायूसी का वातावरण यहां हो, लालेसनेस फैल गयी हो, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। बिलकुल नार्मल स्थिति है। यह बात सही है कि जो भी कारण हो, अपराध बढ़ रहे हैं। इस बात को रोकने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार पुलिस कमीशन की सिफारिशों को अपने साधनों को देखते हुये जिन को लागू कर सकती है, लागू करने की चेष्टा कर रही है। कुछ के ऊपर विचार-विनिमय हो रहा है कि हमारे यहां आज की स्थिति में वह मुनासिब होंगी या नहीं।

माननीय गेंदासिंह ने यह कहा कि पुलिस के कारण नेक आदमियों को हथियार नहीं मिल पाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। हो सकता है कि कोई इस तरह के एक दो केसेज हों, लेकिन अगर पुलिस की सिफारिश को निकाल दिया जाय, वेरीफिकेशन न किया जाय तो ज्यादातर गलत आदमियों को हथियार मिल जायेंगे। इसके लिये कोशिश की जा रही है कि हर गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के मेम्बर बनें उनको हथियार दिये जायं। मैं माननीय गेंदासिंह को इस बात की दावत देता हूं कि वह ग्राम रक्षा समितियों के निर्माण करवाने में पुलिस को सहयोग दें और जिन गांवों में उनका असर है वहां जो सबसे नेक नौजवान हों, जिनमें देश की खिदमत करने का जज्बा हो, उन लोगों को ग्राम

रक्षा समिति का मेम्बर बनवाएं। सरकार यह कभी नहीं चाहती कि गलत आदमियों को हथियार दिये जायं। वह चाहती है कि अच्छे आदमियों को हथियार दिये जायं ताकि वह उसका सही इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त हर साल रिनवल के समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जांच करता है। अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसको दूर करता है।

इन शब्दों के साथ आखिर में एक बात कह रह कर मैं खत्म करूंगा। क्राइम की स्थिति किसी पार्टी का सवाल नहीं है। सारे प्रदेश का सवाल है जिसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह शान्ति व्यवस्था कायम करे और जन साधारण में कानून के प्रति आदर और सम्मान की भावना पैदा करे।

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय नेता, सोशलिस्ट पार्टी नहीं बोले हैं, माननीय नेता विरोधी दल को बोलना है, और कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय भीखालाल बोलना चाहते हैं। माननीय नेता सदन भी बोलना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अब छः बजने वाले हैं। इसलिये मैं बोलने वाला नहीं हूं। लोग थक गये हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप सब राजी हों तो मैं पंद्रह मिनट समय बढ़ा दूं, अन्यथा फिर समाप्त करूं।

(सरकारी पक्ष से—नहीं, नहीं।)

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नवलकिशोर...

श्री अध्यक्ष—आप करीब पांच मिनट लीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—आपने अभी प्रस्ताव किया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विचित्र तरीके से और रोषपूर्ण ढंग से कहा कि मैं भाग नहीं लेना चाहता। उनके कहने से बहुमत दल समय बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि ऐसे विषय पर आप केवल पांच मिनट चाहेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि हम अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिये मैं भी स्वयं अपने खेद के साथ अब इस विवाद में नहीं बोलूंगा। मेरा जो भी समय हो वह आप माननीय उग्रसेन जी को या माननीय भीखालाल जी को दे दें। मुझे दुख है कि आज इस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी का है।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा, मैं अपने को उनकी भावनाओं के साथ सम्बद्ध पाता हूं और माननीय नेता सदन के उस रुख की निन्दा करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, नियम ५४ के मुताबिक यह है कि इस तरह का डिस्कशन अगर आप एलाऊ करें और आप कुछ परिस्थितियों को देखें, उनको देखते हुए आप ढाई घंटे का समय दे सकते हैं। चूंकि आपने दो घंटे का समय दिया था और अब आप परिस्थिति को देख रहे हैं कि कई दलों के लोग नहीं बोल सके हैं, नेता विरोधी दल नहीं बोल सके हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बोलना चाहते थे, चाहे अब न चाहें, आप जो पन्द्रह मिनट का समय बढ़ाना चाहते थे यह अधिकार केवल आपका है, इसके ऊपर सदन की और शासक दलों की कोई राय मशविरे की जरूरत नहीं है। आपने एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों के विरोध करने पर भी अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है, और मैं समझता हूं कि आज यह सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, और इस अवसर पर आप उस अधिकार का प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष—नहीं, चन्द्रजीत जी, एक बात यह है कि इसमें ढाई घंटे तक का समय मैं दे सकता था। मैंने दो घंटे निश्चित कर दिये थे। अब नियम १६ के अन्तर्गत जो १५ मिनट में अपने अधिकार से बढ़ा सकता था वह अधिकार इसमें नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि परिस्थितियों को देखते हुए आप बढ़ा सकते हैं। अब परिस्थिति इस वक्त ऐसी है....

श्री अध्यक्ष—बढ़ाने का सवाल कहां है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—नहीं, आप देखें, आपको इस बात का अधिकार है कि स्पीकर समय निर्धारित कर सकेंगे। स्पीकर ढाई घंटे तक समय डिस्कशन के लिये दे सकते हैं। आपने समय निर्धारित नहीं किया.....

श्री अध्यक्ष—मैंने दो घंटे निर्धारित कर दिया है चार बजे से छः बजे तक।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कुछ दलों के लोग बोल नहीं सके हैं और ऐसे गम्भीर विषय पर आप केवल मुख्य मंत्री के नाराज होने की वजह से उस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जिसका कि आपने बार बार प्रयोग किया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, पांच ही मिनट रह गये हैं और अब आप पांच मिनट मुझे दे रहे है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। एक ही बात कह कर के और समय नहीं लेना चाहता और वह यह कि आज सारे प्रदेश में जो कुरक्षा की भावना व्याप्त है और डकैती, चोरी, कत्ल, बलवे वगैरह तमाम अत्याचार हो रहे हैं उस सबका एकमात्र कारण यह कांग्रेसी राज है जो गुप्ता जी के नेतृत्व में है। जब तक यह गुप्ता राज समाप्त न होगा, यह अरक्षा की भावना इस प्रदेश से नहीं जायगी। शान्ति सुरक्षा कायम नहीं हो सकेगी। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हमें यह लिख कर मिला है कि उपवेशन का समय साढ़े दस बजे पूर्वाह्न से ५ बजकर ३० मिनट अपराह्न तक रहेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में..... (व्यवधान) यह माननीय सदस्यों को आज मिला है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा बैठक के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी बैठक का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं यह कहना चाहता हूं कि मामला कुछ उलझ गया है, किसका इसमें दोष है यह मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि आधा घंटा टाइम आप उस नियम के मुताबिक ही बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह जई साढ़े छः बजे तक हो जायगा, तो जो विरोधी सदस्य बोलने को बाकी हैं वह भी बोल सकेंगे और हम लोगों का आग्रह भी होगा और यह उचित भी होगा कि माननीय नेता सदन भी इस पर बोलें और उसके बाद भी मैं तो यहां तक कहूंगा कि साढ़े छः बजे के बाद भी अपने अधिकारों का प्रयोग करके आप १५ मिनट तक सदन का समय बढ़ा सकते हैं। इस तरह यह सदन पौने सात तक चल सकता है। नियमों पर इस तरह अगर अमल होगा जैसा कि इस समय होता दिखाई पड़ रहा है तो इसमें हमको दिक्कत पड़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि ६॥ बजे तक नियम के मुताबिक काम करें और उसके बाद आप

अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके समय बढ़ावें तभी जाकर समन्वय होगा नहीं तो हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---यह प्रस्ताव जो आप लाये हैं वह सदन के समक्ष आ चुका है और उस प्रस्ताव को सदन अस्वीकृत कर चुका है ।

श्री उग्रसेन---बावजूद नेता दलों के अनुरोध के आपकी व्यवस्था इसके विपरीत है । आपकी व्यवस्था से हम असहमति और विरोध प्रकट करते हुये हम सभी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त---माननीय मुख्य मंत्री ने जो एटीट्यूड अख्तियार किया है वह बड़ा ही अनएकोमोडेटिंग और अनरीजनेबिल है और इसी एटीट्यूड के कारण पुलिस के जुल्मों को बढ़ावा मिला है तथा माननीय मुख्य मंत्री ने जो हमारे प्रस्ताव को नहीं माना तो उसके लिये हमको दुख है और सभी जनसंघ के सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री झारखंडेराय---जो परम्परा इस सदन में जारी रही कि प्रत्येक विषय के ऊपर सभी लोगों को बोलने का अवसर मिलता रहा है वह अब नहीं रह गयी है । इसके लिये हमारे आग्रह को भी नहीं माना गया कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय । हम इन सब बातों का विरोध करते हैं और सदन का त्याग करते हैं ।

(साम्यवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामचन्द्र विकल---मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं बोल लूं तब आप बोलियेगा । नियम ५४ के अन्तर्गत मुझको यह अधिकार था कि इस विषय के लिये २।। घंटे का समय निश्चित करता, लेकिन मैंने दो घंटे का समय इसके लिये निश्चित किया....

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मैं यह निवेदन.....

श्री अध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं बोल सकते ।

श्री श्यामलाल---हम भी इसमें अपना विरोध प्रकट करते हैं और सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री श्यामलाल ने सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष---तो नियम यह है कि वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढ़ाई घंटे से अधिक न हो । तो इस पर २।। घंटे से अधिक चर्चा नहीं हो सकती । मैंने प्रारम्भ में २ घंटे का समय इसके लिये निश्चित किया था । अगर माननीय सदस्य यह समझते थे कि यह समय अपर्याप्त है तो उनको चाहिये था कि बहस के प्रारम्भ में या उस के पहले मुझसे मिल कर बात कर लेते कि ज्यादा समय दिया जाय । किन्तु जब विवाद समाप्त नहीं हुआ और थोड़ा समय रह गया तो मैंने सोचा कि कदाचित् सदन इस पर ज्यादा बहस करना पसन्द करे तो उसके लिये सदन में प्रस्ताव आया । सदन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया । अब अस्वीकृत होने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता कि ६ बजे से आगे समय बढ़ाया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल—मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी मेरा नाम लेकर चर्चा की गई कि सोहनलाल का मर्डर कराया गया, क्या यह बात सही है ? आपने उसकी कोई चर्चा नहीं की। वह जांच नहीं हुई है ? दिल्ली की पुलिस से जांच कराई गई तो क्या उसका मर्डर दिल्ली में हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये ।

श्री रामचन्द्र विकल—उत्तर प्रदेश की सरकार उस मर्डर की जांच क्यों नहीं करा सकी जिसको उसने दिल्ली की सरकार को सौंपा और अगर दिल्ली वाली जांच को वह सही नहीं मानती, तो क्या उस मर्डर की वह पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय की चर्चा हमारे माननीय विकल जी मुझ से कई मर्तबा कर चुके हैं और मैंने उन्हें वह सब कारण बतला दिये हैं जिनके कारण अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। यह दो साल पहले का मसला है और उस समय जैसा कि अभी उप मंत्री जी ने बतलाया, यहां के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के चीफ कमिश्नर में एक समझौता हुआ था और कुछ बातचीत हुई थी। उनके परिणामस्वरूप यह तय हुआ था कि इसकी जांच दिल्ली की सरकार के डी० एम० या ए० डी० एम० करेंगे। उन्होंने जांच की और उसके फलस्वरूप वह बातें जो साफ होनी चाहिये थीं साफ नहीं हो सकीं (व्यवधान) इसलिये उसकी जांच का अब कोई सवाल नहीं उठता (व्यवधान) और इसलिये अब इस विषय की जांच करने का कोई फायदा नहीं है (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ सितम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४० पर ।)

Copy of Medical report, dated 13th August, 1962 by Dr. C. Khosla, Medical Officer Incharge, Women's Hospital, Basti.

Examined Srimati Somnara, wife of Gurdeen Das, address village Vitahikheri, police station Munderwa, Basti.

Brought and identified by her husband Gurdeen Das at 11 a.m. on 13th August, 1962.

M. O. i. (1) There is one black mole on the right cheek.
(2) Two raised moles on the back on left side.

Pt. gives history of beaten by some man of her own village yesterday at 12 noon.

On Exam. No external injury found over the body.

P. Abdomen. Fundal height 34 weeks.
VU floating.
F. H. S. Absent.

P/V Exm. O. S. admits 1 finger not taken up and placenta felt in the centre, cloths in the vagina. No marks of external and Internal injury found on p/v.
Pt. admitted in a pulseless state.

She seems to be a case of Central palcenta previa. Her condition is very serious.

B. P. Not recordable.

Treatment given, and Pt. admitted in Women's Hospital, Basti.
(1) Coramine 1 ampule i/m.
(2) Glucose saline drip.
(3) police informed.

Right thumb impression of Srimati Somnara.
13-8-62.

(Sd.) C. KHOSLA,
13-8-62.

(Sd.) C. KHOSLA,
13-8-62
Medical Officer Incharge,
Women's Haspital,
Basti.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४८ पर)

कन्फरमेशन में सुपरसीड हुये कर्मचारियों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	पद	सीनियारिटी लिस्ट में स्थिति
१	२	३	४
१	श्री पशुपति मनि	कंडक्टर	३६
२	,, विनोद कुमार	,,	४४
३	,, शंकर जी शुक्ला	,,	५१
४	,, अब्दुल शकूर	,,	५२
५	,, पारसनाथ लाल	,,	५३
६	,, रामा शंकर अग्रवाल	,,	५६
७	,, मदन लाल सहगल	,,	५७
८	,, डी० एन० सिन्हा	,,	५८
९	,, ज्वाला प्रसाद	,,	६०
१०	,, राम प्यारे मिश्रा	,,	६३
११	,, सुदामा सिंह	,,	६७
१२	,, केदार नाथ सिंह	,,	६८
१३	,, बाल गोविन्द सिंह	क्लीनर-कंडक्टर	१
१४	,, कंवल भान राय	कंडक्टर	९
१५	,, पशुपति मनि	,,	१३
१६	,, राम जी पांडे	,,	२५
१७	,, हरि शंकर पांडे	,,	२७
१८	,, राम लखन सिंह	,,	३१
१९	,, झकरी प्रसाद	ड्राइवर	१६
२०	,, परमहंस मिश्रा	,,	३३
२१	,, सुल्तान अहमद	,,	३५
२२	,, विश्वनाथ मिश्रा	,,	३९
२३	,, लालता पांडे	,,	५७
२४	,, राम सिंह	,,	५९
२५	,, देवता नन्द तिवारी	,,	६६
२६	,, राम नाथ पांडे	,,	६७

विधान सभा प्रदेश

क्रम-संख्या	नाम	पद	सीनियारिटी लिस्ट में स्थिति
१	२	३	४
२७	श्री मोहम्मद जलील	ड्राइवर	७०
२८	,, ईश्वर दत्त उपाध्याय	,,	७२
२९	,, राम भरोसे उपाध्याय	,,	८०
३०	,, विश्वनाथ सिंह	,,	८३
३१	,, राम दुलारे	,,	८५
३२	,, मुहम्मद छेदी	,,	८६
३३	,, मुन्नी लाल	,,	९३
३४	,, शसा प्रसाद	,,	९५
३५	,, मुहम्मद जलील (द्वितीय)	,,	१०३
३६	,, गंगा राम (प्रथम)	,,	१०४
३७	,, महाबल हसन	,,	१०६
३८	,, बफाती	,,	१०७
३९	,, राम पूजन सिंह	,,	११३
४०	,, राम नरेश सिंह	,,	११४
४१	,, करम देव मिश्रा	,,	११६
४२	,, गायत्री प्रसाद मिश्रा	,,	११७
४३	,, घिसियावन राम (प्रथम)	,,	११८
४४	,, छेदी राम गुप्ता	,,	११९
४५	,, सीताराम (द्वितीय)	,,	१२०
४६	,, मुसयूद खां	,,	१२६
४७	,, श्याम लाल	चौकीदार	३
४८	,, सिद्ध नाथ	मजदूर	११

(ख) पदोन्नति में सुपरसीड हुए कर्मचारियों का विवरण

१	श्री राम प्रताप मिश्रा ..	एकाउन्ट्स क्लर्क	२६
२	,, केदार नाथ सिंह ..	जूनियर क्लर्क कंडक्टर	२
३	,, शंकर जी शुक्ला	,,	
४	,, पारसनाथ लाल ..	आजमगढ़ डिपो कन्डक्टर	१५
५	,, मदन लाल सहगल ..	,,	१६

विधान सभा सचिवालय

क्र० सं०	नाम		पद	सीनियारिटी लिस्ट में स्थिति
१	२		३	४
६	श्री सुदामा सिंह	..	आजमगढ़ डिपो कन्डक्टर	२१
७	,, केदार नाथ सिंह	..	,,	२२
८	,, पृथ्वीपाल लाल	..	आजमगढ़ डिपो	१८
९	,, राम लखन राम	..	,,	३८
१०	,, रामधारी यादव	..	,,	४४
११	,, राम नाथ राम	..	,,	५०
१२	,, अनिरूद्ध सिंह	..	,,	६३
१३	,, विश्वनाथ सिंह	..	,,	७४
१४	,, झिनकाई चौबे	..	,,	९०
१५	,, मोहम्मद यूनिस	..	बस्ती डिपो	४७
१६	,, केशरी नन्दन त्रिपाठी	..	,,	५६
१७	,, साधुशरन शुक्ला	..	,,	५८
१८	,, देवकली सिंह	..	बस्ती डिपो	६२
१९	,, अयोध्या प्रसाद	..	,,	६९
२०	,, सुरेन्द्र सिंह	..	,,	८८
२१	,, चन्द्रभान पांडेय	..	,,	८९
२२	,, बाल गोविन्द सिंह	..	क्लीनर कंडक्टर, आजमगढ़ डिपो	१
२३	,, कंवल भान राय	..	,, ,,	२
२४	,, राम लाल (प्रथम)	..	,, ,,	९
२५	,, ठाकुर प्रसाद	..	,, ,,	१०
२६	,, राम पूजन यादव	..	,, ,,	१४
२७	,, राम लाल (द्वितीय)	..	,, ,,	१६
२८	,, राम लच्छन राम	..	,, ,,	१७
२९	,, मोहम्मद अलीम	..	,, ,,	१८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४६ पर)

GENERAL MANAGER,
U. P. GOVERNMENT ROADWAYS,
GORAKHPUR.

D.-O. No. GR/Est/I-77—13447-B-61 *Dated December* 23, 1961.

MY DEAR SRI LARI,

Kindly refer to your letter dated 18th December, 1961, regarding confirmation and promotion of superseded conductors. I have to inform you that both the actions are in hand and will be finalised soon. The matter has taken some time as it related to the year 1955-56 and certain prescribed procedure had to be followed to regularise the position.

There has been no suppression of the facts or undue delay in this connexion. Vigorous efforts are being made to finalise the matter as early as possible.

With kind regards,

Yours sincerely,
(Sd.) K. K. KODESIA.

Sri ABDUL RAUF LARI, M.L.A.,
P. O. Nautanwa,
Gorakhpur.

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५९ पर)

बीज गोदाम का नाम	बीज की मात्रा जो भेजी गई	बीज की मात्रा जो बाकी रह गई
	मन सेर छ०	मन सेर छ०
१—बलरामपुर	३६२—२०—०	१६७—०—०
२—उतरौला	१२०— ०—०	,, ,,
३—सरायखास	११५—०—०	५०—०—०
४—बगदर	५३०— ०—०	,, ,,
५—गोंडा	२४४—३०—०	,, ,,
६—हथियागढ़	२००— ०—०	२००— ०—०
७—मझगवां	५९— ०—०	,, ,,
८—कल्याणपुर	५५— ०—०	,, ,,

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६० पर)

तालिका

मैनपुरी जिले में कृषि तथा पशुपालन विभाग में कार्य करने वाले वेटेरिनरी स्टाकमैन, कम्पाउन्डर, चपरासी तथा क्लर्क का विवरण

क्रम-संख्या	पदों का नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या		अनुसूचित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या		पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	
		कृषि विभाग	पशुपालन विभाग	कृषि विभाग	पशुपालान विभाग	कृषि विभाग	पशुपालन विभाग
१	२	३	४	५	६	७	८
(क)	वेटेरिनरी स्टाकमैन ..	..	२२	..	२	..	३
(ख)	कम्पाउन्डर ..	..	१२	..	..	..	३
(ग)	चपरासी ..	२	५	..	..	२	३
(घ)	क्लर्क ..	९	४	..	..	१	..
		११	४३	..	२	३	९
	कुल	५४		२		१२	

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६२ पर)

विधायक निवास नं० २ दारुलशफा 'बी' ब्लाक के मोटर गैराजों को अलाट करने के लिये आवेदन-पत्र देने वाले सदस्यों की सूची

१—श्री शंकर राव, एम०एल० सी०, मुरादाबाद,

२—श्री रामेश्वरनाथ, एम०एल० ए०, बरेली,

३—श्री विजयशंकर सिंह, एम०एल० ए०, गाजीपुर,

४—श्री भीखालाल, एम०एल० ए०, उन्नाव,

५—श्री जगदीश प्रसाद, एम०एल० ए०, बहराइच,

६—श्री रफी खां, एम०एल० ए०, शाहजहाँपुर,

७—श्री विक्रम शाह, एम०एल०ए०, शाहजहाँपुर (इन्होंने विधायक निवास नं० ३ के गैराज के लिये आवेदन पत्र दिया था परन्तु उन्हें विधायक निवास नं० २ का गैराज नं०२४ अलाट हुआ है।),

८—श्री रामायण राय, एम०एल०ए०, देवरिया,

९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, एम०एल०ए०, बस्ती,

१०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, एम०एल० ए०, इटावा,

११—श्री गणेशचन्द काछी, एम०एल०ए०, मैनपुरी,

१२—श्री अखंड प्रताप सिंह, एम०एल० ए०, फैजाबाद,

१३—श्री घनश्याम दास, एम०एल० ए०, बाराबंकी,

१४—श्री यादवेंद्र सिंह, एम०एल० ए०, गोरखपुर,

१५—श्री लखपत राम शर्मा, एम०एल० ए०, झांसी,

१६—श्री अशरफ अली खां, एम०एल०ए०, मथुरा,

१७—श्री राम आसरे वर्मा, एम०एल०ए०, बाराबंकी,

१८—श्री अवध नारायन प्रताप सिंह, एम०एल०ए०, गोंडा,

१९—श्री ब्रह्मदत्त मायर, एम०एल०ए०, सहारनपुर,

२०—श्री नियाज हसन खां, एम०एल०ए०, प्रतापगढ़,

२१—श्री बृजराज सिंह, एम०एल०ए०, हमीरपुर,

२२—श्री बंशीधर पाँडे, सभा सचिव, (मिलने वालों की गाड़ी के लिये),

२३—श्री केशव दत्त, एम०एल० सी०, रामपुर,

२४—श्री राम लखन सिंह, एम०एल०ए०, बस्ती,

२५—श्री मोहन लाल वर्मा, एम०एल० ए०, हरदोई,

२६—श्रीमती कला रानी, एम०एल०ए०, हरदोई,

२७—श्री सहदेव सिंह, एम०एल०ए०, इटावा।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८८० पर)

उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२

जोतों पर कर आरोपित करने और उत्तर प्रदेश में कृषक स्वामित्व का एक प्रकार के धारणाधिकारों की प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के प्रयोजनार्थ अपेक्षित वित्तीय साधन बढ़ाये जायं और कृषक स्वामित्व के एक प्रकार के धारणाधिकारों की प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित किया जाय, और

यह आवश्यक और इष्टकर है कि उक्त प्रयोजनों के लिये जोतों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय:

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—१

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत कर अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम, में—

(१) "करदाता" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति से है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देय हो और उसके अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि भी है,

ऐक्ट संख्या १, १९५६

(२) "कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ में दिया गया है;

(३) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध के दवामी या इस्तमरारी पट्टेदार (permanent lessee in Avadh), दवामी खातेदार (permanent tenure-holder) और हिस्सेदार से है;

(४) "भूमि" का तात्पर्य, अकृष्ट भूमि सहित, ऐसी भूमि से है जिसके सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान निर्धारित किया गया हो अथवा दिया जाता हो या निर्धारित किया जा सकता हो या देय हो सकता हो और जो कृषि, उद्यानकरण, पशु-पालन, मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुट-पालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में हो;

(५) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य—

(१) मध्यवर्ती से है, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो या सीर, खुदकाश्त या बाग के रूप में उसके अधिकार में हो, और

(२) मध्यवर्ती से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जिसके अधिकार या अध्यासन में भूमि—

(क) असामी, जो गाँव समाज का असामी न हो,
(ख) शिकमी काश्तकार,
(ग) सीर के काश्तकार, या
(घ) सीरतान,

से भिन्न रूप में हो और यदि क्षेत्रपति कोई कम्पनी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य संघ (association) हो तो इसके अन्तर्गत उसका मुख्य अधिकारी (principal officer) भी है ;

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(६) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में " legal representative " का दिया गया है ;

(७) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(८) जब "मुख्य अधिकारी" का प्रयोग किसी कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के संबंध में किया जाय तो उसका तात्पर्य कम्पनी या व्यक्तियों के संघ के सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक या अभिकर्त्ता से, या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से है जो कम्पनी या व्यक्तियों के संघ की ओर से कार्य करने का अधिकार रखता हो ;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १७, १९६०

(१०) पद "हिस्सेदार", "खायकर" और "सीरतान" के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं और उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० में दिये गये हैं;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(११) पद "कलेक्टर, "मालगुजारी", "परगनाधिकारी", "अदना मालिक","तहसीलदार", और "मातहतदार" के वही अर्थ होंगे जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०२ में क्रमशः "Collector", "revenue", "Sub-Divisional Officer","sub-proprietor", "Tahsildar" और "under-proprietor" के हैं,

यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(१२) पद "कृषि वर्ष", "साकितुल-मिल्कियत काश्तकार", "निश्चित मुएयन काश्तकार", "रियायती लगान काश्तकार", "बाग","बागदार", "मौरूसी काश्तकार","जोत", "खुदकाश्त", "गैर-दखीलकार काश्तकार", "दखीलकार काश्तकार", "अवध के दवामी या इस्तमरारी पट्टेदार", "दवामी खातेदार", "लगान", "माफीदार", "सीर", "काश्तकार", "अवध में विशेष शरतों वाला काश्तकार","पट्टा दवामी या इस्तमरारी काश्तकार" और "ठेकेदार" के वही अर्थ होंगे, जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३१ में क्रमशः "agricultural year", "ex-proprietary tenant", "fixed rate tenant","grantee at favourable rate of rent","grove", "grove holder","hereditary tenant","holding","*khudkasht*", "non-occupancy tenant", "occupancy tenant", "permanent lessee in Avadh", "**Permanent tenure holder**" "**Rent free grantee**" "*sir*" "tenant", "tenant holding on special terms in Avadh", "tenanton patta dawami or "Istamrari" तथा "*thekedar*" के हैं,

अध्याय २

कर लगाना

३—(१) धारा ६ और ८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, क्षेत्रपति की प्रत्येक जोत पर, प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये, जोत के पूंजीगत मूल्य के ढाई प्रतिशत के बराबर कर लगाया और लिया जायेगा। जोतों पर कर लगाना

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित कर, करदाता द्वारा राज्य सरकार को ऐसी किस्तों में, ऐसे समय और ऐसी रीति से देय होगा जो नियत की जायं।

४—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जोत का पूंजीगत मूल्य निम्नलिखित धनराशि के बराबर समझा जायगा:— जोत के पूंजीगत मूल्य का अवधारण

(१) यदि क्षेत्रपति "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा १८ की उपधारा (१) में उल्लिखित व्यक्तियों म स कोई हो, या वह भूमिधर, हिस्सेदार, खायकर (चाह कच्चा हो या पक्का) अथवा सरकारी भूमि का ऐसा पट्टेदार या अनुदान-गृहीता (grantee) जिसे उक्त जोत का बिक्री द्वारा संक्रमण करने का अधिकार हो, तो, यथास्थिति, उक्त जोत के संबंध में देय या देय समझी गयी मालगुजारी या लगान का पचास गुना, १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(२) यदि क्षेत्रपति "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा १९ में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई हो, अथवा सीरदार, या सरकारी भूमि का ऐसा पट्टेदार या अनुदान गृहीता (grantee) हो जिस उक्त जोत का बिक्री द्वारा संक्रमण करने का अधिकार न हो तो, यथास्थिति, उक्त जोत के सम्बन्ध म अथवा देय समझी गयी मालगुजारी या लगान का बीस गुना, और नियम संख्या १, १९५०

(३) यदि क्षेत्रपति किसी गाँव समाज का असामी, या गैरदखीलकार काश्तकार हो, तो उक्त जोत के सम्बन्ध में देय या देय समझे गये लगान का बारह गुना।

५—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई कर ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जिसकी जोत का पूंजीगत मूल्य, या यदि वह एक से अधिक जोतों का क्षेत्रपति हो तो उसकी सब जोतों के पूंजीगत मूल्य का जोड़— कर से विमुक्ति

(क) उसके धारा ४ के खंड (१) में उल्लिखित क्षेत्रपति होने की दशा में, एक सौ पचीस रुपये से अधिक न हो,

(ख) उसके धारा ४ के खंड (२) या (३) में उल्लिखित क्षेत्रपति होने की दशा में, एक सौ रुपये से अधिक न हो, और

(ग) उसके इस उपधारा के खंड (क) तथा (ख) दोनों के अन्तर्गत आने की दशा में, एक सौ पचीस रुपये से अधिक न हो।

(२) यह धारा ३० जून, १९६४ ई० के बाद प्रचलित न रह जायेगी, किन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, इस धारा के प्रचलन को ऐसे समय के लिये बढ़ा सकती है जो वह ठीक समझे। इस धारा की समाप्ति

(३) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस धारा की समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो यह धारा समाप्ति के दिनाँक को निरस्त कर दी गयी हो। यू० पी० ऐक्ट संख्या, १, १९०४

अध्याय ३

कर निर्धारण और उसकी वसूली

कर-निर्धारण और अपीलीय प्राधिकारी

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये—

(१) तहसीलदार, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व वाली स्थित हो, कर निर्धारण प्राधिकारी होगा, और

(२) परगना अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व वाली जोत स्थित हो, अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(२) कर निर्धारण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा उन्हें दिये जायं या उन पर आरोपित किये जायं।

छूट

७—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा ३ और ४ के उपबन्धों के अनुसार प्रगणित कर में से निम्नलिखित धनराशि के बराबर छूट स्वतः दे सकता है और यदि करदाता धारा १३ के अधीन माँग के नोटिस की तामील के दिनाँक से तीस दिन समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय प्रार्थना-पत्र दे तो वह (कर निर्धारण प्राधिकारी) उक्त छूट देगा;

(१) धारा ४ के खंड (१) में उल्लिखित क्षेत्रपति के विषय में, पूर्वोक्त कर की धनराशि का साठ प्रतिशत, तथा

(२) धारा ४ के खंड (२) में उल्लिखित क्षेत्रपति के विषय में, वह धनराशि जो कर की पूर्वोक्त धनराशि और जोत के सम्बन्ध में, यथास्थिति, देय या देय समझे गये लगान या मालगुजारी के योग में से उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रगणित लगान को घटाकर प्राप्त हो।

(२) उपधारा (१) के खंड (२) के अधीन घटाये जाने वाले लगान की गणना निम्नानुसार की जायेगी;

(क) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथापारिभाषित भूतपूर्व रामपुर रियासत में सम्मिलित क्षेत्रों में, अथवा प्राविंसेज ऐण्ड स्टेट्स (एबजार्पशन आफ इन्क्लेब्ज) आर्डर, १९५० में यथापारिभाषित इनक्लेब्ज (अन्तर्वर्ती क्षेत्रों) में, स्वीकृत मौरूसी दरों का सवा गुना, तथा

(ख) शेष राज्य में, स्वीकृत मौरूसी दरों का दुगुना।

(३) उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जोत के सम्बन्ध में किसी कृषि वर्ष के लिये देय कर का अवधारण उस वर्ष की पहली जुलाई को उक्त जोत के सम्बन्ध में क्षेत्रपति की स्थिति status के अनुसार किया जायेगा।

(४) कोई सीरदार, जो ३१ दिसम्बर, १९६२ के पूर्व अपनी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित कर ले उस भूमि के सम्बन्ध में, ३० जून, १९६३ को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष के लिये भी, उपधारा (१) में उल्लिखित छूट पाने का हकदार होगा, भले ही इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई बात हो।

८—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत मौरूसी दरों का तात्पर्य निम्नलिखित से है: स्वीकृत मौरूसी दरें

(१) उन क्षेत्रों में, जिनमें जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार हो, उक्त अधिनियम के अध्याय २ के अधीन दिये गये बन्दोबस्त में स्वीकृत लगान की दरें, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५६

(२) उन क्षेत्रों में, जो रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथापारिभाषित भूतपूर्व रामपुर रियासत के क्षेत्र में सम्मिलित थे असामी गैर दखीलकार के लिये ऐक्ट कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अधीन स्वीकृत दरें,

(३) उन क्षेत्रों में जो प्राविंसेज ऐंड स्टेट्स (एब्जार्पशन आफ इन्कलेब्ज) आर्डर, १९६० में यथापारिभाषित इनक्लेब्ज (अन्तर्वर्ती क्षेत्रों) में सम्मिलित थे तथा उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश में, विलीन किये गये हैं, भूतपूर्व सम्बद्ध राज्य द्वारा स्वीकृत दरें,

(४) उन क्षेत्रों में, जो मिर्जापुर जिले में कैमूर रेंज के दक्षिण में हैं यथास्थिति, परिनियत काश्तकार (statutory tenant) पर लागू स्वीकृत दरें या गांव की हल के अनुसार दरें,

(५) खंड (१) से (४) तक में उल्लिखित क्षेत्रों में से भिन्न क्षेत्रों में, यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन मौरूसी काश्तकारों के लिये स्वीकृत लगान की दरें, और यू०पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(६) उन क्षेत्रों में जहां पूर्वोक्त कोई भी दरें विद्यमान न हों, उन सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी रीति से अवधारित लगान की दरें जो नियत की जायं।

९—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, नियत प्राधिकारी कोई ऐसी कृषि-आपदा आ पड़ने पर जिसका फसलों पर प्रभाव पड़ा हो उस आपदा से प्रभावित जोत के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण कर या उसके किसी भाग की, ऐसी रीति से छूट दे सकता है या उसे स्थगित कर सकता है, जो नियत की जाय। कृषि-आपदा के कारण कर की छूट या उसका स्थगन

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कर का भुगतान स्थगित किया गया हो, तो धारा १३ के अधीन निश्चित कर की किस्त के भुगतान की अवधि की गणना करने में स्थगन की अवधि छोड़ी जायेगी।

१०—प्रत्येक क्षेत्रपति प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये अपने द्वारा देय कर के सम्बन्ध में एक विवरणी, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों के साथ जो नियत किये जायं, उस वर्ष की ३१ जुलाई तक प्रस्तुत करेगा: विवरणी प्रस्तुत करना

प्रतिबन्ध यह है कि १ जुलाई, १९६२ से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के लिये उक्त विवरणी इस अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारण प्राधिकारी, विवरणी को नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, विवरणी प्रस्तुत करने की अवधि को तीस दिन तक के लिये बढ़ा सकता है।

कर-निर्धारण

११—(१) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा १० के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी ठीक और पूर्ण है, तो वह क्षेत्रपति की जोत का पूंजीगत मूल्य अवधारित करेगा और उस जोत पर आदेय कर उस विवरणी के आधार पर निर्धारित करेगा।

(२) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रस्तुत की गयी विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण है, तो वह क्षेत्रपति से अपेक्षा करेगा कि या तो वह उसे पूर्ण करे या उसके द्वारा नियत किये जाने वाले दिनांक पर विवरणी के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करावे। क्षेत्रपति ऐसा अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा, जिसे प्रस्तुत करने की कर निर्धारण प्राधिकारी अपेक्षा करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियत दिनांक को, या ऐसे दिनांक को जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे सभी साक्ष्य पर, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय, विचार करेगा और क्षेत्रपति की जोत का पूंजीगत मूल्य अवधारित करेगा और उस पर देय कर निर्धारित करेगा।

(४) यदि कोई क्षेत्रपति नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करे या विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् उपधारा (२) या (३) के अधीन किसी आज्ञा का पालन न करे, तो कर निर्धारण प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से कर निर्धारित करेगा।

क्षेत्रपति की मृत्यु होने पर विधिक प्रतिनिधि का दायित्व

१२—यदि, विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, किन्तु धारा ११ के अधीन कर-निर्धारण पूरा होने के पूर्व क्षेत्रपति की मृत्यु हो जाय, तो कर निर्धारण प्राधिकारी नियत रीति से, मृतक क्षेत्रपति के विधिक प्रतिनिधि पर नोटिस तामील करायेगा और तत्पश्चात् इस अध्याय के उपबन्ध उक्त विधिक प्रतिनिधि पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे क्षेत्रपति पर लागू होते हैं।

मांग का नोटिस

१३—जब धारा ११ के अधीन कर निर्धारण कर दिया गया हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, करदाता पर, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, मांग का नोटिस तामील करायेगा और उसमें करदाता की जोत पर देय कर की धनराशि और वह दिनांक या वे दिनांक निर्दिष्ट किये जायेंगे जब तक कर या उसकी किसी किस्त का भुगतान किया जाना है।

कर भूमि पर प्रभार होगा।

१४—(१) मांग की नोटिस के अधीन देय कर उस जोत में सम्मिलित भूमि पर प्रभारित होगा जिस पर कर लगाया गया हो।

(२) यदि जोत या उसका कोई भाग, किसी वर्ष में, बन्धक से भिन्न किसी रूप में, संक्रमित किया जाय, तो संक्रमित भूमि के सम्बन्ध में उस वर्ष में देय कर के ऐसे अनुपात में, जो अनुपात उन दिनों की संख्या का जितने दिनों उक्त वर्ष में संक्रामिति द्वारा भूमि कब्जे में रखी गयी हो, अंक ३६५ से हो, संक्रामिती से ऐसी रीति से वसूल किया जा सकेगा जो नियत की जाय।

कर का भुगतान न करने पर शास्ति

१५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन करदाता द्वारा देय कर की किस्त का भुगतान, मांग के नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर न किया जाय, तो करदाता बाकीदार समझा जायेगा और तत्पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारी अपने विवेक से निदेश दे सकता है कि कर की बकाया धनराशि के अतिरिक्त, उक्त धनराशि के दसवें भाग से अनधिक धनराशि, करदाता से शास्ति के रूप में वसूल की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, तो कोई शास्ति आरोपित न की जायेगी।

(२) मांग की नोटिस, जिसमें उपधारा (१) के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि भी दी होगी, करदाता पर नियत रीति से तामील किया जायगा।

जोत जो कर-निर्धारण से छूट गयी हो

१६—यदि किसी कारण से कोई भूमि, जिस पर कर आदेय हो, किसी वर्ष कर निर्धारण से छूट गयी हो या उस पर अपेक्षाकृत कम दर से कर निर्धारित किया गया हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वतः या राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, उक्त वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, उस क्षेत्रपति पर, जो उस भूमि पर आदेय कर का देनदार हो, नोटिस तामील करा सकता है, जिसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायं और ऐसी नोटिस तामील हो जाने पर धारा ११ से १५ तक के तथा धारा १७ और १८ के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

अपील

१७—(१) धारा ११ के अधीन दी गई कर-निर्धारण की आज्ञा या धारा १२, १५ अथवा १६ के अधीन दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, धारा १३ के अधीन मांग का नोटिस तामील होने के एक मास के भीतर, उक्त आज्ञा के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा :

प्रतिबंध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायेगी जब तक कि उसके साथ इस आशय का सन्तोषजनक प्रमाण न हो कि निर्धारित कर की आधी तक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

(२) यदि राज्य सरकार धारा ११ के अधीन दी गयी कर-निर्धारण की आज्ञा या धारा १२ अथवा १६ के अधीन दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह, आज्ञा के दिनांक से तीन मास के भीतर, उक्त आज्ञा के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकती है।

(३) अपील का प्रत्येक ज्ञाप नियत रीति से प्रस्तुत और सत्यापित किया जायेगा।

(४) यदि अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि विलम्ब होने का पर्याप्त कारण था तो वह अपील के लिए निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(५) अपीलीय प्राधिकारी, अपील पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और वह उस आज्ञा की एक-एक प्रति अपीलकर्त्ता, कर निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो नियत किया जाय :

प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन कर तब तक न बढ़ाया जायेगा जब तक कि कर दाता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(६) जहां आवश्यक हो, कर-निर्धारण की आज्ञा, अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा परिष्कृत की जायेगी।

भूल-सुधार

१८—(१) कोई प्राधिकारी, जिसने, यथास्थिति, कर निर्धारण की आज्ञा दी हो या अपील पर आज्ञा दी हो, स्वतः या उस आज्ञा के दिनांक से एक वर्ष के भीतर कर दाता अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी भी समय, किसी ऐसी भूल को सुधार सकता है, जो यथास्थिति, कर-निर्धारण या अपील के अभिलेख से ही स्पष्ट हो :

प्रतिबंध यह है कि सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना इस प्रकार का कोई भूल-सुधार न किया जायगा।

(२) यदि इस प्रकार के किसी भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर-निर्धारण में कमी हो जाय तो सम्बद्ध प्राधिकारी यह भी आज्ञा देगा कि अतिरिक्त धनराशि करदाता को लौटा दी जाय।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा, जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण में बढ़ती हो जाय, धारा ११ के अधीन दी गयी आज्ञा समझी जायगी और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ऐसी आज्ञा पर लागू होंगे।

अध्याय ४

विविध

शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८

१९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी भी न्यायालय में वाद का परीक्षण करते समय निहित होते हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए वाध्य करना और किसी व्यक्ति को शपथ दिलाकर या प्रतिज्ञा कराके बयान लेना;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए वाध्य करना; और

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये कमीशन जारी करना; और उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त कोई भी कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३, १९६ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी।

कर का मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाना

२०—कर, और इस अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि भी, यदि कोई हो, यथास्थिति, करदाता या उसके विधिक प्रतिनिधि से, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

न्यायालय में वाद आदि पर रोक

२१—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण या आरोपित किसी शास्ति को रद्द करने के लिए कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत न किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होना

२२—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कोई पक्ष जो किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार हो या जिससे उपस्थित होन की अपेक्षा की जाय, या तो स्वयं या यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना

२३—इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे भले ही किसी अन्य विधि में कोई उनसे असंगत बात हो।

नियम बनाने का अधिकार।

२४—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन कर की किस्तों की संख्या और वे दिनांक जब तक, तथा वह रीति जिसके अनुसार कर देय होगा ;

(ख) अधिकार और कर्तव्य जिनका प्रयोग तथा पालन कर निर्धारण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ग) सिद्धान्त और वह रीति, जिनके अनुसार उन क्षेत्रों में लगान की दरें अवधारित की जायेंगी जहां ऐसी दरें विद्यमान न हों;

(घ) रीति जिसके अनुसार किसी कृषि आपदा के आ पड़ने पर कर या उसके किसी भाग की छूट दी जायेगी या उसे स्थगित किया जायेगा;

(ङ) धारा १० के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्रपत्र और रीति जिसके अनुसार वह प्रस्तुत की जायेगी;

(च) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये जाने के लिए अपेक्षित नोटिसों के प्रपत्र और उसके प्रकाशन की रीति;

(ज) रीति जिसके अनुसार कर धारा १४ के अधीन संक्रामितों से वसूल किया जा सकेगा;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अदा किया जाने वाला शुल्क; और

(ट) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों और नियत किये जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त, रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा निष्प्रभावनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान सभा करे, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभावन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

नियोजित विकास की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वित्तीय साधनों की अभिवृद्धि की दृष्टि से तथा कृषक स्वामित्व के एक प्रकार के धारणाधिकारों की प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि जोतों पर कर लगाया जाये।

यह विधेयक तद्नुसार पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए०पी० १५४ एल० ए०—१९६२—८४५।

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा